इरकॉन पी बी टोलवे लिमिटेड ('इरकॉन पीबीटीएल')

(इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

सीआईएन: यू45400DL2014जीओआई272220

छठी (6वीं) वार्षिक रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2019-20

'भारत के विकास में राजमार्ग परियोजना भागीदारी

विजन

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-15 पर बीकानेर-फलौदी खंड की राजमार्ग परियोजना के विकास के लिए कंपनी की स्थापना और विकास तथा इससे राजमार्ग परियोजना प्रयोक्ताओं के लाभ को सुनिश्चित करना और निर्मित टोल प्लाजा से उच्च राजस्व सुनिश्चित करना और कंपनी को इष्टतम समयावधि के भीतर अनुमानित परियोजना परिणामों के निर्धारित मानकों के स्तर तक पहुंचाना।

मिशन

(i) स्थल नियोजन, परियोजना गतिविधियों के अनुसूचन, भूमि के समतलीकरण व सतहीकरण तथा निर्माण की गुणवत्ता को मापने के लिए प्रणालियों के संस्थापन द्वारा निर्माण कार्य करना।

(ii) परियोजना के क्रियान्वयन और प्रचालनीकरण की उत्तरदायित्वपूर्ण मॉनीटरिंग करना।

(iii) टोल दरों पर नियंत्रण रखकर रियायत की समयावधि के दौरान राजमार्ग के संवर्धित प्रयोग को सुनिश्चित करना, जिससे सड़क पर अधिक से अधिक कारों तथा वाणिज्यिक वाहनों का आवागमन संभव हो सके तथा प्रभावपूर्ण यातायात सैंपलिंग के आधार पर टोल दरों को संशोधित करना।

(iv) अपेक्षित क्षेत्रों में लागत तथा चैनलिंग संसाधनों में कमी करना।

विषय वस्तु

संदर्भ सूचना	3
निदेशक मंडल	5
अध्यक्ष का संबोधन	6
निदेशक की रिपोर्ट एवं उसके परिशिष्ट:	
निदेशक की रिपोर्ट	8
प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट	21
वार्षिक रिटर्न का सार [फॉर्म सं. एमजीटी-9]	24
संबंधित पक्ष संव्यवहार [फॉर्म सं. एओसी-2]	33
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	35
निगमित शासन रिपोर्ट	39
वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट	53
वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए तुलन पत्र	68
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	168

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड

संदर्भ सूचना

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

श्री अतुल कुमार	: मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सुश्री मीनाक्षी गर्ग	: मुख्य वित्त अधिकारी
सुश्री अनुराधा कौशिक	: कंपनी सचिव

सांविधिक लेखापरीक्षक

ए.एन.गर्ग एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

आंतरिक लेखापरीक्षक

एच.के.खन्ना एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

सचिवीय लेखापरीक्षक

मैसर्स एस.जिंदल एंड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

लागत लेखापरीक्षक

रवि साहनी एंड कंपनी

लागत लेखापरीक्षक

बैंकर

इंडियन ओवरसीज बैंक, नई दिल्ली

सम्पर्क व्यक्ति

सुश्री अनुराधा कौशिक

कंपनी सचिव

ई-मेल : anuradha@ircon.org

पंजीकृत कार्यालय

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत

नई दिल्ली-110017

निदेशक मंडल

श्री श्याम लाल गुप्ता
अध्यक्ष

श्री अशोक कुमार गोयल
निदेशक

श्री राजेन्द्र सिंह यादव
निदेशक

सुश्री भुवनेश्वरी कृष्णन
निदेशक

प्रिय शेयरधारकों

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉन पीबीटीएल) की **छठी (6वीं) वार्षिक रिपोर्ट** प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस वार्षिक रिपोर्ट में दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इंड एएस लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, निदेशक की रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा गैर-समीक्षा प्रमाणपत्र (एनआरसी) शामिल है।

कंपनी का परिचय

मैं गणमान्य सदस्यों को बताना चाहता हूं कि अपकी कंपनी को राजस्थान राज्य में निर्माण, प्रचालन, और हस्तांतरण (बीओटी) (टोल) पर राष्ट्रीय राजमार्ग-15 के किमी 4.200 से किमी 55.250 तक चार लेन तथा किमी 55.250 से किमी 163.500 तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के रूप में मौजूदा बीकानेर तथा फलौदी खंड का चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण का कार्य सौंपा गया है और कंपनी ने फरवरी 2019 से वाणिज्यिक टोल प्रचालन आरंभ कर दिया है।

परियोजना का निष्पादन चरण पहले ही पूरा हो चुका है और परियोजना अब प्रचालन और अनुरक्षण (ओ एंड एम) चरण में प्रवेश कर चुकी है अर्थात अनंतिम वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (अनंतिम सीओडी) की तारीख से वाणिज्यिक टोलिंग प्रचालन। परियोजना ने टोल आय के रूप में सालासर, नोखरा और खीरवा में स्थित तीन प्रचालन टोल प्लाजा से राजस्व अर्जित करना आरंभ कर दिया है।

वित्तीय निष्पादन

आपकी कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने लाभ और हानि विवरण में सेवा रियायत करार (एससीए) के अंतर्गत निर्माण संविदा राजस्व सहित इंड एएस-115

"ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व" के तहत 70.41 करोड रूपए का प्रचालनिक टर्नओवर को स्वीकार किया है।

कंपनी को 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए किए गए कार्य संविदागत व्ययों के लिए परियोजना और निर्धारित अन्य व्ययों के कारण दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु 17.15 करोड रूपए का निवल करपूर्व घाटा और 17.18 करोड रूपए का कर पश्चात घाटा हुआ है।

अनुपालन और प्रकटन

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा इसके अंतर्गत इसके संबंधित नियमों के अनुसार अनुपालन और प्रकटनों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (यथा धारक कंपनी) की विशेष प्रयोजन व्यवस्था (एसपीवी) के रूप में निगमित होने के कारण, कंपनी को लोक उपक्रम विभाग (डीईपी) द्वारा जारी निगमित शासन पर दिशानिर्देशों का अनुपालन करने से छूट प्राप्त है।

आभारोक्ति

मैं धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, कंपनी के बोर्ड सदस्यों व लेखापरीक्षकों और कंपनी के मूल्यवान ग्राहकों यथा एनएचएआई द्वारा कंपनी को निरंतर समर्थन और सहयोग करने तथा वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए हार्दिक धन्यवाद तथा आभाग प्रकट करता हूं। मैं बैंक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी), लागत लेखापरीक्षकों तथा सचिवीय लेखापरीक्षकों के व्यापक सहयोग हेतु धन्यवाद करता हूं। मैं, कंपनी के सभी स्तरों पर सभी कर्मचारियों द्वारा किए गए अच्छे कार्य की भी प्रशंसा करता हूं।

सादर,

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड

हेतु तथा की ओर से

ह0/-

(श्याम लाल गुप्ता)

अध्यक्ष

डीआईएन: 07598920

दिनांक: 26.08.2020

स्थान: नई दिल्ली

निदेशक की रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष : 2019-20

बोर्ड की रिपोर्ट

कंपनी के सदस्य
इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी के व्यवसाय और प्रचालनों पर अपनी छठीं (6वीं) वार्षिक रिपोर्ट और दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

क. व्यावसायिक परिदृश्य : गतिविधियों की वर्तमान स्थिति

आपकी कंपनी को अपने मुख्य व्यावसायिक प्रयोजन के रूप में एनएचएआई के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार की शर्तों के अनुसार राजस्थान राज्य में निर्माण, प्रचालन, और हस्तांतरण (बीओटी) (टोल) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-15 के किमी 4.200 से किमी 55.250 तक चार लेन तथा किमी 55.250 से किमी 163.500 तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के रूप में मौजूदा बीकानेर तथा फलौदी खंड का चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण की परियोजना के निष्पादन के लिए एनएचएआई द्वारा जारी एलओए के अनुसरण में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटड (इरकॉन) द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्युओएस) के रूप में दिनांक 30 सितंबर 2014 को निगमित किया गया है।

बीकानेर-फलौदी परियोजना निष्पादन की अनुमोदित कुल परियोजना लागत (टीपीसी) 844 करोड़ रुपए है, जिसे निम्नानुसार विभाजित किया गया है: -

1. इक्विटी शेयर पूंजी: 165 करोड़ रुपए
2. ऋण पूंजी (रक्षित ऋण): 352 करोड़ रुपए, और
3. एनएचएआई अनुदान (रोकड़ सहायता): 327 करोड़ रुपए

दिनांक 31 मार्च 2020 को कंपनी की प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी 175 करोड़ रूपए तथा प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी 165 करोड़ रूपए है। ऋण पूंजी (दीर्घकालीन ऋण) 417.22 करोड़ रूपए मूल्य के हैं।
बीकानेर-फलोदी परियोजना निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

<u>परियोजना प्रचालन आरंभ</u>

(वाणिज्यिक टोलवे प्रचालन का प्रारंभ)

परियोजना अब प्रचालन एंव अनुरक्षण (ओ एंड एम) चरण में प्रवेश कर चुकी है अर्थात अनंतिम वाणिज्यिक संचालन तिथि (अनंतिम सीओडी) की तारीख से वाणिज्यिक टोलिंग प्रचालन आरंभ हो गया है और टोल आय अर्जन आरंभ कर दिया गया है।

दिनांक 15 फरवरी 2019 को राजस्थान के बीकानेर जिले के सालासर और नोखरा और जोधपुर जिले के खीरवा में स्थित तीन टोल प्लाजा पर वाणिज्यिक टोल प्रचालन आरंभ करने के लिए उक्त अनंतिम सीओडी जारी की गई है, और तदनुसार, तीन टोल प्लाजा पर राजस्व या टोल एकत्रण कार्य जारी है। ।

<u>टोल राजस्व</u>

परियोजना के चालू होने के कारण, परियोजना ने टोल प्रचालनों (टोल आय) के अंतर्गत, तीनों टोल प्लाज़ा से आय अर्जित करना शुरू कर दिया है। निम्नलिखित तिथियों से राजस्व एकत्रण कार्य प्रगति पर है: -

टोल/कॉरीडोर का नाम	**टोल राजस्व आरंभ तिथि**
1. सालासार (टीपी – 1)	20.02.2019
2. नोखरा (टीपी – 2)	22.02.2019
3. खेरवा (टीपी – 3)	24.02.2019

ख. वित्तीय निष्पादन

(इंड एएस वित्तीय विवरण)

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी के इंड एएस लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार:-

1. प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 165 करोड़ रूपए पर समान रही।

2. कंपनी के कुल ऋण (रक्षित ऋण) 337.85 करोड़ रूपए के पिछले वर्ष के आंकड़ों की तुलना में इस वर्ष बढकर 417.22 करोड़ रूपए हो गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने 379.29 करोड़ रूपए के दीर्घकालीन

ऋणों (गैर-चालू वित्तीय देयता) और 37.93 करोड़ रूपए के अल्पकालीन ऋणों (चालू वित्तीय देयता) (चालू परिपक्वताओं के कारण वर्गीकृत - अगले वित्तीय वर्ष में पुनर्भुगतानयोग्य) को स्वीकार किया है।

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 19.93 करोड़ रूपए का ब्याज व्यय किया है जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वित्त /ऋण के रूप में 25.22 करोड़ रूपए का ब्याज व्यय किया गया था।

3. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, आपकी कंपनी ने 31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि के लिए 70.41 करोड़ रुपये के टर्नओवर (परिचालन से राजस्व) को स्वीकार किया है, जिसमें सेवा अनुबंध व्यवस्था (एससीए) के तहत निर्माण अनुबंध राजस्व, टोल प्रचालन और अन्य राजस्व शामिल हैं, **जो इंड एएस-115 "ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व" की शर्तो के अनुसार है। कंपनी ने संविदागत राजस्व को उचित मूल्य प्राप्य राशियों के रूप में मापा है अर्थात निर्माण सेवओं से राजस्व।**

4. अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत के रूप में स्वीकार किया गया है क्योंकि सेवा के उचित मूल्य के साथ-साथ अन्य प्रत्यक्ष लागत 494.96 करोड़ के मूल्य के प्रचालन के लिए उत्तरदायी है और विकास के तहत अमूर्त संपत्ति को 16.94 करोड़ रूपए तक स्वीकार किया गया है।

5. कंपनी 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए परियोजना और अन्य खर्चों के कारण कार्य अनुबंध पर वित्तीय वर्ष के लिए किए गए खर्च के कारण दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि में कंपनी को 17.17 करोड़ रूपए का कर पूर्व घटा और 17.18 करोड़ रूपए का करपश्चत घटा हुआ है।

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

कंपनी की सारबद्ध वित्तीय स्थिति

(रूपए करोड़ में)

विवरण	**स्टैंडएलोन**	
	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	**31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु**
	(लेखापरीक्षित)	
लाभ और हानि की स्थिति		
प्रचालन से राजस्व	70.41	356.07
अन्य आय	0.33	0.82
कुल आय	**70.74**	**356.89**
कुल व्यय	**87.91**	**359.71**

करपूर्व निवल लाभ(घाटा)	(17.17)	(2.82)
करपश्चात निवल लाभ(घाटा)	(17.18)	(2.11)
कुल वृहत आय	**(17.18)**	**(2.11)**
इक्विटी और ऋण स्थिति:-		
प्रति शेयर पूंजी	165.00	165.00
अन्य इक्विटी	(15.37)	1.81
धारक कंपनी से कर्जे (ऋण)	417.22	337.85
प्रति शेयर आमदनी (निरंतर प्रचालन हेतु)		
(प्रत्येक 10 रूपए का फेस मूल्य)		
(क) मूल (रूपए में)		
(ख) विलयित (रूपए में)	(1.04)	(0.13)

ग. प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर)

प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर) को बोर्ड रिपोर्ट के **अनुबंध-I** के रूप में संलग्न किया गया है।

घ. निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

निदेशक मंडल:

कंपनी के संगम अनुच्छेद (एओए) के अनुच्छेद-49 के अनुसरण में, आपकी कंपनी में निदेशक नियुक्त करने की शक्ति धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के पास है।

इस संदर्भ में, दिनांक 31 मार्च 2020 को धारक कंपनी ने अब तक, इरकॉन पीबीटीएल के निदेशक मंडल में पांच गैर-कार्यपालक नामिती निदेशकों को नामित किया है:

क्र.सं	निदेशक	नियुक्ति की तिथि	डीआईएन/पीएएन सं.
1.	श्री श्याम लाल गुप्ता, अंशकालीन अध्यक्ष	01.11.2019	07598920
2.	श्री अशोक कुमार गोयल, अंशकालीन निदेशक	30.09.2014	05308809
3.	श्री राजेन्द्र सिंह यादव, अंशकालीन निदेशक	03.03.2017	07752915
4.	सुश्री भुवनेश्वरी कृष्णन, अंशकालीन निदेशक	19.09.2019	07486148

<u>वर्ष 2019-20 के दौरान कार्यमुक्त होने वाले अन्य निदेशक</u>

(**i)** सुश्री अनुपम बेन अंशकालिक (निदेशक) दिनांक 30 अगस्त, 2019 तक

(**ii)** श्री आनंद कुमार सिंह अंशकालिक (निदेशक) दिनांक 4 सितंबर, 2019 तक

(**iii**) श्री दीपक सबलोक अंशकालिक (अध्यक्ष) दिनांक 31 अक्तूबर, 2019 तक

<u>प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी):</u>

कंपनी (प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 3 के अनुसरण में, कंपनी में निम्नानुसार तीन प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक यथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) तथा कंपनी सचिव (सीएस) हैं:-

वर्ष के दौरान पदमुक्त होने वाले प्रमुख प्रबंधन कार्मिक :

(**i)** श्री अतुल कुमार, सीएफओ, **(**8 अप्रैल 2019 तक)

(**ii)** श्री एम.के. शर्मा, सीईओ, **(**8 अप्रैल 2019 से 31 मई 2019 तक)

(**iii)** श्री संजय पोद्दार, सीएफओ, **(**10 अक्टूबर 2019 तक)

(**iv)** श्री भूषण कुमार, सीएफओ, **(**24 अक्टूबर 2019 से 3 फरवरी 2020 तक)

(**v)** सुश्री शुदोधनी शर्मा, कंपनी सचिव, **(**31 अक्टूबर 2019 तक)

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान नियुक्त कंपनी के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक हैं श्री अतुल कुमार, सीईओ (31 मई 2019 से पुनर्नियुक्त), श्री मंजूर मोहम्मद गौरी, सीएफओ **(**18 मार्च 20**20** से 11 अगस्त 2020 तक) और सुश्री अनुराधा कौशिक, सीएस (31 जनवरी 2020 से)।

इस रिपोर्ट की तारीख को सुश्री मीनाक्षी गर्ग को कंपनी के सीएफओ (11 अगस्त 2020 से) के रूप में नियुक्त किया गया है।

ड. निदेशक के उत्तरदायित्व का विवरण (डीआरएस)
(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(3)(ग) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 134(5) के अनुसार, निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि:

क) वार्षिक लेखे तैयार करने में सामग्री विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है।

ख) निदेशकों द्वारा ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया है और निरंतर लागू किया गया है और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे जो तर्कसंगत और विवकपूर्ण थे ताकि वर्ष के अंत में कंपनी की कार्य स्थिति तथा उक्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत हो सके।

ग) निदेशकों द्वारा परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा छल-कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे ''निरंतर'' आधार पर तैयार किए हैं।

ङ) निदेशकों ने यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं कि सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन किया जाए और कि इस प्रकार की प्रणालियां पर्याप्त और प्रभावपूर्ण रूप से प्रचालनिक थीं।

च. अंतर निगमित ऋण और निवेश (अनुच्छेद-185 तथा अनुच्छेद-186)

कंपनी ने कोई अंतर निगमित ऋण और निवेश नहीं किया हैं और इस प्रकार आज की तिथि को शून्य संव्यवहार हैं।

छ. वार्षिक रिपोर्ट का सार - एमजीटी-9

कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के साथ पठित अनुच्छेद 92(3) (अधिनियम की अनिवार्य अपेक्षा) के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट का साल **अनुबंध-II** पर उपलब्ध है।

ज. अनुच्छेद 188 के अंतर्गत संबंधित पक्ष संव्यवहार (आरपीटी) - फॉर्म सं. एओसी-2 में संबंधित पक्ष के साथ संविदाएं या व्यवस्थाएं

कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए गए संव्यवहारों के संबंध में प्रकटन फार्म संख्या एओसी-2 में कंपनी द्वारा **अनुबंध-III** के रूप में संलग्न है।

झ. लाभांश और आरक्षित निधियां

चूंकि कंपनी ने वाणिज्यिक टोलिंग प्रचालन मात्र फरवरी 2019 से आरंभ किया है, इसलिए निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कोई लाभांश प्रस्तावित नहीं किया है।

ट. जमा राशियां

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 तथा कंपनी (जमाराशियों की स्वीकृति) नियम, 2014 के अनुसरण में अपने सदस्यों से कोई जमा राशियां आमंत्रित नहीं की हैं।

ठ. सांविधिक लेखापरीक्षा और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक मैसर्स ए.एन.गर्ग एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, पंजीकृत कार्यालय - 309-310, अग्रवाल मिलेनियम टावर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034 थे। दिनांक 24 जुलाई 2020 को कंपनी के वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शून्य आपत्तियां थीं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 (6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि हेतु कंपनी को वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा न करने का निर्णय लिया था। इस संदर्भ में सी एंड एजी ने अपने दिनांक 28.08.2020 के पत्र सं. एसीएस.ऑडिट-आईपीबीटीएल/65-04/2020-21 के तहत दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 की अवधि के लिए कंपनी को गैर-समीक्षा प्रमाणपत्र (एनआरसी) जारी किया है।

ड. एमएसएमई प्रक्रिया का अनुपालन (वित्तीय वर्ष 2019-20)

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान एमएसइ के लिए जन प्रापण नीति के अनुपालन के मामले में 50,000/- रूपए के वार्षिक खरीद लक्ष्य की तुलना में एमएसएमई विक्रेताओं से 58,221/- रूपए की खरीद की है जो एमएसई से होने वाले वार्षिक खरीद लक्ष्य के 20% खरीद मानदंडों को पूरा करता है।

ढ. वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर निदेशक की टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण लेखों की वास्तविक और न्यायोचित स्थिति को दर्शाते हैं, और इन्हें लागू लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किया गया है और लेखांकन प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं।

कंपनी के निदेशकों ने गहनता से अपनी रिपोर्ट में सांवधिक लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए अवलोकनों तथा टिप्पणियों के साथ वित्तीय विवरणों का गहन मूल्यांकन किया है।

ण. पर्यावरण सुरक्षा तथा संरक्षण, ऊजा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन तथा आउटगो

वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजमार्ग के निर्माण के दौरान पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए एनएचएआई द्वारा निर्धारित अनुसार उपयुक्त और पर्याप्त उपाय किए गए हैं। रियायतग्राही के

रूप में कंपनी द्वारा पूरे किए जाने की शर्त के भाग के रूप में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वायु तथा जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों से संबंधित विभिन्न पर्यावरणीय कानूनों को विधिवत रूप से अनुपालन किया गया है।

विदेशी आमदनी और आउटगो कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि कंपनी विशुद्ध रूप से एनएचएआई द्वारा प्रदान की गई बीओटी आधारित परियोजना के निष्पादन के लिए उत्तरदायी है।

त. सचिवीय मानकों का अनुपालन

कंपनी आईसीएसआई द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानकों का सख्ती से अनुपालन कर रही है और नियमित रूप से इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

थ. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर सचिवीय लेखापरीक्षा और निदेशक की टिप्पणियां

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014, के नियम 9 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद-204 के प्रावधानों के अनुसरण में, सुश्री श्वेता जिंदल, साझेदार मैसर्स एस जिंदल एंड एसोसिएट्स (धारक एसोसिएट सदस्यता सं. एफ 10398 और अभ्यास प्रमाणपत्र (सीओपी) सं. 8879) को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

निर्धारित प्रारूप एमआर-3 में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षकों द्वारा जारी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट **अनुबंध-IV** पर संलग्न है।

द. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और इसकी उपयुक्तता

वित्तीय विवरणों से संबंधित आंतरिक लेखांकन नियंत्रण (आईएससी) स्वीकार की जाने वाली नीतियों और प्रक्रियाओं, परिसंपत्ति प्रावधान तथा व्ययों और आयों की रिकार्डिंग (वित्तीय रिपोर्टों) के अनुसरण में अपनाए जाने वाले उचित सुरक्षा उपायों से संबंधित हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 तथा कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, में प्रावधान है कि लेखापरीक्षकों द्वारा व्यवसाय के आकार तथा प्रकृति से आरंभ करते हुए कंपनी में मौजूदा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में अपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट उल्लेख किया जाएगा।

ऊपर उल्लिखित विषय के संबंध में, **भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखपरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट** की शर्तों के अनुसार यथापेक्षित इसके सभी

सामग्रीगत पहलुओं में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) विद्यमान है, जैसा कि समान रूप से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के सभी अनिवार्य घटक उपयुक्त पाए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 29 जुलाई 2019 को आयोजित अपनी 35वीं बोर्ड बैठक में कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) की समीक्षा की है और नोट किया है कि कंपनी में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) विद्यमान है।

ध. लागत लेखांकन रिकॉर्ड और लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 से लागत लेखांकन रिकॉर्ड बनाने की प्रक्रिया की विधिवत आरंभ कर दी है और वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए मैसर्स रवी साहनी एंड कंपनी को लागत लेखापरीक्षा फर्म के रूप में नियुक्त किया है। लागत लेखांकन फर्म द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की गई है।

यह कंपनी अधिनियम (लागत रिकार्ड और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनियों (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के अनुसार कंपनी अधिनियम की धारा- 148 के अंतर्गत उल्लिखित प्रावधानों के अनुपालन में है।

न. **जोखिम प्रबंधन**

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134 और डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 के अध्याय 3 के पैरा 3.6 के अनुपालन में, 'जोखिम के तत्वों, यदि कोई हो, की पहचान सहित कंपनी के लिए जोखिम प्रबंधन नीति के विकास और क्रियान्वयन को दर्शाने वाले एक विवरण को बोर्ड की रिपोर्ट के भाग के रूप में शामिल किए जाने की आवश्यकता है।

तदनुसार, चूंकि कंपनी एक **रियायतग्राही कंपनी** है, जो बीकानेर-फलोदी परियोजना के निष्पादन के लिए बनाई गई है, इस परियोजना से संबंधित जोखिम तत्वों की पहचान निम्नानुसार की गई है: -

परियोजना से संबंधित जोखित तत्व

क्र.सं	**जोखिम तत्व**	**विवरण**
3	**यातयात संबंधित राजस्व जोखिम**	वाणिज्यिक यातायात से राजस्व संभाव्यता अधिक है किन्तु यह आर्थिक चक्रों में उच्चावचन के अध्याधीन है।

प. कर्मचारी पारिश्रमिक पर प्रकटन

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद-197 के अनुसरण में, कंपनी के किसी भी कार्मिक को प्रति वर्ष 60 लाख रूपए या प्रति माह 5,00,000/- रूपए से अधिक का पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ था।

फ. निगमित शासन पर रिपोर्ट

निगमित शासन पर रिपोर्ट को इस रिपोर्ट के **अनुबंध-V** के रूप में संलग्न किया गया है। इसके अतिरिक्त मैसर्स एस जिंदल एंड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा जारी डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 के अनुपालन हेतु प्रमाणपत्र **अनुबंध-V क** के रूप में संलग्न है।

ब. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटन

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटन महिला कर्मचारियों वाले प्रत्येक संगठन पर लाग होता है। यदि एक संगठन में कुल कर्मचारियों की संख्या 10 से अधिक है तो, उक्त अधिनियम के अनुच्छेद 4 की शर्तों के अंतर्गत **"आंतरिक शिकायत समिति"** का गठन अपेक्षित है।

इसके संदर्भ में, इरकॉन पीबीटीएल की 18वीं बोर्ड बैठक में कार्यस्थल में महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के गठन पर चर्चा की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि इसकी कार्यव्यवस्था के लिए विशिष्ट संदर्भ शर्तों और कार्यविधियों व प्रक्रियाओंके अनुरूप इस समिति का गठन किया जाए।

भ. शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना

(i) प्रमुख नीतियां और विनियमन:-

कंपनी अपने अधिकारियों को शक्तियों के प्रत्यायोजन तथा उनकी संबंधित क्षमताओं में कार्मिकों को प्राधिकृत करने की दृष्टि से धारक कंपनी - इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा की जा रही नीतियों की तर्ज पर नीतियों का अनुसरण करती है।

कंपनी के बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति धारक कंपनी- इरकॉन के पास है, केवल अतिरिकत, वैकल्पिक या नैमेतिक निदेशकों को छोड़कर। इसके अतिरिक्त, कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 59 के अनुसार अध्यक्ष कंपनी के किसी महत्वपूर्ण विषयों पर धारक कंपनी - इरकॉन का निर्णय मान्य होगा, जिसे अध्यक्ष महसूस करे कि धारक कंपनी द्वारा निर्णय लिया जाना है।

(ii) लेखापरीक्षित इंड एएस वित्तीय परिणाम

कंपनी के लेखापरीक्षित इंड एएस वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2020 को तुलन पत्र, 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, सारांशित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ, लेखा टिप्पणियां और अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल है, जिसे दिनांक 24 जून 2020 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल की 42वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था, जैसा कि इस वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध कराया गया है।

(iii) सीईओ और सीएफओ प्रमाणन

प्रमुख कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) तथा मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) ने प्रमाणित किया है कि कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी के मामलों की सही और वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करता है और सभी सामग्रीगत सूचनाएं उपलब्ध कराता है। उक्त प्रमाणपत्र **अनुबंध-VI** के रूप में संलग्न है।

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के
निदेशक मंडल हेतु तथा की ओर से

ह/-
श्याम लाल गुप्ता
अध्यक्ष
डीआईएन: 07598920

दिनांक : 19.08.2020
स्थान : नई दिल्ली

अनुबंध-I

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर)

(i) औद्योगिक संरचना और विकास

सड़कों और राजमार्गों के निर्माण के संबंध में पिछले कुछ वर्षों में निर्माण उद्योग और अधिक विकास और पूंजी अंशदान की ओर बढा है, जिसके कारण एनएचएआई द्वारा प्रदान किए अनुसार बीओटी आधार पर ऐसी परियोजनाओं को विकसित और प्रचालित किया जा रहा है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ऐसी परियोजनाएं प्रदान कर रहा है जिससे निवेशक तथा ठेकेदार, अन्य उद्योगों, जहां सेवा प्रदाताओं के रूप में विकल्पों की उपलब्धता के साथ मांग और आपूर्ति कारक विद्यमान हैं, की तुलना में क्षेत्र के यातायात के आकलन के आधार पर घाटे या अनिश्चितताओं के कम जोखिम के साथ निरंतर आय अर्जित कर सकते हैं। यहां, जब ऐसी परियोजनाएं प्रदान की जाती हैं, वहां परियोजना के निष्पादन के लिए विश्वसनियता और वित्तीय स्थिति के अनुसार पक्षों को स्वीकृति पत्र जारी करने से पूर्व इनका सूक्ष्म रूप से मूल्यांकन किया जाता है, जिससे कि ऐसी परियोजनाओं से अनुमानित आमदनियां बाजार के उतार-चढाव से कम प्रभावित होंगी।

इस प्रकार, एनएचपीडी-चरण IV के अग्रणी कार्यक्रम के अंतर्गत एनएचएआई ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और विस्तार की चुनौती ली है। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए राजस्थान राज्य में बीकानेर-फलौदी खंड (एनएच-15) के चौड़ीकरण और सुदृढीकरण का कार्य करने के लिए एनएचएआई द्वारा निविदा फ्लोट की गई थी जिसमें इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन - 100% धारक कंपनी) ने भाग लिया और निष्पादन के लिए यह निविदा प्राप्त की तथा इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड नामक एसपीवी का निर्माण किया। औद्योगिक रूझानों पर आधारित इस परियोजना में विकास की संभावनाएं हैं और अर्थव्यवस्था में विद्यमान मुद्रास्फीति दरों के सापेक्ष में राजमार्ग ग्राहकों से भारी एकत्रण की संवर्धित संभावनाएं हैं।

(ii) शक्तियां और कमजोरियां

- **शक्तियां**

अवसंरचना के क्षेत्र में सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिए जाने के कारण, सड़क तथा राजमार्ग नेटवर्क के और अधिक विस्तारित होने की संभावना है, जिसमें अधिक से अधिक निवेश होगा। सड़क यातायात में अच्छे विकास से भारत सरकार के "मेक इन इंडिया" द्वारा प्राथमिकता क्षेत्रों के विकास के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और औद्योगिक गलियारों के कारण बेहतर संड़क संपर्कता और यातायात के सुगम प्रवाह की मांग

बढ़ेगी। अगले दो वर्षों में अधिक आर्थिक और औद्योगिक विकास के साथ राजमार्गों पर यातायात की विकास दर में वृद्धि होने की संभावना है। भारत में जनसंख्या में वृद्धि के साथ वर्ष 2020 तक सड़क यातायात की मांग में और वृद्धि होगी, जिसका अर्थ है कि इस क्षेत्र में और अधिक निवेश तथा अधिक प्रतिफल प्राप्त होगा।

- **कमजोरियां**

(i) प्रकृति में परिवर्तन का नुकसार है।.

(ii) राजमार्ग के निर्माण से संबंधित परियोजनाओं में समय पर आउटपुट प्रदान करने के संबंध में कुशलता की समस्याएं होती हैं।

(iii) पेट्रोलियम उत्पादों तथा प्राकृतिक सामग्रियों की कीमतों में वृद्धि के कारण असंभावित लागत वृद्धि।

(iii) अवसर तथा जोखिम

- **अवसर**

(i) सड़कों और राजमार्गों पर निरंतर बढ़ते वाहनों के कारण प्रचालनों में स्थिरता और विकास हुआ है तथा संबंधित लाभप्रदत्ता बढी है।

(ii) राजमार्ग परियोजनाओं के लिए अनुमानित लाभ-लागत विश्लेषण मॉडल के विकास से अन्य सेवाओं की तुलना में दीर्घकालीन अवधि में संभावित राजस्व (टोल आय) में वृद्धि में सहायता मिलेगी।

- **जोखिम**

(i) राजमार्ग परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब से न केवल परियोजना लागत में वृद्धि होगी बल्कि सीमित रियायत अवधि और ब्याज भुगतानों के संवर्धित बोझ के कारण राजस्व भी प्रभावित होंगे।

(ii) बीओटी परियोजनाओं में, इनपुटों को अनुमानित स्तरों पर अनुरक्षित रखा जाना होता है और उतारचढाव की कम संभावना के साथ यातयात के पूर्वानुमानों को प्राप्त किया जाना होता है।

(iii) भूमि दायित्व मुद्दे के कारण प्राधिकरण- एनएचएआई से रियायतग्राही कंपनी को भूमि सौंपनेमें विलंब हुआ।

(iv) आउटलुक

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) अपनी अग्रणी परियोजना ''राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)'' के अंतर्गत और अधिक राजमार्ग परियोजनाएं प्रदान करके तथा निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करके और विकास के लिए सृजनात्मक प्रौद्योगिकियों के प्रयोग द्वारा निर्माण उद्योग को और बल प्रदान करेगा।

(v) जोखिम और चिंता

- कार्यनिष्पादन प्रबंधन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।
- निर्माण परियोजनाओं के लिए मौजूदा जोखिम आकलन मॉडल विकसित देशों में अनुसरण की जा रही पद्धतियों के अनुरूप नहीं हैं।

(vi) **प्रचालनिक कार्यनिष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा**

कंपनी ने अब प्रचालन और रखरखाव चरण अर्थात वाणिज्यिक टोल प्रचालन में प्रवेश कर लिया है और फरवरी 2019 - अनन्तिम वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (अनंतिम सीओडी) से टोल राजस्व अर्जित करना शुरू कर दिया है। बीकानेर फलोदी राजमार्ग परियोजना का काम पूरा हो गया है और यह एनएचएआई द्वारा सीओडी जारी करने की प्रक्रिया के तहत है। इसके अतिरिक्त, फरवरी 2019 से 31 मार्च 2020 तक टोल प्रचालन से होने वाली आय 4.89 करोड़ रूपए है। कोविड-19 के कारण राजस्व एकत्रण पर प्रभाव पड़ा है।

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के
निदेशक मंडल हेतु तथा की ओर से

ह/-
श्याम लाल गुप्ता
अध्यक्ष
डीआईएन: 07598920

दिनांक : 19.08.2020
स्थान : नई दिल्ली

अनुबंध – II

फॉर्म सं.एमजीटी 9

वार्षिक रिटर्न का सार

31.03.2020 को समाप्त वित्त वर्ष हेत

[कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 92(3) तथा कंपनी (प्रशासन और प्रबंधन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में]

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरा:

1.	**सीआईएन**	यू45400डीएल2014जीओआई272220
2.	**पंजीकरण तिथि**	30 सितंबर, 2014
3.	**कंपनी का नाम**	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड
4.	**कंपनी की श्रेणी/उपश्रेणी**	सरकारी कंपनी (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
5.	**पंजीकृत कार्यालय का पता व संपर्क ब्यौरा**	पता: सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली -110017
6.	**कंपनी सूचीबद्ध है या गैर-सूचीबद्ध**	गैर-सूचीबद्ध कंपनी
7.	**रजिस्ट्रार तथा हस्तांतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम तथा संपर्क ब्यौरा**	लागू नहीं

II. कंपनी की प्रधान व्यवसायिक गतिविधियां: (कंपनी की सभी व्यवसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है जो कंपनी के कुल टर्नओवर का 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान करती हैं।)

क्र.सं	**मुख्य उत्पाद व सेवा का नाम**	**उत्पाद/सेवाओं का एनआईसी कोड**	**कंपनी के कुल टर्नओवर का %**
1.	राजस्थान राज्य में बीकानेर-फलौदी खंड (राष्ट्रीय राजमार्ग-15) पर राजमार्ग परियोजना के निर्माण के रूप में सेवाएं प्रदान करना : निर्माण सेवाएं: राजमार्ग परियोजना (ईपीसी ठेकेदार के माध्यम से)	42101	100%

III. धारक, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों का विवरण :

क्र.सं	**कंपनी का नाम व पता**	**सीआईएन/जीएलएन**	**धारक/सहायक/ संबद्ध कंपनियों**	**धारित शेयरों का प्रतिशत**	**लागू अनुच्छेद**
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	यू45203डीएल1976जीओआई008171	धारक कंपनी	100% *	अनुच्छेद 2(46)

*** 100% शेयर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) तथा इसके 08 नामितियों के पास हैं।**

IV. शेयर धारिता पैटर्न

(कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

क) श्रेणीवार शेयर धारिता:

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या [01 अप्रैल 2019 को]				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या [31 मार्च 20209 को]				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रमोटर									
(1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत/ एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) राज्य सरकार(सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) निकाय निगम#	**शून्य**	165000000	165000000	100%	**शून्य**	165000000	165000000	100%	**शून्य**
ड.) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रमोटरों की कुल शेयरधारिता (क)	**शून्य**	**165000000**	**165000000**	**100%**	**शून्य**	**165000000**	**165000000**	**100%**	**शून्य**
ख. जन शेयरधारिता									
1. संस्थान									
क) म्युचवल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक / वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार (सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड.) उपक्रम पूंजी निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेशी उपक्रम पूंजी निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) अन्य (बताएं)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

उप कुल (ख)(1):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर-संस्थागत									
क) निकाय निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) 1 लाख रूपए तक सांकेतिक शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) 1 लाख रूपए से अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अप्रवासी भारतीय विदेशी निगमित निकाय	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
विदेशी राष्ट्रीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्लियरिंग सदस्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ट्रस्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी निकाय-डीआर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उपकुल(ख)(2):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख)(1)+ (ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर तथा एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सकल योग (क+ख+ग)	**शून्य**	**165000000**	**165000000**	**100%**	**शून्य**	**165000000**	**165000000**	**100%**	**शून्य**

 # निकाय निगम: 100% शेयरधारिता निगमित निकाय - इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और इसके 08 नामितियों के पास है।

ख) प्रमोटरों की शेयरधारिता:

क्र.सं	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता % में परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में प्रतिभूति/ऋण युक्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में प्रतिभूति/ ऋणयुक्त शेयरों का %	
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड$	165000000	100%	शून्य	165000000	100%	शून्य	शून्य
	कुल	165000000	100%	शून्य	165000000	100%	शून्य	शून्य

$ प्रमोटरों की शेयरधारिता: कंपनी प्रत्येक 10 रूपए के 16,50,00,000 इक्विटी शेयरों के साथ कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है अर्थात सम्पूर्ण शेयरधारिता भारतीय प्रमोटरों के पास है।

पब्लिक लिमिटेड कंपनी के निगमन के लिए और सामान्य बैठकों के लिए न्यूनतम 05 सदस्यों की उपस्थिति की गणपूर्ति हेतु अनिर्वा अपेक्षा के अनुसार अन्य 08 सदस्यों इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के नामिति हैं।

ग) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन :

क्र.सं	विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता*		वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता *	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष के आरंभ में	165000000	100%	165000000	100%
2.	वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):	शून्य			
3.	वर्ष के अंत में	165000000	100%	165000000	100%

*** 01 अप्रैल से 31 मार्च तक आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष को दर्शाता है।**

घ) दस शीर्ष शेयरधारों की शेयरधारिता पैटर्न :

(निदेशकों, प्रमोटरों तथा जीडीआर व एडीआर के धारकों से इतर):

क्र.सं	प्रत्येक 10 शीर्ष शेयरधारकों हेतु	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता*		वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता *	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष के आरंभ में	लागू नहीं।			
2.	वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):				
3.	वर्ष के अंत में				

ड.) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

प्रत्येक निदेशक (निदेशकों) और प्रत्येक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता	वित्तीय वर्ष 2019-20 के आरंभ में शेयरधारिता		वित्तीय वर्ष 2019-20 के के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता *	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
वर्ष के आरंभ में (01-04-2019)				
वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):				
वर्ष के अंत में (31-03-2020)				

$ इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) के लिए और की ओर से कंपनी के निदेशकों यथा श्री अशोक कुमार गोयल, श्री राजेन्द्र सिंह यादव द्वारा प्रति 10 रूपए के 100 इक्विटी शेयर धारित हैं और कंपनी के अध्यक्ष यथा श्री एस एल गुप्ता द्वारा प्रति 10 रूपए के 200 शेयर धारित हैं।

च) ऋणग्रस्तता – कंपनी की ऋणग्रस्तता में बकाया/संचित किन्तु भुगतान के अदेय ब्याज शामिल है।

(रूपए करोड में)

विवरण	**जमा राशियों सहित रक्षित ऋण**	**अरक्षित ऋण**	**जमा राशियां**	**कुल ऋणग्रस्तता**
वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता	240.85			240.85
i) मूल राशि				
ii) देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज				
iii) संचित किन्तु अदेय ब्याज				
कुल (i+ii+iii)	240.85			240.85
वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
* संवर्धन	97.00	-	-	97.00
* आवर्धन				
निवल परिवर्तन	97.00	-	-	97.00
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
i) मूल राशि	337.85	-	-	337.85
ii) देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज	-	-	-	-
iii) संचित किन्तु अदेय ब्याज	-	-	-	-
कुल (i+ii+iii)	337.85	-	-	337.85

V. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक -

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालीन निदेशकों तथा/या प्रबंधक का पारिश्रमिक:

क्र.सं	**परिश्रमिक का विवरण @**	**एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम**				**कुल राशि**
1.	सकल वेतन					
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	-	-	-	-	-
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	-	-	-	-	-
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	-	-	-	-	-
2.	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-	-	-

3.	स्वीट क्विटी	-	-	-	-	-
4.	कमिशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, बताएं...	-	-	-	-	-
5.	अन्य, कृपया बताएं	-	-	-	-	-
	कुल (क) $	**शून्य**				
	अधिनियम के अनुसार सीमा	**लागू नहीं**				

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक:

क्र.सं	**पारिश्रमिक का विवरण @**	**निदेशकों का नाम**				**कुल राशि**
		-----	**----**	**----**	**---**	
1	स्वतंत्र निदेशक					
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क					
	कमिशन					
	अन्य, कृपया बताएं					
	कुल (1)	**लागू नहीं**				
2	अन्य गैर कार्यपालक निदेशक					
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क					
	कमिशन					
	अन्य, कृपया बताएं					
	कुल (2)					
	कुल (ख)=(1+2) $	**लागू नहीं**				
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	शून्य				
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीलिंग	**लागू नहीं**				

$ कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशक: वित्तीय वर्ष 2019-20 के समापन पर कंपनी में पांचगैर कार्यपालक (नामिति) निदेशक कंपनी के बोर्ड मं हैं जो बैठक शुल्क या कमिशन के रूप में शुन्य पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे हैं।

ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक (प्रबंध निदेशक /प्रबंधक /डब्ल्येटीडी) का पारिश्रमिक:

(रूपए लाख में)

क्र.सं	**पारिश्रमिक का विवरण**	**प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक**							
		सीईओ		**सीएस**		**सीएफओ**			**कुल**
		श्री एम.के. शर्मा	**श्री अतुल कुमार**	**सुश्री सुदोधनी शर्मा**	**सुश्री अनुराधा कौशिक**	**श्री संजय पोद्दार**	**श्री भूषण कुमार**	**श्री मंजुर मोहम्मद गौरी***	
1	सकल वेतन								
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	2,92,022	38,39,241	3,24,581	1,00,800	16,67,935	5,31,790		67,56,369
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य		-						
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	-	-	-	-				
2	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-	-				
3	स्वीट क्विटी	-	-	-	-				
4	कमिशन - लाभ के % के रूप में अन्य, बताएं...	- -	- -	- -	- -				
5	अन्य, कृपया बताएं	-	-	-	-				
	कुल	2,92,022	38,39,241	3,24,581	1,00,800	16,67,935	5,31,790		67,56,369

* श्री मंजूर मोहम्मद गौरी को इरकॉन (धारक कंपनी) द्वारा दिनांक 18 मार्च 2020 से सीएफओ के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था और मार्च माह के लिए धारक कंपनी से वेतन का भुगतान किया गया था।

VI. जुर्माना/दंड/अपराधों की आवृति:

प्रकार	**कंपनी अधिनियम का अनुच्छेद**	**संक्षिप्त विवरण**	**जुर्माना/दंड/अपराधों की आवृति का ब्यौरा**	**प्राधिकार [आरडी /एनसीएलटी /न्यायालय]**	**की गई अपील, यदि कोई है(ब्यौरा दें)**
क. कंपनी					
जुर्माना	**शून्य***				
दंड					
कंपाउंडिंग					
ख. निदेशक					
जुर्माना	**शून्य***				
दंड					
कंपाउंडिंग					
ग. चूककर्ता अन्य अधिकारी					
जुर्माना	**शून्य***				
दंड					
कंपाउंडिंग					

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के
निदेशक मंडल हेतु तथा की ओर से

ह/-
श्याम लाल गुप्ता
अध्यक्ष
डीआईएन: 07598920

दिनांक : 19.08.2020
स्थान : नई दिल्ली

अनुबंध – III

फार्म सं. एओसी-2

कंपनी अधिनियम,2013 के अनुच्छेद 188 के उप-अनुच्छेद (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं तथा इसके तीसरे प्रावधान के अंतर्गत कतिपय आर्मस लैंथ संव्यवहारों के विवरण के प्रकटन के लिए फार्म

अधिनियम के अनुच्छेद 134 के उप-अनुच्छेद (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसरण में)

I) आर्म लैंथ आधार पर न की गई संविदाएं या व्यवस्थाएं या संव्यवहार : शून्य।

II) आर्म लैंथ आधार पर न की गई संविदाएं या व्यवस्थाएं या संव्यवहार : निम्नानुसार।

क्र.सं.	संबंधित पक्ष का एवं संबंध की प्रकृति	संविदा/व्यवस्थाओं /संव्यवहारों की प्रकृति	संविदा/व्यवस्थाओं /संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदा/व्यवस्थाओं /संव्यवहारों की प्रमुख शर्तें	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (तिथियां), यदि कोई हो:	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई
1.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी)	**(क) ईपीसी करार** (परियोजना सुविधाओं के विकास सहित प्रदान किए गए कार्य के कार्यक्षेत्र के अनुसार चार या दो लेन परियोजना राजमार्ग के निर्माण कार्य के लिए परियोजना के निष्पादन हेतु ईपीसी कांट्रैक्टर के रूप में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के रूप में नियुक्त किया गया है।	**तिथि:**ईपीसी करार के निष्पादन की तिथि: 19.01.2015 **अवधि:** 30 माह (ईपीसी कांट्रैक्टर द्वारा निर्माण की अवधि) 1. 12.06.2015 को प्रविष्ठ परिशिष्ट-। 2. 29.03.2016 को प्रविष्ठ परिशिष्ट-2 3. 05.08.2016 को प्रविष्ठ परिशिष्ट-3 4. 06.07.2017 को प्रविष्ठ परिशिष्ट-3 5. 05.04.2019 को प्रविष्ठ परिशिष्ट-।	ईपीसी करारार्के के परिशिष्ट सं. 1, 2, 3, 4 को परियोजना राजमार्ग के विकास के निष्पादन के लिए 646 करोड़ रूपए के मूल्य हेतु संविदा को निष्पादित किया गया है। ईपीसी करारा के परिशिष्ट सं. 5 को 767.48 करोड रूपए की परियोजना मूल्य की मूल कुल लागत को बनाए रखन के लिए संशोधित भुगतान अनुसूची को शामिल करने के लिए किया गया है।	ईपीसी करार - 05.01.2015 परिशिष्ट-1: 12.03.2015 परिशिष्ट-2: 23.03.2015 परिशिष्ट-3: 22.07.2016 परिशिष्ट-4: 13.06.2017 परिशिष्ट-5: 25.03.2018	शून्य

		(ख) पट्टा करार (कार्यालय परिसरों के प्रयोग के लिए किराया)	तिथि: पट्टा किराया दिनांक 22.06.2018 और 10.06.2020 (नवीकृत) अवधि: दिनांक 01.04.2018 से 3 वर्ष	इरकॉन के निगमित कार्यालय के भीतर पट्टगत परिसरों हेतु 19,305 रूपए के मासित आधार पर 65 वर्ग फुट X 297 रूपए प्रति वर्ग फुट की दर से पट्टा किराया और नवीकरण पर 10 प्रतिशत वृद्धि।	लागू नहीं	शून्य

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के
निदेशक मंडल हेतु तथा की ओर से

ह/-
श्याम लाल गुप्ता
अध्यक्ष
डीआईएन: 07598920

दिनांक : 19.08.2020
स्थान : नई दिल्ली

एस जिंदल एंड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

फार्म सं. एमआर-3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

(31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु)

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं.9 के अनुसरण में)

सेवामें,

सदस्य,
इरकॉन पीबीटीएल इंटरनेशनल लिमिटेड,
सीआईएन: यू45400डीएल2014जीओआई272220
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली-110017

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और **इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड** (जिसे यहां आगे ''कंपनी'' कहा जाएगा) द्वारा अच्छी निगमित पद्धतियों के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई थी जिससे हमें निगमित आचरण /सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और इन पर अपने विचारों को अश्विय्क्त करने के लिए आधार मिला है।

कंपनी की बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट देते हैं कि हमारे मतानुसार, कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रकियाएं भी हैं और उस स्तर तक तथा उस रुप में अनुपालन तंत्र विद्यमान है और यहां आगे उल्लिखित रिपोर्टिग के अध्याधीन हैः

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि के लिए इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड द्वारा अनुरक्षित बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच की हैः

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमः

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और इसके तहत बनाए गए नियम;

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और इसके अंतर्गत निर्मित विनियमों और उपनियमों;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत निर्मित नियम और विनियम जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक जारी किए गए हैं;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2009 और समय-समय पर संशोधन;

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999 / भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;

(ड.) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008;

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इश्यू और शेयर अंतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम 1993 जो कंपनी अधिनियम और कंपनी के साथ संव्यवहार से संबंधित है।

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का वितरण) विनियम, 2009;

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद) विनियम, 1998; तथा

(ट) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करने की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015

हमनें निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

i. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानक।

ii. कंपनी ने किसी स्टॉक एक्सचेंज (स्टॉक एक्सचेंजों) के साथ कोई सूचीकरण करार नहीं किया है, इसलिए कंपनी द्वारा किसी सूचीकरण करार का अनुपालन किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

हमने कंपनी द्वारा लागू अधिनियमों, नियमों, कानूनों और विनियमों के अनुपालन के लिए कंपनी द्वारा गठित प्रणालियों और तंत्रों हेतु कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व पर विश्वास किया है।

हमने प्रत्यक्ष वित्तीय और अप्रत्यक्ष कर कानूनों और उनके विनियामक अनुपालन जैसे लागू वित्तीय कानूनों के कंपनी द्वारा अनुपालन की जांच नहीं की है, क्योंकि यह वैधानिक वित्तीय लेखापरीक्षा और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अध्यधीन है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम आगे यह भी सूचित करते हैं कि:

बोर्ड की बैठकों में शामिल होने के लिए निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया गया है, बैठक की कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजा गया था, और बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी की प्रणाली विद्यमान है।

बोर्ड की बैठक और समिति की बैठकों में सभी निर्णय सर्वसम्मति से किए जाते हैं जैसा कि बोर्ड के निदेशक मंडल या समिति की बैठकों के मिनटों में दर्ज किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

निदेशक मंडल को अपने बोर्ड में केवल गैर कार्यपालक निदेशकों के साथ धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा नामांकन आधार पर कंपनी में नियुक्त किया गया है।

हम आगे सूचित करते हैं कि कंपनी में वर्ष के दौरान अपनी धारक कंपनी से 122.74 करोड रूपए की राशि का अतिरिक्त रक्षित ऋण प्राप्त हुआ है। अतिरिक्त रक्षित ऋणों के संबंध में, कंपनी ने परिसंपत्तियों पर प्रभार नहीं लगाया है। जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है, अतिरिक्त रक्षित ऋण धारक कंपनी से विशेष सहायता की प्रकृति में है (जिसमें इरकॉन पीबीटीएल में 100 प्रतिशत शेयर धारित है)

और इसकी व्यापक राशि धारक कंपनी को वापस कर दी गई है। इस अतिरिक्त रक्षित ऋण पर प्रभार के सृजन के संबंध में प्रबंधन द्वारा विचार किया जा रहा है।

हम आगे सूचित करते हैं कि कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुसार उपयुक्त प्रणाली और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

कृते एस जिंदल एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/-
श्वेता जिंदल - एफसीएस
सदस्यता सं: एफ10398
सीओपी: 8879
यूडीआईएन: एफ010398बी000589581

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 17.08.2020

अनुबंध – V

निगमित शासन रिपोर्ट

1. कंपनी का दर्शन और शासन

इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है, जिसने अपने गठन से ही अपने निर्णय-निर्धारण और कार्यों में सत्यनिष्ठा, जवाबदेही, उपयुक्त प्रकटन और अनुपालन, पारदर्शिता का अनुपालन करने पर ध्यान केन्द्रित किया है। विविध सांविधिक प्राधिकरणों को समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने और निगमित प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने के लिए प्रक्रियाएं और प्रणालियां अपनाई गई हैं और उन्हें निर्धारित किया गया है। कंपनी द्वारा धारक कंपनी, इरकॉन की तर्ज पर निगमित कार्य और शासन तंत्रों के प्रबंधन के लिए कार्मिकों के मध्य क्रियात्मक आधारित भूमिकाएं सौंपी हैं। रिपोर्ट में इरकॉन पीबीटीएल में कॉर्पोरेट प्रशासन प्रणालियों और प्रक्रियाओं का विवरण है।

कंपनी के शेयरधारकों और अन्य स्टेकधारकों के हितों की रक्षा के लिए कंपनी की कार्यप्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण रखकर सुशासन का अनुसरण किया जा रहा है।

2. निदेशक मंडल

(क) दिनांक 31 मार्च 2020 को निदेशक मंडल की संरचना:-

कंपनी के संगम अनुच्छेदों (एओए) के अनुच्छेद-49 के अनुसार, निदेशक को नियुक्त करने की शक्ति धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) के पास है। तदनुसार, धारक कंपनी ने, इरकॉन पीबीटीएल के बोर्ड में निम्नलिखित गैर-कार्यपालक निदेशकों (अंशकालिक निदेशक) को नामांकन के माध्यम से नियुक्त किया है। दिनांक 31 मार्च 2020 को निदेशक मंडल का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं	निदेशक का नाम एवं डिन	अन्य कंपनियों में निदेशक पदों की संख्या	कंपनियों / निकाय निगमों में समिति की सदस्यता (इरकॉन पीबीटीएल को छोड़कर)	
			अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
1.	श्री श्याम लाल गुप्ता अंशकालीन अध्यक्ष (डिन: 07598920) (01.11.2019 से)	1. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड 2. छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड 3. छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड 4. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड **5.** बस्तर रेल प्राइवेट लिमिटेड 6. इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड 7. इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड 8 .इरकॉन देवांगरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड	शून्य	3
2.	श्री राजेन्द्र सिंह यादव अंशकालीन निदेशक (डिन:07752915)	1. इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड 2. इरकॉन देवांगरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड 3. इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	2	2
3.	श्री अशोक कुमार गोयल अंशकालीन निदेशक (डिन:05308809)	1. इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड 2. इरकॉन देवांगरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड 3. इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड 4. इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड	2	2
4.	सुश्री भुवनेश्वरी कृष्णन (डिन: 07486148) (19.09.2019 से)	शून्य	2	शून्य

(ग) **वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान तथा इस रिपोर्ट की तारीख तक पदमुक्त होने वाले**

निदेशक का नाम एवं पदनाम	**कंपनियों/निकाय निगमों में निदेशक पद (इरकॉन पीबीटीएल को छोडकर)**	**कंपनियों / निकाय निगमों में समिति की सदस्यता (इरकॉन पीबीटीएल को छोड़कर)**	
		अध्यक्ष के रूप में	**सदस्य के रूप में**
श्री दीपक सबलोक अंशकालीन निदेशक [डिन 03056457]	1. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड 2. छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड 3. छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड 4. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड **5.** बस्तर रेल प्राइवेट लिमिटेड 6. इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड 7. इरकॉन देवांगरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड 8. इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	1	5
	9. इरकौन सोमा टोलवे प्रा.लि.		
श्री आनन्द कुमार सिंह अंशकालीन निदेशक [डिन 07018776]	1. इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड 2. इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड 3. इरकॉन देवांगरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड	2	3
सुश्री अनुपम बेन अंशकालीन निदेशक [डिन 07797026]	1. इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड 2. इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड 3. इरकॉन देवांगरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड	1	शून्य

<u>नोट:</u>

I. कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निदेशक पदों की संख्या 20 कंपनियों (जिसमें से अधिकतम 10 सार्वजनिक कंपनियां हैं) की अधिकतम सीमा के भीतर है।

II. कोई भी निर्देशक एक-दूसरे से संबंधित नहीं हैं।

III. किसी भी निदेशक का कंपनी के साथ कोई विशिष्ट संबंध या संव्यवहार नहीं है।

IV. निदेशकों के पद / समिति की सदस्यता निदेशकों से प्राप्त नवीनतम खुलासे पर आधारित है।

V. सभी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की लेखापरीक्षा समितियों की सदस्यता पर विचार किया गया है।

VI. समिति सदस्यता की संख्या डीपीई कॉरपोरेट शासन दिशानिर्देश, 2010 (डीपीई दिशानिर्देश) के तहत पांच निदेशकों की अनुमत सीमा के भीतर है। उक्त सीमा के लिए केवल लेखापरीक्षा समिति की गणना जाएगी।

(ग) वर्ष के दौरान आयोजित एजीएम और बोर्ड बैठकें :

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की नौ बैठकें आयोजित की गईं:

दिनांक 8 अप्रैल 2019, 2 मई 2019, 20 मई 2019, 29 जुलाई 2019, 23 अगस्त 2019, 19 सितंबर 2019, 24 अक्तूबर 2019, 03 दिसंबर 2019, 31 जनवरी 2020. बोर्ड की कोई भी बैठक 120 से अधिक दिनों के अंतराल के साथ नहीं हुई थी।

क्र.सं	**बोर्ड बैठक की तारीख**	**बोर्ड की संख्या**	**उपस्थित निदेशकों की संख्या**
1.	8 अप्रैल 2019	5	4
2.	2 मई 2019	5	5
3.	20 मई 2019	5	5
4.	29 जुलाई 2019	5	5
5.	23 अगस्त 2019	5	4
6.	19 सितंबर 2019	4	4

7.	24 अक्तूबर 2019	4	4
8.	3 दिसंबर 2019	4	4
9.	31 जनवरी 2020	4	3

(घ) वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों और वार्षिक आम बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति के संबंध में विवरण निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत की गई हैं:

निदेशक का नाम व पदनाम	**आयोजित बोर्ड बैठक की संख्या**		**26 अगस्त 2019 को आयोजित पिछली वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थिति**
	उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित	**उपस्थिति**	
श्री दीपक सबलोक अंशकालीन अध्यक्ष (31 अक्तूबर 2019)	7	7	हां
श्री श्याम लाला गुप्ता अंशकालीन अध्यक्ष (01 नवंबर 2019)	2	2	*
श्री अशोक कुमार गोयल अंशकालीन निदेशक	9	8	हां
श्री आनन्द कुमार सिंह अंशकालीन निदेशक (04 सितंबर 2019 तक)	5	5	हां
श्री राजेन्द्र सिंह यादव अंशकालीन निदेशक	9	8	हां
सुश्री अनुपम बेन अंशकालीन निदेशक (30 अगस्त 2019 तक)	5	5	हां
सुश्री भुवनेश्वरी कृष्णन अंशकालीन निदेशक (19 सितंबर 2019)	4	4	*

*पिछली एजीएम की तारीख को संबंधित व्यक्ति इरकॉन पीबीटीएल के निदेशक नहीं थे।

3. बोर्ड समितियां:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013, डीपीई कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन और अन्य अपेक्षाओं के तहत, निदेशक मंडल ने निम्नलिखित समितियों का गठन किया है:

I. लेखापरीक्षा समिति
II. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता समिति
III. नामांकन और पारिश्रमिक समिति
IV. आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी)

3.1 लेखापरीक्षा समिति*

1. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की छह बैठकें दिनांक 2 मई 2019, 20 मई 2019, 29 जुलाई 2019, 23 अगस्त 2019, 24 अक्टूबर 2019, 31 जनवरी 2020 को आयोजित की गईं।

2. संरचना:

समिति का पुनर्गठन पिछली बार दिनांक 19 सितंबर 2019 को किया गया था, जिसमें निम्नलिखित निर्देशक शामिल थे:

समिति के सदस्य	**पदनाम**
सुश्री भुवनेश्वरी कृष्णन अंशकालीन निदेशक	अध्यक्ष
श्री ए.के.गोयल अंशकालीन निदेशक	सदस्य
श्री आर.एस.यादव अंशकालीन निदेशक	सदस्य

3. संदर्भ की शर्तें:-

(i) कंपनी की सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक की सिफारिश;

(ii) तिमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणों तथा उसपर बोर्ड की स्वीकृति पूर्व लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा और जांच;

(iii) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा संबंधी लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा;

(iv) सांविधिक लेखापरीक्षाओं द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवाओं के लिए उन्हें भुगतान की स्वीकृति;

(v) संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेन को अनुमोदन या तत्पश्चात संशोधन;

(vi) अंतर-निगमित ऋण और निवेश की जांच;

(vii) जहां भी आवश्यक हो, कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन;

(viii) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन; और आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा;

(ix) आंतरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की उपयुक्तता की समीक्षा;

(x) सार्वजनिक प्रस्तावों और संबंधित मामलों के माध्यम से एकत्र धनराशि के अंतिम उपयोग की निगरानी करना।

3.2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)*

1. संरचना :

समिति का पुनर्गठन पिछली बार दिनांक 19 सितंबर 2019 को किया गया था, जिसमें निम्नलिखित निर्देशक शामिल थे:

समिति के सदस्य	**पदनाम**
सुश्री भुवनेश्वरी कृष्णन अंशकालीन निदेशक	अध्यक्ष
श्री ए.के.गोयल अंशकालीन निदेशक	सदस्य
श्री आर.एस.यादव अंशकालीन निदेशक	सदस्य

2. संदर्भ की शर्तें:-

क. नामांकन और पारिश्रमिक समिति-

I. डीपीई और अन्य सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन (निदेशक पद से एक स्तर नीचे) और अन्य कार्मिकों के चयन की नीतियों की समीक्षा;

II. निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक के सबंध में बोर्ड को एक नीति की सिफारिश करना।

III. समय समय पर कंपनी अधिनियम या डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा शामिल कोई अन्य कार्य।

* **डीपीई कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में एमसीए की छूट अधिसूचना और डीपीई द्वारा प्रदान छूट के अनुसरण में, बोर्ड द्वारा दिनांक 31 जनवरी 2020 को आयोजित अपनी बैठक में लेखा परीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति को निरस्त कर दिया गया है। ।**

3.3 सीएसआर और संधारणीयता (सीएसआर-एसवाई) समिति एवं सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 (कार्पोरेट सामाजिक दायित्व) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार, दिनांक 8 फरवरी 2017 को बोर्ड की 19वीं बैठक में बोर्ड की **'सीएसआर और संधारणीयता समिति'** (सीएसआर-एसवाई) को अनुमोदन प्रदान किया गया।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, सीएसआर-एसवाई समिति की एक बैठक दिनांक 2 मई 2019 को आयोजित की गई थी। समिति को अंतिम बार दिनांक 19 सितंबर 2019 को पुनर्गठित किया गया था और इस तिथि पर निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

समिति के सदस्य	**पदनाम**
श्री ए.के.गोयल अंशकालीन निदेशक	अध्यक्ष
सुश्री भुवनेश्वरी कृष्णन अंशकालीन निदेशक	सदस्य
श्री आर.एस.यादव अंशकालीन निदेशक	सदस्य

4. <u>आम बैठकें</u>

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित आम बैठकों का ब्यौरा नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

क्र.सं	**शेयरधारक बैठकों का प्रकार**	**बैठक की तिथि**	**विशेष कार्य**
1.	दूसरी असाधारण आम बैठक (ईजीएम)	20 मई 2019	कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 180(1)(ग) के अंतर्गत प्रदत्त शेयर पूंजी और मुक्त आरक्षित निधियों से ऊपर कंपनी की ऋण लेने की शक्तियां
2	पांचवी वार्षिक आम बैठक (एजीएम)	26 अगस्त 2019	लागू नहीं

5. प्रकटन और सांविधिक अनुपालन :-

बोर्ड द्वारा व्यवसायिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए नामित अधिकारियों के विशिष्ट प्रत्यायोजन और प्राधिकरण की सुस्पष्ट नीति का अनुसरण करते निदेशक के हित, संबंधित पक्ष संव्यवहारों, सांविधिक रजिस्टरों के अनुरक्षण सं संबंधित पर्याप्त प्रकटनों को प्रस्तुत किया गया है और आवधिक रूप से निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया है ताकि सुज्ञात निर्णय लिए जा सकें। प्रकटनों, सूचनाओं, आवंटनों और नियुक्तियों के संबंध में एमसीए सूचनाएं समयबद्ध आधार पर की जाती हैं और कोई मामला लंबित नहीं है।

6. सीईओ / सीएफओ प्रमाणन द्वारा अनुपालन प्रमाणपत्र

मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी ने वित्तीय विवरणों की सत्यता और निष्पक्षता, उचित अनुपालन, और वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में लिखित रूप में प्रमाणित किया है जो निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत गया था (इस रिपोर्ट में **"अनुबंध"** के रूप में प्रस्तुत है)।

7. कॉर्पोरेट शासन दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए प्रमाणपत्र

डीपीई दिशानिर्देश, 2010 कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट शासन दिशानिर्देशों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों या पेशेवर कंपनी सचिव से प्राप्त किए जाने वाले प्रमाणपत्र को निर्धारित करता है।

कॉर्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में पेशवर कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाणपत्र को इस रिपोर्ट में **"अनुबंध"** के रूप में संलग्न किया गया है।

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के
निदेशक मंडल हेतु तथा की ओर से

ह/-
(श्याम लाल गुप्ता)
अध्यक्ष
डीआईएन: 07598920

दिनांक : 19.08.2020
स्थान : नई दिल्ली

एस जिंदल एंड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई), 2010 के निगमित शासन दिशानिर्देशों के अधीन कार्पोरेट शासन की शर्तों सहित अनुपालन संबंधित प्रमाणपत्र

सेवा में,

सदस्य,

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटिड,

सीआईएन: यू45400डीएल2014जीओआई272220

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,

नई दिल्ली-110017

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 2(45) (कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 2(18) तथा 617) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी होने के कारण **इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन: यू45400डीएल2014जीओआई272220)** को सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन दिशानिर्देशों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

हमने निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत उक्त कंपनी के कार्पोरेट शासन की रिपोर्ट का अध्ययन किया है। हमने कंपनी द्वारा अनुरक्षण किए गए संगत रिकार्डों एवं दस्तावेजों की भी जांच की है और इस संबंध में हमारी समीक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए हैं।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच उन क्रियाविधियों और उनके क्रियान्वयन तक सीमित है जिन्हें कंपनी ने कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत की अभिव्यक्ति है।

हम स्पष्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी के विरूद्ध निवेशक संबंधी कोई शिकायत नहीं है, जैसाकि कंपनी द्वारा तैयार किए गए रिकार्डों से पता चलता है।

इसके अतिरिक्त, हम स्पष्ट करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के प्रति और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के मामलों के संचालन के संबंध में दक्षता या प्रभावशीलता के प्रति आश्वासन है।

हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठतम जानकारी और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कार्पोरेट शासन पर दिशा-निर्देशों का सभी दृष्टिकोणों से निगमित शासन की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, केवल:

डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 के प्रावधानों के अंतर्गत, अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों गैर-नियुक्ति और बिना स्वतंत्र निदेशकों के लेखापरीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति का गठन। तथापि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत इससे छूट प्राप्त है और यह ज्ञात है कि निदेशकों की नियुक्ति धारक कंपनी यथा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा की जा रही है (कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुसरण में)।

आगे यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त विचार कंपनी द्वारा अनुरक्षित सहायक दस्तावेजों तथा पत्राचार फाइलों और सचिवीय व अन्य सांविधिक रिकार्डों सहित कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर है।

कृते एस जिंदल एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/-
श्वेता जिंदल - एफसीएस
स.सं. - एफ10398
सीपी सं. 8879
यूडीआईएन : एफ0103988000585863

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17.08.2020

अनुबंध-IV

मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) तथा मुख्य वित्त अधिकारी प्रमाणन

हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के साथ वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वित्तीय विवरणों सहित तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण, की समीक्षा की है:-

(i) इन विवरणों में किसी प्रकार के सामग्रीगत असत्य विवरण या किसी तथ्यात्मक विवरण को हटाया नहीं गया है, या गुमराह करने वाले विवरण विद्यमान नहीं हैं।

(ii) ये विवरण समग्र रूप में कंपनी के कार्य का वास्तविक व सही दृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा ये विवरण मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों तथा विनियमों के अनुपालन के अनुरूप हैं।

(iii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी, अवैध या कानूनों की आचार संहिता के उल्लंघन का कोई संव्यवहार नहीं किया गया है, जैसा कि कंपनी के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा अनुसरण किए जाने की सहमति हुई है।

(iv) हम आतंरिक नियंत्रण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने कंपनी में एक कुशल आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार की है। हमने आंतरिक नियंत्रणों और इनमें कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के संबंध में लेखापरीक्षाओं तथा लेखापरीक्षा समिति को बताया है, जिनके बारे में हम जानते हैं।

(v) हमने वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों को लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षा समिति को इंगित कर दिया है, और इन्हें वित्तीय विवरणों के नोटों में प्रकट कर दिया गया है, और

(vi) हमारी जानकारी में धोखाधड़ी का कोई मामला सामने नहीं आया है और ना ही कंपनी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कर्मचारी के बार में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है।

ह/-
श्री अतुल कुमार
कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)

ह/-
श्री मंजुर मोहम्मद गौरी
मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ)

वित्तीय विवरण

(वित्तीय वर्ष : 2019-20)

ए.एन गर्ग एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के सदस्य

स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की रिपोट

मत

हमने इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों, जिनमें दिनांक 31 मार्च 2020 को तुलन पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण (अन्य वृहत आय सहित), इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण और उक्त समाप्त वर्ष के लिए तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य विवरणात्मक सूचना के सार सहित स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसे यहां आगे "स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण कहा जाएगा"। हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण इस अधिनियम के अंतर्गत यथापेक्षित और 31 मार्च 2020 को कंपनी की कार्यप्रणाली, उक्ति तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभ सहित अन्य वृहत आय, इक्विटी में परिवर्तन और इसके रोकड़ प्रवाह विवरण की भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुरूप उक्ततिथि को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी परिवर्तन और रोकड़ प्रवाह विवरण का सही और उचित रूप प्रस्तुत किया गया है।

मद का आधार

हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को आगे हमारी रिपोर्ट के स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण खंड के लेखापरीक्षक के उत्तरदायितव में उल्लिखित है। हम अधिनियम के प्रावधानों और इसके अंतर्गत नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लपेखापरीक्षा के प्रति संगत नैतिक अपेक्षाओं के साथि भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता के अनुसार कंपनी स्वतंत्र हैं और हम हमने नैतिक संहिता और इन अपेक्षाओं के अनुसार अपने नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय के दौरान, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारे लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को वित्तीय विवरणों की हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में समग्र रूप से समाधान किया गया है, और हम इन मुद्दें पर पृथक मद उपलब्ध नहीं कराते हैं।

कोविड-19 महामारी के आलोक में निष्पादित आशोधित लेखापरीक्षा प्रक्रिया

कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण हमारी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा राष्ट्र व्यापी लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंध लगाए गए थे और दूरस्त रूप से लेखापरीक्षा को सुलभ बनाने हेतु, जहां भौतिक पहुंच संभव नहीं थी, वहां कंपनी के निगमित कार्यालय में कतिपय शाखाओं/एलएचओएस/व्यवसायिक इकाइयों के परिसरों का दौरा करके लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी है।

शाखाओं/सर्किल प्रशासनिक/निगमित मुख्यालय के कार्यालयों के साथ चर्चा और व्यक्तिगत संव्यवहार के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से/भौतिक रूप से लेखापरीक्षा साक्ष्यों को एकत्र नहीं किया जा सका है और हमने प्रमुख लेखापरीक्षा मुद्दे के रूप में ऐसे आशोधित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को चिह्नित किया है।

तदनुसार, दूरस्त रूप से लखापरीक्षा करने के लिए हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को आशोधित किया गया था।

हमारी लेखापरीक्षा में इसका समाधान कैसे किया गया

कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण हमारी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंध लगाए गए थे और इसलिए, हम शाखाओं/सर्किल प्रशासनिक/निगमित मुख्यालय में नहीं जा पाए हैं और संबंधित कार्यलयों में भौतिक पहुंच नहीं हो पाई है।

जहां कहीं भौतिक पहुंच संभव नहीं थी, कंपनी द्वारा डिजिटल माध्यम, ई-मेल और दूरस्त पहुंच तथा अन्य संगत अनुप्रयोग साफ्टवेयरों के माध्यम से आवश्यक रिकार्ड/रिपोर्टें/ अभिलेख/ प्रमाणपत्र उपलब्ध

कराए गए थे। इस स्तर तक, हमें उपलब्ध कराए गए ऐसे दस्तावेजों, रिपोर्टों तथा रिकार्डों के आधार पर लेखापरीक्षा प्रक्रिया को सम्पन्न किया गया था।
तदनुसार, हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में निम्नानुसार आशोधन किए हैं:

(क) कंपनी के कुछ प्रशासनिक कार्यालयों और अन्य कार्यालयों के संबंध में रिमोट पहुंच/ ई-मेलों के माध्यम से आवश्यक रिकार्डों/ दस्तावेजों और अन्य अनुप्रयोग साफ्टवेयरों का इलैक्ट्रानिक रूप से सत्यापन किया गया है, जहां भौतिक पहुंच संभव नहीं थी।

(ख) ईमेल तथा बैंक के सुरक्षित नेटवर्क पर रिमोट पहुंच के माध्यम से हमें उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों, करारों, प्रमाणपत्रों और संबंधित रिकार्डों की स्कैन की गई प्रतियों का सत्यापन किया गया था।

(ग) फोन कॉल/कान्फरेंस कॉल, ई-मेल और समान सम्प्रेषण माध्यमों के द्वारा वीडियों कॉन्फरेंसिंग, चर्चाओं तथा वार्ताओं के माध्यम से पूछताछ की गई और आवश्यक लेखापरीक्षा साक्ष्य एकत्र किए गए।

(घ) नामित कार्यालयों के साथ आमने-सामने के संव्यवहार के स्थान पर ईमेल के माध्यम से टेलीफोनिक रूप से हमारी लेखापरीक्षा अवलोकना का समाधान किया गया था।

स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों, जो कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, लाभ और हानि (अन्य वृहत आय सहित वित्तीय निष्पादन), रोकड़ प्रवाह और इक्विटी परिवर्तन के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद 134 (5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को

सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करना है और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारितों का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों, जो जारी संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, लाभ और हानि (अन्य वृहत आय सहित वित्तीय निष्पादन), रोकड़ प्रवाह और इक्विटी परिवर्तन के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद 134(5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करना है और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन गोइंग कंसर्न, प्रकटन, यथा अपेक्षित, गोइंग कंसर्न संबंधी मुद्दों और लेखांकन के गोंइंग कंसर्न के प्रयोग के साथ जारी रहने की कंपनी की क्षमता का आंकलन करने के लिए उत्तरदायी है, बशर्ते प्रबंधन या तो कंपनी को लिक्विडेट करना चाहती है या प्रचालन बंद करना चाहती है, या उसा करने के अतिरिक्त उसके पास को वास्तविक विकल्प है। निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से सामग्रीगत तथ्यात्मक दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि से मुक्त हैं। युक्तिसंगत आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है, किन्तु यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखांकन नीति के अनुसार किया गया लेखपरीक्षा सदैव तथ्यात्मक दुर्विवरण को खोज लेता है, जब वह विद्यमान हो।

जालसाजी या त्रुटि से उत्पन्न होने वाले दुर्विवरण को तब महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि एकल रूप में या समग्र रूप में वे युक्तिसंगत स्तर पर इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करते हों।

लेखांकन मान के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और बिना लेखापरीक्षा के पेशेवर व्यवहार को बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित व्यवस्थाओं का भी अनुसरण करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, कि क्या वे जालसाजी या त्रुटि या अभिकल्प के कारण है और लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं इन जोखिमों के प्रति प्रकियात्मक रूप से सक्रीय हैं, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे मत के लिए आधार प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं। जालसाजी के परिणामस्वरूप तथ्यात्मक दुर्विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर किया गा चूक, पुनर्विनियोजन या आंतरिक नियंत्रण से बचने वाली जालसाजियों के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक महत्वपूर्ण है।
- उन लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के उद्देश्य से लेखापरीक्षा के प्रति संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ को प्राप्त करना, जो उक्त परिस्थितियों में उपयुक्त है। कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(3)(i) के अंतर्गत, हम अपने इस मत को भी अभिव्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रणों के लिए कुशलतापूर्वक कार्य कर रही है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा किए गए प्रकटनों के संबंध में लेखांकन अनुमानों और प्रकटनों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के संबंधित आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाना कि घटनाओं और परिस्थितियों के संबंध में तथ्यात्मक अनिश्चितता

विद्यमान है, जो गोइंग कंसर्न के रूप में निरंतर कार्यरत रहने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण शंका उत्पन्न करती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि तत्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है तो हमें उन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या, यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो हमारे मत को आशोधित करना। हमारा निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि को प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएं और स्थितियां कंपनी के गोइंग कंसर्न के रूप में निरंतरता को बंद कर सकती है।

- प्रकटन सहित वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन, और अवलोकन कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्रस्तुत करते हैं।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय, तथा महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम अपने वक्तव्य के साथ शासन के उन आरोपों को भी प्रदान करते हैं जिनका हमने अनुपालन किया है यथा स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित रूप से सोचा जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे और इसलिए वे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण का प्रस्ताव नहीं देता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों का यथोचित परिणाम अपेक्षित होगा।

मत

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण इस अधिनियम के अंतर्गत यथापेक्षित और दिनांक 31 मार्च 2020 को कंपनी की कार्यप्रणाली की भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुरूप इस तिथि को

समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी परिवर्तन और रोकड़ प्रवाह विवरण का सही और उचित रूप प्रस्तुत किया गया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143(3) की शर्तों के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम उल्लेख करते हैं कि:-

क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे व प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

ख) हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा बही खातों का उचित रखरखाव किया है जैसा बही खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र और अन्य वृहत आय सहित लाभ-हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इक्विटी परिवर्तन विवरण, बही खातों से मेल खाते हैं।

घ) हमारी राय में उपर्युक्त इंड एएस वित्तीय विवरण, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम-7 के साथ पठित, अधिनियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

ङ) निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड पर लिए जाने हेतु दिनांक 31 मार्च 2020 को कंपनी के निदेशकों से प्राप्तलिखित अभ्यावेदन के आधार पर, कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्ति होने के लिए दिनांक 31 मार्च 2020 को अयोग्य नहीं है।

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता के संबंध में, ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनिक कुशलता के संबंध में हमारे अनुबंध-क में पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें। हमारी रिपोर्ट कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता और प्रचालनिक कुशलता पर गैर आशोधित मत अभिव्यक्त करती है।

छ) अधिनियम के खंड 197(16), यथासंशोधित की अपेक्षाओं के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जानेवाले अन्य मुद्दों के संबंध में: हमारेमतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारीऔर हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को

भुगतान किए गए/उपलब्ध कराया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है।

i. कंपनी का कोई मुकदमा लंबित नहीं है जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर रहा हो।

ii. डैरिवेटिव संविदाओं सहित कंपनी का कोई दीर्घकालीन संविदा नहीं है जिसके लिए किसी प्रकार की सामग्रीगत भावी हानियां थीं।

iii. ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता हो।

2. अधिनियम के अनुच्छेद 143(11) की शर्तों के अनुसार कन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा यथापेक्षित हम अनुबंध ख प्रस्तुत करते हैं जो आदेश के पैरा-3 तथा 4 मे विनिर्दिष्ट मुद्दों का विवरण हैं।

अधिनियम के अनुच्छेद 143(5) द्वारा यथापेक्षित, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों के अनुसार हम उल्लेख करते हैं कि:

क्र.सं	**विवरण**	**लेखापरीक्षा का उत्तर**
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया की प्रणाली विद्यमान है? यदि हां तो, वित्तीय परिणामों, यदि कोई हो, सहित लेखों की सत्यनिष्ठ पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखंकन संव्यवहारों की प्रक्रिया को क्रियान्वित किया या है, कृपया स्पष्ट करें।	कंपनी में सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया के लिए टेलीप्रणाली विद्यमान है। कोई भी लेखांकन संव्यवहार आईटी प्रणाली से बाहर नहीं किया जाता है।
2.	कृपया बताएं कि क्या वहां ऋण/उधार/ब्याज आदि, यदि कोई हो, में छूट/बट्टा खाता डाले जाने पर कोई प्रतिबंध है। यदि हां तो इसके वित्तीय	जी हां, कंपनी ने अपने लेनदार यथा धारक कंपनी मैसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेउ को ऋण की पुनरसंरचना हेतु तथा दिनांक 01.10.2019 से

	प्रभाव को स्पष्ट करें।	31.03.2020 तक की अवधि के लिए 18,91,58,653 रूपए की राशि के ब्याज पर छूट प्रदान करने के लिए आवेदन किया है।
3.	क्या केन्द्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधियां प्राप्त/प्राप्य हैं जिनका उनका उनकी शर्तों और निबंधनों के अनुसार लेखांकन/उपयोग किया गा है? विपथन के मामलों की सूची बताएं।	कंपनी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से प्राप्य परियोजना हेतु इक्विटी सहायता के रूप में व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण प्राप्त हुआ है। कंपनी को एनएचएआई से यह आंशिक रूप में प्राप्त हुआ है और इसका लेखांकन/उपयोग करार की शर्तों और निबंधनों के अनुसार किया गया है।

कृते ए.एन गर्ग एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 00461एन

ह/-
ए.एन.गर्ग
(एफसीए साझेदार)
सदस्यता सं. 083687

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24.06.2020
यूडीआईएन:20083687एएएएडीवाई8630

अनुबंध-क

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

दिनांक 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च, 2020 तक की अवधि के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी समतिथिक रिपोर्ट के शीर्षक "अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट" के अंतर्गत पैरा-1 में संदर्भित अनुबंध।

ऐसी जांचों के आधार पर, जिसेहम उपयुक्त मानते हैं और हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i. (क) कम्पनी ने पूर्ण विवरण दर्शाते हुए अभिलेखों का उचित रखरखाव किया है जिनसे उसकी नियत परिसंपत्तियों का मात्रात्मक विवरणों और उसकी स्थिति का पता चलता है।

(ख) प्रबंधन द्वारा इन स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन युक्तिसंगत अंतराल पर किया जाता है। ऐसे सत्यापनों पर किसी प्रकार की विसंगति को नोट नहीं किया गया था।

(ग) अचल परिसंपत्त्यिों के टाइटल डीड कंपनी के नाम पर धारित हैं।

ii. कंपनी में कोई इन्वेंटरी नहीं है। इसलिए, कंपनी पर उक्त आदेश के खंड 3(ii) का प्रावधान लागू नहीं है।

iii. यथासूचित, प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा लेखा बहियों की हमारी जांचों के आधार पर, कंपनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को/से रक्षित या अरक्षित किसी प्रकार का ऋण न लिया है न दिया है। इसलिए, आदेश के पैरा 3 (iii)(क), 3 (iii)(ख), तथा 3 (iii)(ग) के अधीन अपेक्षाएँ कम्पनी पर लागू नहीं होती हैं।

iv. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे कोई ऋण, निवेश, गारंटियां, तथा प्रतिभूतियां के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 185 तथा 186 के प्रावधान का अनुपालन किया गया है (जहांकहीं यह कंपनी पर लागू हो)।

v. हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और कम्पनी अधिनियम की धारा 73 से 76 या कोई अन्य संगत प्रावधान तथा उनके अधीन बनाए गए नियम के अनुसार वर्ष के दौरान कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है।

vi. हमारे कंपनी अधिरियम, 2013 की धारा 148 के उपखंड (1) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी (लागत रिकार्ड एवं लेखापरीक्षा) नियम, यथासंशोधित, के अनुसरण में कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखा रिकार्डों की वृहत समीक्षा की है, और हमारा मत है कि प्रथम दृष्टया, निर्धारित लागत रिकार्डों को तैयार तथा अनुरक्षित रखा गया है। तथापि, हमने लागत रिकार्डों की विस्तृत जांच की है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वे विशुद्ध और पूर्ण हैं।

vii. (क) हमें दिए गए स्पष्टीकरण और बहियों तथा रिकार्डों की हमारी जांच के अनुसार, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सीमा शुल्क, सम्पत्ति कर, बिक्री कर, जीएसटी, उत्पाद शुल्क, उपकर और अन्य सांविधिक देय सहित अविवादित सांविधिक देयों को नियमित रूप से उपयुक्त प्राधिकरणों में जमा किया गया है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के अंत में उनके देय होने छह महीनों की अवधि के लिए कोई भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सीमा शुल्क, सम्पत्ति कर, बिक्री कर, जीएसटी, उत्पाद शुल्क, उपकर और अन्य सांविधिक देय सहित अविवादित सांविधिक देय राशियां देय नहीं है।

(ग) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा उन पर हमारे द्वारा किए गए विश्वास के अनुसार आयकर, सीमाशुल्क, संपत्तिकर, बिक्रीकर उत्पाद शुल्क और उपकर के संबंध में कोई अविवादित देय नहीं है, जिन्हें जमा नहीं कराया गया है।

viii. हमारे मतानुसार और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान या बैंक या वित्तीय संस्थान के देयों के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की है। वर्ष के दौरान कंपनी का डिबेंचरों के संबंध में कोई बकाया नहीं।

ix. हमारे मतानुसार और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी पब्लिक ऑफर से कोई धन प्राप्त नहीं किया है। हमारे मतानुसार और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने ऋण का प्रयोग उस प्रयोजन हेतु किया है जिसके लिए वह लिया गया था।

x. कंपनी की बहियों और रिकार्डों की हमारी जांच के दौरान, जिसे भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन पद्धतियों के अनुसार किया गया है, और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या इसके अधिकारयों और कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर जालसाजी का कोई मामला नहीं हुआ है।

xi. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान या प्रावधान कंपनी द्वारा अधिनियम की अनुसूची-V के साथ पठित अनुच्छेद 197 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

xii. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर हमारे मताअनुसार कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है, इसलिए इस आदेश के पैरा-3(xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

xiii. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ सभी संव्यवहार कंपनी अधिनियम के अनुच्छेद 177 तथा 188 के अनुपालन में है, जहां कही लागू हो और इस प्रकार के संव्यवहारों का ब्यौरा वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है जैसा कि लागू लेखांकन मानकों के अनुसार अपेक्षित है।

xiv. कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्ण या आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई वरियता आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। इसलिए, आदेशक का पैरा-3 कंपनी पर लागू नहीं है।

xv. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी संबंधित निदेशकों या व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद संव्यवहार नहीं किया है।

xvi. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुच्छेद 45-1ए का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

कृते ए.एन गर्ग एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 00461एन

ह/-
ए.एन.गर्ग
(एफसीए साझेदार)
सदस्यता सं. 083687

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24.06.2020

अनुबंध-क

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

(हमारी सम-तिथिक रिपोर्ट के खंड "अन्यिविधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं" के अंतर्गत पैरा के संदर्भ में)

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के खंड 143 के उप-खंड 3 के भाग (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के सदस्यों हेतु

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2020 को इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं - कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्त्यिों की सुरक्षा, जालसाजी और चूकों का निवारण औ संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रुप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अश्किल्प, क्रियान्वयन का अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधर पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अभिव्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट (''दिशानिर्देश नोट'') के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे शरतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय

नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143(10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित औ अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रिश्याएं शामिल हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं - वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मोजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अश्किल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रुप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अश्किल्पित प्रकिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं (1) उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्योरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रुप से प्रदर्शित करता हैं। (2) युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं। (3) कंपनी की परिसंपत्ति के

अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रुप से प्रशवित कर सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, चूक और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरक्ति, शवी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रतिक्रिया के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, नियंत्रण मापदंड के उद्देश्यों की उपलब्धि पर उपर्युक्त उल्लिखित सामग्रीगत खामियों के प्रभावं/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर सही सामग्रीगत पहलुओं में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को अनुरक्षित किया है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शरत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नष्ट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2020 से कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

कृते ए.एन गर्ग एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 00461एन

ह/-
ए.एन.गर्ग
(एफसीए साझेदार)
सदस्यता सं. 083687

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24.06.2020

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड
(सीआईएन- U45400DL2014GOI272220)
31 मार्च 2020 को तुलन पत्र

(रूपए करोड़ में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
I.	परिसंपत्तियां					
1	गैर चालू परिसंपत्तियां					
	(क) परिसंपति संयंत्र और उपकरण	3	0.13		0.03	
	(ख) प्रगतिरत चालू कार्य		-		-	
	(ग) निवेश परिसंपति		-		-	
	(घ) अमूर्त परिसंपति	4	494.96		517.99	
	(ड.) विकासाधीन अमूर्त परिसंपतियां	4	16.94		4.88	
	(च) परिसंपति प्रयोग का अधिकार		-		-	
	(छ) वित्तीय परिसंपतियां	5				
	(i) निवेश		-		-	
	(ii) ऋण		-		-	
	(iii) अन्य	5.1	1.00		1.00	
	(ज) आस्थगित कर परिसपतियां (निवल)	6	0.81		0.81	
	(झ) अन्य गैर चालू परिसंपतियां		-		-	
	कुल गैर चालू परिसंपतिया			513.84		524.71
2	**चालू परिसंपतित्यां**					
	(क) दससूची		-		-	
	(ख) वित्तीय परिसंपत्यिां	7				
	(i) निवेश		-		-	
	(ii) व्यापार प्राप्य	7.1	9.66		15.15	
	(iii) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	7.2	12.76		1.29	
	(v) अन्य बैंक शेष		-		-	
	(vii) ऋण	7.3	-		-	
	(viii) अन्य	7.4	51.13		112.78	
	(ग) चालू परिसंपतियां (निवल)	8	6.78		4.48	
	(घ) अन्य चालू परिसंपतियां	9	-		2.59	
	(ड.) बिक्री के लिए धारित परिसंपतियां		-		-	
	कुल चालू परिसंपतियां			80.33		136.29
	कुल संपतियां			**594.17**		**661.00**
II.	**इक्विटी एवं देयताएं**					
1	**इक्विटी**					
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	10	165.00		165.00	
	(ख) अन्य इक्विटी	11	-15.37		1.81	
	कुल इक्विटी			149.63		166.81
2	देयताएं					
(i)	**गैर- चालू देयताएं**					
	(क) वित्तीय देयताएं	12				
	(i) ऋण	12.1	379.29		309.70	
	(ii) व्यापार देय					
	- सूक्ष्म और लघु उपक्रमों को देय कुल बकाया		-		-	
	- सुक्ष्म और लघु उपक्रमों से इतर अन्य कुल बकाया देय		-		-	
	(iv) अन्य वित्तीय परिसंपतियं		-		-	
	(ख) प्रावधान		-		-	
	(ग) अन्य गैर चालू देयताएं		-		-	
	कुल गैर चालू देयताएं			379.29		309.70
(ii)	**चालू देयताएं**					
	(क) वित्तीय देयताएं	13				
	(i) ऋण	13	37.93		28.15	
	(i) ऋण	13.1				
	(ii) व्यापार देय	13.2				
	- सूक्ष्म और लघु उपक्रमों को देय कुल बकाया		-		-	
	- सुक्ष्म और लघु उपक्रमों से इतर अन्य कुल बकाया देय		7.01		2.65	
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	13.3	4.52		1.06	
	(ख) अन्य चालू देयताएं	14	0.12		2.42	
	(ग) प्रावधान	15	15.67		150.21	
	(घ) चालू कर देयता (निवल)		-		-	
	कुल चालू देयताएं			65.25		184.49
	कुल इक्विटी एवं देयताएं			**594.17**		**661.00**
III.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार	1 - 2				
IV.	वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट	3 - 38		-		-

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते ए.एन गर्ग एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएल- 0046161

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह/-	**ह/-**	**ह/-**	**ह/-**
ए.एन.गर्ग	**(एस.एल.गुप्ता)**	**(आर.एस.यादव)**	**(भुवनेश्वरी कृष्णन)**
एफसीए भागीदार	**निदेशक**	**निदेशक**	**निदेशक**
सं.सं: 083687	**डीआईएन: 07598920**	**डीआईएन: 07752915**	**डीआईएन: 07486148**
यूडीआईएन:20083687एएएडीवाई8630			
	ह/-	**ह/-**	**ह/-**
स्थान : नई दिल्ली	**(अतुल कुमार)**	**(मंजुर एम.गौरी)**	**(अनुराधा कौशिक)**
दिनांक: 24.16.2020	**मुख्य वित्त अधिकारी**	**मुख्य कार्यपालक अधिकारी**	**कंपनी सचिव**

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड

(सीआईएन- U45400DL2014GOI272220)

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ और हानि विवरण

(रूपए करोड़ में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
I.	राजस्व :			
	प्रचालनों से राजस्व	16	70.41	356.07
	जमाः एकीकृत संयुक्त प्रचालनों में टर्नओवर का कंपनी भाग (गैर निगमित)		-	-
			70.41	356.07
II.	अन्य आय	17	0.33	0.82
III.	**कुल आय (I + II)**		**70.74**	**356.89**
IV.	**व्ययः**			
	प्रयुक्त सामग्री एवं भंडारण		-	-
	प्रगतिरत कार्यों में (वृद्धि/कमी		-	-
	परियोजना व्यय	18	42.02	328.83
	कर्मचारी लाभ व्यय	19	2.82	2.79
	वित्तीय लागते	20	19.95	25.22
	मूल्यह्रास परिशोधन एवं हानि	21	23.04	2.77
	अन्य व्यय	18	0.08	0.10
	एकीकृत संयुक्त प्रचालनों में व्यय का भाग (गैर निगमित)		-	-
	कुल आय (IV)		**87.91**	**359.71**
V.	**आपवादिक मदों तथा कर पश्चात लाभ/हानि (III - IV)**		-17.17	-2.82
VI.	आपवादिक मदें		-	-
VII.	करपूर्व लाभ/हानि (V - VI)		-17.17	-2.82
VIII.	कर व्ययः			
	(1) चालू कर			
	- वर्ष हेतु		-	-
	- पूर्ववर्ती वर्षों हेतु (निवल)		0.01	-
	(2) आस्थगित कर (निवल)		-	-0.71
	कुल कर व्यय (VIII)		0.01	-0.71
IX	**निरंतर प्रचालनों से अवधि हेतु लाभ/हानि (VII - VIII)**		**-17.18**	**-2.11**
X	बंद प्रचालनों से लाभ/हानि		-	-
XI	बंद प्रचालनों पर कर व्यय		-	-
XII	बंद प्रचालनों पर लाभ/हानि (कर पश्चात) (X-XI)		-	-
XIII	**अवधि के लिए लाभ/हानि (IX+XII)**		**-17.18**	**-2.11**
X	**अन्य वृहत आय**			
	क. (i) मदें जिन्हें लाभ और हानि में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
	(ii) आयकर संबंधी मदें जिन्हें लाभ और हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
	ख. (i) मदें जिन्हें लाभ और हानि में वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
	(ii) आयकर संबंधी मदें जिन्हें लाभ और हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा		-	-
			-	-
XI	**वर्ष के लिए कुल (IX +X) (जिसमें अवधि हेतु लाभ (हानि) और अन्य वृहत आय शामिल हैं)**		**-17.18**	**-2.11**
XII	प्रति शेयर प्रति आमदनी (निरंतर प्रचालनों हेतु)			
	(1) मूल	30	-1.04	-0.13
	(2) विलयित		-1.04	-0.13
	प्रति इक्विटी शेयर फेस मूल्य		10.00	10.00
XIII	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार	1 - 2		
XIV	वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट	3 - 38		

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते ए.एन गर्ग एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएल- 0046161

ह/-
ए.एन.गर्ग
एफसीए भागीदार
सं.सं: 083687
यूडीआईएन:20083687एएएडीवाई8630

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 24.16.2020

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह/-	ह/-	ह/-
(एस.एल.गुप्ता)	(आर.एस.यादव)	(भुवनेश्वरी कृष्णन)
निदेशक	निदेशक	निदेशक
डीआईएन: 07598920	डीआईएन: 07752915	डीआईएन: 07486148

ह/-	ह/-	ह/-
(अतुल कुमार)	(मंजुर एम.गौरी)	(अनुराधा कौशिक)
मुख्य वित्त अधिकारी	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	कंपनी सचिव

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड

(सीआईएन - U45400DL2014GOI272220))

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु रोकड़ प्रवाह विवरण

विवरण		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
कर निर्धारण पूर्व निवल लाभ		-17.17	-2.82
समायोजन			
मूल्यह्रास परिशोधन तथा हानि		23.04	2.77
वित्तीय लागत		19.95	25.22
ब्याज आय		(0.31)	(0.73)
चालू/गैर चालू परिसंपत्तियों व देयताओं से पूर्व प्रचालनिक लाभ	**(1)**	**25.51**	**24.44**
समायोजनः			
व्यापार प्राप्य/वित्तीय परिसंपत्यिों - ऋणों व अग्रिमों में कमी / (वृद्धि		5.49	(15.12)
दर सूचियों में कमी / (वृद्धि		-	-
अन्य परिसंपत्तियों और वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि		64.26	(0.75)
व्यापार देयताओं में (कमी) / वृद्धि		4.36	(16.68)
अन्य देयताओं व प्रावधानों में (कमी) / वृद्धि		(137.85)	151.11
	(2)	**(63.74)**	**118.56**
प्रचालन से अर्जित रोकड़	**(1+2)**	**(38.23)**	**143.00**
आयकर(प्रदत्त)/प्राप्त धनवापसी		2.15	(1.45)
प्रचालनिक गतिविधियों से निवल रोकड़	**(A)**	**(36.08)**	**141.55**
निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
पूंजी डब्ल्यूआईपी सहित नियत परिसंपत्ति की खरीद		(0.12)	(0.03)
अमूर्त परिसंत्तियों / विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद		(12.05)	(248.06)
प्राप्त ब्याज		0.30	0.74
(निवेश)/ बैंक जमा खातों की परिपक्वता (3 महीनों से अधिक की परिपनक्वता वाले)		-	20.00
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड	**(B)**	**(11.87)**	**(227.35)**
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड़			
इरकॉन (धारक कंपनी) से ऋण		136.89	97.00
इरकॉन (धारक कंपनी) को ऋण का पुनर्भुगतान		(57.52)	
प्रदत्त अंतिम लाभांश (लाभांश संवितरण कर सहित)		-	-
अंतरिम अंतिम लाभांश (लाभांश संवितरण कर सहित)		-	-
प्रतिधारित आमदनी में पूर्व अवधि आय का समायोजन		-	-
प्राधिकृत पूंजी में वृद्धिहेतु शुल्क का भुगतान		-	-
ऋण लागत		(19.95)	(25.22)
शेयरों के बायबैक हेतु डीआईपीएएम को भुगतान		-	-
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड़	**(C)**	**59.42**	**71.78**
विदेशी मुद्रा रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में रूपांतरण पर विनिमय अंतर का	**(D)**	-	-
रोकड़ एवं रोकड़ समतुन्य से निवल कम	**(A+B+C+D)**	**11.47**	**(14.02)**
रोकड़ एवं रोकड़ समतून्य (आरंभिक)	**(E)**	**1.29**	**15.31**
रोकड़ एवं रोकड़ समतून्य (अंतिम)	**(F)**	**12.76**	**1.29**
रोकड़ एवं रोकड़ समतुन्य से निवल वृद्धि(कम)	**(F - E)**	**11.47**	**(14.02)**
		-0.00	-

1. 01 अप्रैल 2017 से, कंपनी ने इंड एएस 7 में संशोधन को स्वीधकार किया है, जिसमें संस्थाओं को ऐसे प्रकटन करने की आवश्यकता होती है जो वितीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वितीय ग
2. रोकड़ के आउटफ्लो को प्रकोष्ठ में दर्शाया गया है।
3.पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुन समूहित/पुननिर्धारित किया गया है, जहां आवश्यक हआ

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते ए.एन गर्ग एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएल- 0046161

ह/-
ए.एन.गर्ग
एफसीए भागीदार
सं.सं: 083687
यूडीआईएन:20083687एएएडीवाई8630

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 24.16.2020

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह/-	ह/-	ह/-
(एस.एल.गुप्ता)	(आर.एस.यादव)	(भुवनेश्वरी कृष्णन)
निदेशक	निदेशक	निदेशक
डीआईएन: 07598920	डीआईएन: 07752915	डीआईएन: 07486148

ह/-	ह/-	ह/-
(अतुल कुमार)	(मंजुर एम.गौरी)	(अनुराधा कौशिक)
मुख्य वित्त अधिकारी	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	कंपनी सचिव

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु स्टेंडएलोन इक्विटी परिवर्तन विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु **(रूपए करोड में)**

विवरण	राशि
01 अप्रैल 2018 को शेष	**165.00**
लेखांकन नीति एंव पर्व अवधि त्रटियों में परिवर्तन	-
31 मार्च 2019 को शेष	**165.00**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च 2020 को शेष	**165.00**

ख. अन्य इक्विटी

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु **(रूपए करोड में)**

विवरण	आरक्षित निधि एवं अतिरेक			अन्य वृहत आय	कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आमदनी	पूंजी रिडेम्पशन आरक्षितनिधि	विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरण के अतरण पर विनिमय अंतर	
31 मार्च 2018 को शेष	-	3.92	-	-	3.92
लेखांकन नीति एंव पर्व अवधि त्रटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-
31 अप्रैल 2018 को शेष (पुन:विवरण)	-	3.92	-	-	3.92
वर्ष हेत लाभ	-	-2.11	-	-	-2.11
अन्य वृहत आय					-
निर्धारित लाभ योजना का पनर्मापन	-	-	-	-	-
विदेशी मद्रा परिवर्तन अंतर	-	-	-	-	-
अवधि हेत कुल वृहत आय	-	-2.11	-	-	-2.11
प्रदत्त लाभांश	-	-	-	-	-
लाभांश संवितरण कर	-	-	-	-	-
31 मार्च 2019 को शेष					1.81

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु **(रूपए करोड में)**

विवरण	आरक्षित निधि एवं अतिरेक			अन्य वृहत आय	कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आमदनी	पूंजी रिडेम्पशन आरक्षितनिधि	विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरण के अतरण पर विनिमय अंतर	
31 मार्च 2019 को शेष	-	-	-	-	-
लेखांकन नीति एंव पर्व अवधि त्रटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-
31 अप्रैल 2019 को शेष (पुन:विवरण)	-	-	-	-	-
वर्ष हेत लाभ	-	-	-	-	-
अन्य वृहत आय					-
निर्धारित लाभ योजना का पनर्मापन	-	-	-	-	-
विदेशी मद्रा परिवर्तन अंतर	-	-	-	-	-
अवधि हेत कुल वृहत आय	-	-	-	-	-
प्रदत्त लाभांश	-	-	-	-	-
लाभांश संवितरण कर	-	-	-	-	-
31 मार्च 2020 को शेष					-

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते ए.एन गर्ग एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन- 0046161

ह/-
ए.एन.गर्ग
एफसीए भागीदार
सं.सं: 083687
यूडीआईएन:20083687एएएडीवाई8630

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 24.16.2020

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह/-	**ह/-**	**ह/-**	**ह/-**
(एस.एल.गुप्ता)	**(आर.एस.यादव)**	**(भुवनेश्वरी कृष्णन)**	**(अतुल कुमार)**
निदेशक	**निदेशक**	**निदेशक**	**मुख्य वित्त अधिकारी**
डीआईएन: 07598920	**डीआईएन: 07752915**	**डीआईएन: 07486148**	
ह/-	**ह/-**	**ह/-**	
(मंजुर एम.गौरी)	**(अनुराधा कौशिक)**		
मुख्य कार्यपालक अधिकारी	**कंपनी सचिव**		

1. कंपनी का परिचय

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड ("इरकॉन पीबीटीएल") (सीआईएन) यू45400डीएल2014 जीओआई1272220), इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ("इरकॉन") की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। कंपनी उस समय अस्तित्व में आई जब इसका निगमन इरकॉन द्वारा 30.09.2014 को एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में एक विशेष कार्य वाहन के रूप में किया गया था और इरकॉन पीबीटीएल का मुख्य उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-15 में किमी 55.250 से किमी 163.50 तक बीकानेर-फलौदी खंड को चौड़ा करने और सुदृढ़ीकरण की परियोजना को प्रदान करने के लिए 07 नवंबर 2014 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ रियायत करार पर हस्ताक्षर की शर्तों के अनुसार निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी)(टोल) आधार पर किया गया था। कंपनी ने व्यवसाय आरंभ करने के लिए प्रमाणपत्र प्रापत करने हेतु दिनांक 10 अक्तूबर 2014 को फॉर्म सं. 21 पर एमसीए को आवेदन प्रस्तुत किया और 14 नवंबर 2014 को उसे अनुमोदन प्राप्त हो गया था। तदनुसार एसपीवी ने 4 नवंबर 2014 को एनएचएआई के साथ रियायत करार पर हस्ताक्षर किए हैं। रियायत करार के अनुच्छेद 24, खंड 24.1 के प्रावधानों के अनुसार, रियायत ग्राही को करार की तिथि से 180 दिनों के भीतर वित्तीय समापन प्राप्त करना अपेक्षित है ताकि एनएचएआई परियोजना के वास्तविक कार्य आरंभ हाने से पूर्व वह नियुक्ति तिथि, जिसे निर्धारित तिथि कहते हैं, की अधिसूचना कर सके। रियायतग्राही द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान वित्तीय समापन पूरा कर लिया गया था; तदनुसार, एनएचएआई द्वारा 14 अक्तूबर 2015 को नियुक्ति तिथि निर्धारित की गई थी। निर्माण अवधि सहित 26 वर्ष की रियायत अवधि 14 को आरंभ हुई जैसा कि एनएचएआई द्वारा निर्धारित नियुक्ति अवधि के रूप में अधिसूचित किया गया है। रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार एनएचएआई द्वारा 327.00 करोड़ रूपए के व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) उपलब्ध कराया जाएगा।

कंपनी को दिनांक 15 फरवरी 2019 को अनन्तिम वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (डीओडी) प्राप्त हुई है।

कंपनी का प्रस्तुतीकरण और क्रियात्मक मुद्रा भारती रूपया है। है। वित्तीय विवरणों के आंकड़े करोड रूपए में हैं और उन्हें प्रति शेयर डाटा और अन्यथा उल्लिखित को छोड़ कर दो शनम्लब तक राउंड ऑफ किया गया है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 तैयार करने का आधार

i. कम्पनी के वित्तीय विवरणों का निर्माण कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (समय समय पर यथासंशोधित) के नियम 3 के साथ पठनीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 (इंड एएस अनुपालन अनुसूची–।।।) की अनुसूची–।।। के भाग–।।, वित्तीय विवरणों के संबंध में लागू, सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुसरण करके किया गया है।

ii. वित्तीय विवरणों का निर्माण गोइंग कंसर्न आधार पर प्रोद्भवन लेखांकन प्रणाली का अनुसरण करके किया गया है। कम्पनी ने परिसम्पतियों एवं देयताओं के लागत आधार के लिए ऐतिहासिक लागत को स्वीकार किया है जो उचित मूल्य पर मापन की गई निम्नलिखित परिसम्पतियों एवं देयताओं के अलावा है :–

- प्रावधान, जहां धन का समय मूल्य सामग्रीगत है वहां मापन वर्तमान मूल्य पर किया गया है।
- कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन उचित मूल्य पर किया गया है।

2.2 चालू एवं गैर–चालू वर्गीकरण

1. कम्पनी द्वारा तुलन पत्र में परिसम्पतियों एवं देयताओं की प्रस्तुति चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर गई है।
2. किसी परिसम्पति को चालू तब माना जाता है जब :

- सामान्य परिचालन क्रम में बेची जानी हो अथवा बेचने के लिए आशित हो अथवा उपयोग किया जाना हो
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है।
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर बेची जानी संभावित हो
- यदि विनिमय अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह में किसी देयता के

निपटान के लिए उपयोग के लिए नहीं है तो रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

3. कम्पनी ने अन्य सभी परिसम्पतियों का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति के रूप में किया है।

4. कोई देयता चालू तब होती है जब :

- उसका समाधान सामान्य प्रचालन क्रम में किया जाना हो
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है।
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर समाधान की जानी संभावित हो
- जिसके प्रति रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के पश्चात कम से कम बारह माह के लिए किसी देयता के समाधान को आस्थगित करने का अप्रतिबंधित अधिकार प्राप्त न हो।

5. कम्पनी ने अन्य सभी देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू देयता के रूप में किया है।

6. आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति एवं देयताओं के रूप में किया गया है।

7. परिचालन क्रम प्रस्संकरण के लिए अधिगृहित गई परिसम्पतियों एवं रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य से होने वाली प्राप्ति के मध्य का समय काल है। कम्पनी ने परिचालन क्रम के लिए 12 माह निश्चित किए हैं।

2.3 रोकड प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह विवरण को अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत किया जाता है, जिसके द्वारा गैर–रोकड़ प्रकृति के संव्यवहारों तथा भावी रोकड़ प्राप्तियों या भुगतानों के किसी आस्थगित या बीमांकक के संव्यवहारों को प्रभावित करने से पूर्व लाभ/(हानि को) समायोजित किया जाता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश तथा वित्तीय गतिविधियों को उपलब्ध सूचना के आधार पर पृथक किया जाता है।

2.4 सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण

i. <u>स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन</u>

- सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी मद से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना हो तथा प्रत्येक मद का मापन विश्वसनीय

रूप से किया जा सकता हो। सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का प्रारंभिक मापन लागत पर किया जाता है।

परिसम्पति की लागत में निम्नलिखित शामिल होता है :

क) क्रय मूल्य, किसी व्यापार छूट एवं रियायत का निवल

ख) ऋण लागतें यदि पूंजीयन मापदंड पूरे किए गए हैं

ग) परिसम्पति के अधिग्रहण से प्रत्यक्ष सम्बद्ध लागत जिसका वहन परिसम्पति को प्राप्त करने एवं आशित उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किया गया है।

घ) निर्माण अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष निर्माण के भाग के रूप में पूंजीयन किए गए आनुषंगिक व्यय जो निर्माण से संबंधित व्यय से प्रत्यक्ष संबंधित है अथवा उसके संबंध में आनुषंगिक हैं।

ङ) यदि स्वीकृति मापदंड पूरे किए गए हैं तो मदों को अलग अलग करने तथा हटाए जाने तथा स्थल नवीकरण करने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य

फ्रीहोल्ड भूमि का वहन ऐतिहासिक लागत पर किया गया है।

ii. ***अनुवर्ती मापन***

- सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का अनुवर्ती मापन संचित मूल्य ह्रास एवं संचित अक्षमता हानियों, यदि कोई हों, के साथ लागत पर किया जाता है। अनुवर्ती व्यय का पूंजीयन तब किया जाता है जब ऐसे व्यय से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होने की संभवना हो तथा व्यय की लागत का मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता हो।

- दीर्घकालिक निर्माण परियोजना के लिए प्रतिस्थापना, प्रमुख जांच, महत्वपूर्ण पूर्जों की मरम्मत तथा ऋण लागतों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

- मशीनरी के अतिरिक्त पूर्जों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

iii. मूल्यह्रास एवं उपयोज्यता काल

- सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास, बिना मिआद वाले पट्टे पर प्राप्त फ्रीहोल्ड भूमि एवं पट्टाधारित भूमि को छोड़कर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में निर्दिष्ट परिसम्पतियों के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार सीधी रेखा आधार पर किया गया है।

भवन/फ्लैट आवासीय/ गैर–आवासीय	60
संयंत्र एवं मशीनरी	8–15
सर्वेक्षण उपकरण	10
कम्प्यूटर्स	3–6
कार्यालय उपकरण	5 –10
फर्नीचर एवं जुड़नार	10
कारवां, कैम्प एवं अस्थाई शैड	3–5
वाहन	8–10

- अवधि के दौरान आनुपातिक आधार पर परिसम्पति के उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से निपटान किए जाने की तिथि तक पर सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण में किए गए आवर्धन / घटाव का मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर किया गया है।

- सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के प्रत्येक भाग का मूल्यह्रास, यदि भाग मद की लागत के योग के संबंध में महत्वपूर्ण है तथा ऐसे भाग का उपयोज्यता काल शेष परिसम्पतियों के उपयोज्यता काल से भिन्न है, अलग से लागत पर किया गया है। मिआद मुक्त पट्टे पर प्राप्त की गई पट्टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है।

- अवधि के दौरान अधिगृहित की गई सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, जिनकी अलग अलग लागत 5000/– रूपए है, का पूर्ण मूल्यâास निर्धारण के तौर पर 1 रूपए के टोकन मूल्य के साथ कर लिया गया है। तथापि, कर्मचारियों को उपलब्ध करवाए गए मोबाइल

फोन, उनके मूल्य को संज्ञान में लिए बिना, लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किए गए है।

- मूल्यह्रास विधियां, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उचित समझे जाने की स्थिति में उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 2 में किए गए उल्लेख के अनुसार ''सामान्यतः किसी परिसम्पति का अवशेष मूल्य परिसम्पति की लागत से 5 प्रतिशत तक होता है।''

iv. *स्वीकृति समाप्ति*

- सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद तथा उसके विशिष्ट भाग की प्रारंभिक स्वीकृति की स्वीकृति समाप्ति उसका निपटान किए जाने तथा तथा उसके निपटान से भविष्य में उससे किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त न होने की संभावना होने पर किए जाते है। किसी परिसम्पति की स्वीकृति समाप्ति से प्राप्त होने लाभ अथवा हानि (निपटान से प्राप्त धन तथा परिसम्पति की वहन राशि के अंतर के अनुसार आकलन) को परिसम्पति की स्वीकृति समाप्त होने पर लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.5 पूंजीगत कार्य प्रगति पर

पूंजीगत कार्य प्रगति पर से पूंजीगत परियोजनाओं के संबंध में किए गए व्यय एवं लागत शून्य संचित अक्षमता हानि, यदि कोई हो, पर अग्रेशित किए गए व्यय प्रतिबिंबित होते हैं।

2.6 निवेश परिसम्पतियां

i. स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

- निवेश सम्पति की स्वीकृति सम्पति से संबद्ध भावी आर्थिक लाभों की प्राप्ति कम्पनी को होने तथा सम्पति का मापन विश्वसनीय रूप से कर लिए जाने की संभावना होने पर की जाती है।

- निवेश परिसम्पति में पूर्ण सम्पति, निर्माणाधीन सम्पति तथा पट्टे पर धारित वह सम्पति शामिल है जिसका धारण साधारण व्यावसायिक प्रक्रिया में बिक्री किए जाने अथवा

उत्पादन अथवा प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लाए जाने के स्थान पर किराया अथवा पूंजी लाभ अथवा दोनों अर्जित करने के लिए किया गया है। निवेश सम्पतियों का प्रारंभिक मापन संव्यवहार लागतों सहित लागत पर किया जाता है।

- लागत वह राशि है जो नकद अथवा नकद समतुल्य के रूप में अथवा अन्य क्रियाओं के उचित मूल्य पर किसी सम्पति का अधिग्रहण करने अथवा निर्माण अथवा, जो भी लागू हो, के समय चुकता की जाती है, ऐसी सम्पति से सम्बद्ध राशि की प्रारंभिक स्वीकृति अन्य इंड एएस की विशिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार की जाती है।

ii. <u>अनुवर्ती मापन एवं मूल्यह्रास</u>

- निवेश सम्पतियों की प्रस्तुति संचित मूल्य ह्रास एवं संचित अक्षमता हानि,यदि कोई हैं, को घटाकर लागत पर की गई है। अनुवर्ती लागत को स्वीकृत मापदंड पूरे होने पर ही जोड़ा गया है। कम्पनी निवेश सम्पति के भवन घटक का मूल्य ह्रास क्रय / निर्माण की मूल तिथि से 60 वर्षों में सीधी रेखा आधार पर करती है। निर्माणाधीन फ्रीहोल्ड भूमि एवं सम्पति का परिशोधन नहीं किया गया है।

- बिना मिआद वाले पट्टे पर प्राप्त पट्टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है।

- निवेश सम्पति के अवशेष मूल्यों, उपयोज्यता काल एवं मूल्यह्रास की विधियों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन, यदि उचित हों, किए जाते हैं।

- कम्पनी अपनी निवेश सम्पति का मापन लागत आधारित मापन के आधार पर करती है, तो भी निवेश सम्पति के उचित मूल्य का प्रकटीकरण टिप्पणियों में किया गया है। उचित मूल्य का निर्धारण वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर अधिकृत बाह्य स्वतंत्र मूल्यांककों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य मूल्यांकन मॉडल के अनुसार किया जाता है।

3. स्वीकृति समाप्ति

निवेश सम्पतियों की स्वीकृति या तो तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा तब की जाती है जब वे स्थाई रूप से उपयोग में नहीं लाई जाती है तथा उनके

निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है। निवल निपटान प्राप्यों, यदि कोई हों, तथा परिसम्पति की वहन राशि के मध्य के अंतर को स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.7 अमूर्त परिसम्पतियां

i. स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

- अमूर्त परिसंपत्तियों की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी परिसम्पति से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होने की संभावना हो तथा परिसम्पति का मापन विश्वसनीयता से किया जा सकता हो। अलग से अधिगृहित की गई अमूर्त परिसम्पतियों का लागत पर प्रारंभिक मापन किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, ऋण लागत, यदि पूंजीयन के मापदंड पूर्ण किए गए हैं, तथा परिसम्पति को आशित उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किए गए व्यय शामिल होते हैं। आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसम्पतियों, पूंजीयन की गई विकास लागतों के अलावा, तथा सम्बद्ध व्यय की प्रस्तुति उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिस अवधि में व्यय किया गया है। तुलन पत्र तिथि को आशित उपयोग के तैयार न हुई अमूर्त परिसम्पतियों का प्रकटीकरण ''विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां'' के रूप में किया गया है।

ii. अनुवर्ती मापन एवं परिशोधन

अमूर्त परिसम्पतियों की प्रारंभिक स्वीकृति के लिए संचित परिशोधन एवं संचित अक्षमता हानियों,यदि कोई हों, को कम करके उनकी लागत का वहन किया जाता है। प्रत्येक मामले में 1 लाख रूपए मूल्य तक साफ्टवेयर का परिशोधन क्रय के वर्ष में निर्धारण के लिए 1 रूपए के टोकन मूल्य के साथ किया जाता है।

- पूंजीगत साफ्टवेयर का परिशोधन अधिग्रहण किए जाने की तिथि से 36 माह में किया जाता है।

- अवधि के दौरान अमूर्त परिसम्पतियों में होने वाले आवर्धन / घटाव का परिशोधन करके उसे आनुपातिक आधार पर परिसम्पति उपलब्ध की तिथि से / निपटान की तिथि तक प्रभारित किया जाता है।

- परिशोधन विधियों, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में की जाती है तथा उचित समझे जाने पर उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते हैं।

iii. स्वीकृति समाप्ति

- अमूर्त परिसम्पतियों की स्वीकृति या तो तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा तब की जाती है जब वे स्थाई रूप से उपयोग में नहीं लाई जाती है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है। अमूर्त परिसम्पतियों की स्वीकृति समाप्त किए जाने पर प्राप्त होने वाले लाभ अथवा हानि का मापन निवल निपटान प्राप्यों, यदि कोई हों, तथा परिसम्पति की वहन राशि के मध्य के अंतर को स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

iv. टोल एकत्रण अधिकार (टोल रोड सेवा रियायत करार)

क) निर्माण-प्रचालन-अंतरण(बीओटी) आधार पर सार्वजनिक निजी व्यवस्थाओं (पीपीए) के संबंध में, अमूर्त परिसंपत्तियों अर्थात टोल/टैरिफ को एकत्र करने का अधिकार तब स्वीकृत होत है जब कंपनी को टोल/टैरिफ वसूलने के अधिकार दिए गए हों। ऐसी सार्वजनिक सेवाओं और इस तरह के अधिकारों के उपयोगकर्ता नकद या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति को प्राप्त करने के लिए कंपनी पर बिना शर्त के अधिकार नहीं देते हैं और जब यह संभावित होता है कि अधिकारों से जुड़े भावी आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे।

ख) कंपनी एक सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे (निर्माण या उन्नयन सेवाओं) का निर्माण करती है या निर्दिष्ट अवधि के लिए उस बुनियादी ढांचे (प्रचालन सेवाओं) का प्रचालन और अनुरक्षण करती है। इन व्यवस्थाओं में सार्वजनिक-से-निजी सेवा रियायत व्यवस्था में उपयोग किए जाने वाले बुनियादी ढांचे को इसके संपूर्ण उपयोगी जीवनकाल के लिए शामिल किया जा सकता है।

ग) रियायत समझौतों के तहत, जहां कंपनी को सार्वजनिक सेवा के उपयोगकर्ताओं को प्रभारित करने का अधिकार मिला है, ऐसे अधिकारों को इंड एएस **115 -** सेवा रियायत व्यवस्था के परिशिष्ट-ग के अनुसार "अमूर्त परिसंपत्तियों" के रूप में स्वीकार और वर्गीकृत किया जाता है।

घ) धनराशि प्राप्त करने का इस प्रकार का अधिकार बिनाशर्ता अधिकार नहीं होता है क्योंकि यह मात्रा उस सीमा तक आकस्मिक है कि जनता सेवा का उपयोग किस स्तर तक करती है और इस प्रकार इसे अमूर्त संपत्ति के रूप में स्वीकार और वर्गीकृत किया जाता है। इस तरह की अमूर्त संपत्ति को कंपनी द्वारा लागत पर स्वीकार किया जाता है (जो प्रस्तुत निर्माणत सेवाओं के लिए प्राप्त या प्राप्य उचित मूल्य है) और इसे तब पूंजीकृत किया जाता है जब परियोजना सभी मामलों में पूर्ण होती है और जब कंपनी रियायत समझौते में निर्दिष्ट अनुसार प्राधिकरण से परियोजना पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करती है।

ड.) रियायत व्यवस्था के तहत ली गई संपत्ति को निपटान पर या उसके भविष्य के उपयोग या निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की आशा नहीं की जाती है।

च) सेवा रियायत की व्यवस्था जो अमूर्त संपत्ति की परिभाषा को पूरा करती है, संचयी निर्माण लागत पर स्वीकार की जाती है। परियोजना के निर्माण के पूरा होने तक, इस तरह की व्यवस्था को "विकास के तहत अमूर्त संपत्ति" के रूप में स्वीकार किया जाता है और संचयी निर्माण लागत पर मान्यता प्राप्त होती है।

छ) कंपनी इक्विटी सहायता की प्रक़ति में व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) को स्वीकार करती है। वीजीएफ की कुल संभावित राशि को विकासाधान अमूर्त परिसंपत्तियों (सेवा रियायत करार के अंतर्गत सृजित) से कम किया जाता है और चालू वित्तीय परिसंपत्त्यिों के अंतर्गत प्राप्यों को स्वीकार किया जाता है। वीजीएफ के प्रति प्राप्त किसी राशि को तत्पश्चात चालू वित्तीय परिसंपत्तियों से कम किया जाता है।

ज) सेवा रियायत व्यवस्था में एक अमूर्त संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन वह अवधि है जहां से कंपनी रियायत अवधि के अंत तक बुनियादी ढांचे के उपयोग के लिए जनता को चार्ज करने में सक्षम है।

झ) टोल एकत्रण अधिकार को रियायती अवधि की समाप्ति के लिए सेवा में लाए गए अधिकार के अतिरिक्त या उक्त तिथि से प्रो-राटा के आधार पर सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके परिशोधित किया जाता है।

ट) परिशोधन के तरीकों और उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में की जाती है, जिसमें अनुमानित आधार पर अनुमानित परिवर्तन किए जाते हैं।

ठ) अमूर्त परिसंपत्ति के वहन मूल्य की प्रतिवर्ष या उससे अधिक बार हानि के लिए समीक्षा की जाती है यदि घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन यह दर्शाता है कि वहन मूल्य पुनर्प्राप्त करने योग्य नहीं है।

2.8 नकद एवं नकद समतुल्य

नकद एवं नकद समतुल्य में नकदी, बैंकों में जमा नकदी एवं अल्पकालिक जमा जिनकी मूल परिपक्वता तीन माह अथवा कम है तथा जो नकदी की ज्ञात राशियों के लिए तत्काल परिवर्तित किए जा सकते हैं तथा जो मूल्य में परिवर्तन के प्रति महत्वपूर्ण जोखिम के अध्याधीन हैं।

नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य से नकदी एवं नकदी समतुल्यों में ऊपर दी गई परिभाषा के अनुसार अप्रबंधित नकदी एवं अल्पकालिक जमा शामिल किए गए हैं क्योंकि उन्हें कम्पनी के रोकड़ प्रबंधन का अभिन्न अंग माना गया है।

2.9 प्रावधान, आकस्मिक परिसम्पतियां एवं आकस्मिक देयताएं

i) प्रावधान

(क) प्रावधान को स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कम्पनी का कोई वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा तर्कसाध्य) हो तथा ऐसी संभावना हो कि दायित्व के निपटान, जिसके संबंध में विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते हैं, के लिए संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित है। प्रावधान के रूप में स्वीकृत राशि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित विचार, दायित्व से जुड़े जोखिम एवं अनिश्चितताओं पर विचार, के पश्चात आंके गए उत्तम अनुमान के अनुसार होती है।

(ख) जब धन के समय मूल्य का वस्तुगत होने की संभावना होती है तो प्रावधान राशि को दायित्व से सम्बद्ध जोखिम की प्रस्तुति करने वाली,जब उचित हो, पूर्व कर दर के उपयोग से कम कर दिया जाता है। समय के परिवर्तन को वित्त लागत के रूप में विचार में लिए जाने के कारण डिस्काउंटिंग के उपयोग के पश्चात प्रावधान अधिक कर दिए जाते हैं।

(ग) कम्पनी द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले प्रावधानों में अनुरक्षण, विघटन, डिजाइन गारंटी, विधिक मामले, निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर), दुर्वह संविदा एवं अन्य शामिल हैं।

ii) दुर्वह संविदाएं

(क) दुर्वह संविदा वह संविदा है जिसमें संविदा के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने की वे अपरिहार्य लागतें (अर्थात वे लागतें जिनकी संविदा के कारण कम्पनी अनदेखी नहीं कर सकती है) आती हैं जो उससे प्राप्त होने वाले संभावित आर्थिक लाभों से अधिक होती हैं। किसी संविदा के अंतर्गत अपरिहार्य लागतें संविदा की विद्यमान न्यूनतम लागत की प्रस्तुति करते हैं जो इसके निष्पादन की लागत एवं इसे निष्पादित न किए जाने के मुआवजे अथवा उत्पन्न होने वाली शास्तियों से कम हैं। यदि कम्पनी की कोई दुर्वह संविदा है तो संविदा के अंतर्गत दायित्व की स्वीकृति एवं मापन के लिए प्रावधान किए जाते हैं। तथापि, दुर्वह संविदा के लिए अलग प्रावधान करने से पूर्व कम्पनी किसी अक्षमता हानि की स्वीकृति करती है जो ऐसी संविदा के लिए नियत की गई परिसम्पतियों के संबंध में हुई है।

(ख) इन अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में करके चालू उत्तम अनुमान के अनुसार समायोजन प्रस्तुत किए गए हैं।

iii) आकस्मिक देयताएं

(क) ऐसे आकस्मिक दायित्वों के संबंध में प्रकटीकरण किया जाता है जब संभावित दायित्व अथवा वर्तमान दायित्वों के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित होने होने की संभावना होती है, परन्तु नहीं भी हो सकती है, अथवा ऐसे

दायित्वों की राशि का मापन विश्वसनीयता से नहीं किया जा सकता है। जब किसी संभावित दायित्व अथवा विद्यमान दायित्व के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बर्हिप्रवाह होने की संभावना काफी होती है तो कोई प्रावधान अथवा प्रकटीकरण नहीं किए जाते हैं।

(ख) इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है तथा चालू उत्तम अनुमानों के अनुसार इनका समायोजन किया जाता है।

iv) आकस्मिक परिसम्पतियां

आकस्मिक परिसम्पतियों की स्वीकृति नहीं की जाती है अपितु आर्थिक लाभों के प्रवाह की विश्वसनीयता होने पर इनका प्रकटीकरण किया जाता है।

2.10 राजस्व स्वीकृति

i. कंपनी इंड एएस-115 "ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व" के अनुसार निर्माण से राजस्व को स्वीकार कराती है और मापन करती है।

ii. कंपनी को प्राप्त या प्राप्य धनराशि वित्तीय परिसंपत्ति और अमूर्त परिसंपत्ति का अधिकार है। कंपनी रोकड़ को प्राप्त करने के अशर्त अधिकार के स्तर तक वित्तीय परिसंपत्ति को स्वीकार करती है, जो निर्माण सेवाओं के लिए प्रदाता के निदेश पर या से विशिष्ट निर्धारणीय राशि है और कंपनी अमूर्त परिसंपत्ति को उस स्तर तक स्वीकार करती है, जो उसे सार्वजनिक सेवा के प्रयोक्ताओं से प्रभार वसूलने के एकमात्र और विशिष्ट अधिकार है।

iii. कंपनी प्रदाता को संवर्धित सेवा के अंतरण द्वारा निष्पादन दायित्व के संतोष पर संविदागत राजस्व को स्वीकार करती है। कंपनी का कार्यनिष्पादन परिसंपत्ति का सृजन या संवर्धन करती है इसलिए, कंपनी समय के साथ नियंत्रण को अंतरित करती है और समय के साथ निष्पादन दायित्व को संतुष्ट करती है।

iv. संव्यवहार मूल्य (इसमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है) वह मूल्य है जो सेवाओं के प्रावधान के लिए ग्राहक के साथ अनुबंधित है। राजस्व को लेनदेन के मूल्य पर मापा जाता है जो निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित किया जाता है और इसमें तीसरे पक्ष की

ओर से एकत्र की गई राशि शामिल नहीं है जैसे जीएसटी और इसे परिवर्ती धराशि के साथ समायोजित किया जाता है।

v. कंपनी की संविदा की प्रकृति मूल्य वृद्धि तथा तरलता क्षतियों सहित विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को उत्पन्न करती है।

vi. संव्यवहार के मूल्य में किसी प्रकार का अनुवर्ती परिवर्तन संविदा में निष्पादन के दायित्वों के लिए उसी आधार पर आवंटित किया जाता है, जैसा संविदा के निर्धारण के समय होता है।

vii. कंपनी परिवर्ती धनराशि हेतु राजस्व को स्वीकार करती है, जब यह संभावना है कि संचयी रूप से स्वीकृत राजस्व राशि में कोई महत्वपूर्ण व्युत्क्रम उत्पन्न नहीं होगा। कंपनी सर्वाधित संभावित राशि पत्रति का प्रयोग करके परिवर्ती धनराशि के रूप में राजस्व अनुमान राशि को स्वीकार करेगी।

viii. इसके परिणामस्वरूप, संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित राशि को राजस्व के रूप में या राजस्व की कमी के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिस अवधि में लेनदेन में परिवर्तन होता है।

ix. कंपनी निष्पादन दायित्व को संतुष्ट करती है और समय पर राजस्व को स्वीकार है, यदि किसी भी निम्नलिखित मानदंडों को पूरा किया जाता है:

- ग्राहक साथ ही साथ इकाई निष्पादन के रूप में इकाई के कार्यनिष्पादन द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त और उपभोग करता है।
- इकाई का निष्पादन परिसंपत्ति का निर्माण या संवर्धन करता है (उदाहरण के लिए, प्रगतिरत कार्य) जिसे ग्राहक द्वारा परिसंपत्ति के निर्माण या वृद्धि पर नियंत्रित किया जाता है।
- इकाई का निष्पादन इकाई के लिए वैकल्पिक उपयोग हेतु परिसंपत्ति नहीं बनाता है और इकाई को आज तक पूरा किए गए कार्यनिष्पादन के भुगतान के लिए लागू करने योग्य अधिकार है।

x. समय के साथ संतुष्ट कार्यनिष्पादन दायित्व के लिए, स्वीकृत राजस्व प्रगति का माप, प्रतिशत पूर्णता पद्धति का उपयोग करके, प्रदर्शन निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की ओर किया जाता है। प्रगति को आज की तारीख तक वास्तविक लागत के अनुपात के अनुसार कार्यनिष्पादन दायित्व के प्रति कुल अनुमानित लागत पर मापा जाता है।

xi. निष्पादन दायित्व को इनपुट विधि के अनुप्रयोग द्वारा मापा जाता है। जहाँ संविदाओं में निष्पादन दायित्व को इनपुट विधि द्वारा मापा नहीं जा सकता है वहां आउटपुट विधि लागू की जाती है, जो समग्र रूप से निष्पादन दायित्व कके पूर्ण् संतोष के स्तर पर कंपनी के निष्पादन को प्रदर्शित करता है।

xii. संविदागत आशोधनों को तब लेखांकित किया जाता है जब पर स्वीकृत संवर्धन, विलोपन या परिवर्तन किए गए हों।

xiii. संविदाओं में संशोधन के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा संविदा में शामिल की गई सेवाएं अलग-अलग हैं और मूल्य निर्धारण बिक्री मूल्य पर है या नहीं। शामिल की गई सेवाएं जो पृथक नहीं हैं, उनका संचयी कैच-अप आधार पर लेखांकित किया जाता है, जबकि जो सेवाएं पृथक होती हैं, उन्हें या तो पृथक संविदा के रूप में देखा जाता है, यदि अतिरिक्त सेवाओं का मूल्य स्टैंडएलोन विक्रय मूल्य पर या मौजूदा संविदा की समाप्ति के रूप में निर्धारित किया जाता है, यदि स्टेंडएलोन बिक्री मूल्य पर मूल्यांकित नहीं किया गया है।

xiv. **संविदा शेष**

- **संविदा परिसम्पतियां :** किसी संविदा परिसम्पति के संबंध में ग्राहक को प्रतिफल के विनिमय के प्रति माल एवं सेवाओं का अंतरण का अधिकार प्राप्त है। यदि कम्पनी द्वारा ग्राहक के लिए किया जाने वाला निष्पादन माल एवं सेवाओं के अंतरण के लिए ग्राहक द्वारा प्रतिफल दिए जाने से पूर्व अथवा प्रतिफल देय होने से पूर्व किया जाता है तो संविदा परिसम्पति की स्वीकृति अर्जित प्रतिफल, जो सशर्त है, के लिए की जाती है।

- **व्यापार प्राप्य :** प्राप्य से कम्पनी का किसी प्रतिफल के रूप में किसी राशि की प्राप्ति का अधिकार अभिप्रेत है जो किसी शर्त के बिना है (अर्थात प्रतिफल के भुगतान से पूर्व केवल थोड़ा समय अपेक्षित होता है)।

- **संविदागत दायित्व** : संविदागत दायित्व वे दायित्व` हैं जो कम्पनी को ग्राहक से प्राप्त प्रतिफल (अथवा प्रतिफल की कोई देय राशि) के प्रति ग्राहक को माल एवं सेवाओं के अंतरण के लिए हैं। यदि कोई ग्राहक कम्पनी द्वारा माल एवं सेवाओं का अंतरण ग्राहक को करने से पूर्व प्रतिफल का भुगतान करता है तो संविदा दायित्व की पूर्ति भुगतान किए जाने पर अथवा भुगतान देय होने पर (जो भी पहले हो) होती है। संविदागत देयताों की राजस्व में स्वीकृति तब की जाती है जबकि कम्पनी द्वारा संविदा के प्रति निष्पादन कर लिया जाता है।

xv) टोल एकत्रण से राजस्व

कंपनी टोल एकत्रक को तब स्वीकार करती है जबकभी इसे संव्यवहार मूल्य पर एकत्र किया जाता है यथा प्रयोग शुल्क, जो कि तीसरे पक्षों की ओर से एकत्र राशि से अलग है।

xvi) अन्य आय

- लाभांश आय की स्वीकृति भुगतान प्राप्ति का अधिकार स्थापित होने पर की गई है।
- ब्याज आय की स्वीकृति प्रभावी ब्याज दर के उपयोग से की गई है।
- विविध आय की स्वीकृति निष्पादन दायित्व पूरे कर लिए जाने तथा संविदा शर्तों के अनुसार आय की प्राप्ति का अधिकार प्राप्त होने पर की गई है।

2.11 गैर–वित्तीय परिसम्पतियों का परिशोधन

(i) प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी द्वारा मूल्यांकन करके किसी परिसम्पति को परिशोधित करने अथवा किसी परिसम्पति का वार्षिक परिशोधन परीक्षण किए जाने की अपेक्षा होने के संकेत ज्ञात करके ऐसी परिसम्पतियों से वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाए जाते हैं। किसी परिसम्पति की वसूली योग्य राशि किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट (सीजीयू) के उचित मूल्य, निपटान की लागत को घटाकर, तथा उसके उपयोग मूल्य से अधिक होती है। यदि कोई परिसम्पति ऐसी रोकड़ उत्पति यूनिट नहीं है जो परिसम्पतियों अथवा परिसम्पतियों के समूह से पूरी तरह भिन्न हो तो किसी वैयक्तिक परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के निर्धारण किए जाते हैं। जब किसी परिसम्पति अथवा

रोकड़ उत्पति यूनिट की वहन राषि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो परिसम्पति को परिशोधित मान लिया जाता है तथा उसकी मालसूचियों के परिशोधन सहित उसकी वसूलीयोग्य राशि एवं परिशोधन हानि को ह्रासित करके लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति की जाती है।

(ii) उपयोग मूल्य के मूल्यांकन पूर्व–कर छूट दर, जिससे धन के समय मूल्य के चालू बाजार मूल्यांकन एवं परिसम्पति से संबद्ध जोखिम प्रस्तुत होते हैं, के उपयोग से उसके वर्तमान को अनुमानित रोकड़ प्रवाह से कम करके किए जाते हैं।

(iii) साख के अलावा परिसम्पतियों का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को यह निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि क्या संज्ञान में ली जा चुकी अक्षमता हानि के संकेत अभी भी हैं अथवा वे कम हो गए हैं। यदि ऐसे संकेत होते हैं तो कम्पनी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट की वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाती है। संज्ञान में ली जा चुकी अक्षमता हानि का व्युत्क्रमण तभी किया जाता है जब पहले आंकी गई अक्षमता हानि के पश्चात से परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के लिए लगाए गए अनुमानों में किसी प्रकार के परिवर्तन प्रतीत हों। व्युत्क्रमण सीमित होते हैं जिससे कि परिसम्पति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से न तो अधिक हो और न ही यह पूर्वावधि की परिसम्पति से संबंधित अक्षमता हानि न होने की स्थिति में निर्धारित की जाने वाली वहन राशि, मूल्यह्रास का निवल, से अधिक न हो सके। ऐसे व्युत्क्रमण लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किए जाते हैं।

2.12 मालसूचियां

i) मालसूचियों (स्क्रैप सहित) का मूल्यन उनकी न्यून लागत एवं निवल प्राप्य मूल्य पर आंका जाता है। लागत में मालसूचियों को वर्तमान स्थल एवं स्थिति में लाने के लिए व्यय की गई क्रय लागत, परिवर्तन लागत एवं अन्य लागतें शामिल होती हैं। लागत का निर्धारण प्रथम आवक प्रथम जावक (एफआईएफओ) आधार पर किया जाता है। व्यापार की साधारण प्रक्रिया में निवल वसूलीयोग्य मूल्य पूर्णता लागतों तथा बिक्री के लिए आवश्यक अनुमानित के अनुमान को घटाकर आंका गया अनुमानित बिक्री मूल्य है।

ii) निर्माण कार्य प्रगति पर का मूल्यन ऐसे समय तक के लिए लागत पर किया गया है जब तक कार्य से प्राप्त होने वाले प्रतिफल का विश्वसनीय रूप से पता नहीं चलता है।

iii) नई परियोजनाओं पर संचलन के लिए किए गए प्रारंभिक संविदा व्यय को संबंधित वर्ष में निर्माण कार्य प्रगति पर के रूप में स्वीकृति दी गई है तथा उसे आनुपातिक आधार पर परियोजना के लाभ एवं हानि विवरण में रिपोर्टिंग अवधि के अंत संविदा के पूर्ण होने के चरण के समान प्रतिशत पर संबंधित अवधि में प्रभारित किया गया है। स्थल संचलन व्यय का बट्टा करने के स्थान पर लागत पर मूल्यन किया गया है।

iv) नो कास्ट प्लस संविदा , जिनमें संविदा की शर्तों के अनुसार सभी सामग्रियों, अतिरिक्त पूर्जों एवं भंडार की लागत की धनवापसी नहीं होती होती है, का मूल्यन उपर्युक्त (क) के अनुसार मालसूची के रूप में किया गया है।

v) अवधि के दौरान किए गए लूज पूर्जों का उपयोग कर लिया गया है।

2.13 ऋण लागत

ऋण लागत में ब्याज एवं कम्पनी द्वारा निधियों की प्राप्ति के संबंध में व्यय की गई अन्य लागतें शामिल हैं। ऋण लागतों की सम्बद्धता प्रत्यक्ष रूप से किसी अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन से होती है जो परिसम्पति की लागत के पूंजीयन के लिए आशित उद्देश्य से उपयोग अथवा बिक्री के लिए किसी निश्चित अवधि में पूर्ण अथवा निर्मित की जानी अपेक्षित होती है। अन्य सभी ऋण लागतों की स्वीकृति उनके व्यय के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में की गई है। ऋण लागतों में ऐसी विनिमय भिन्नता भी शामिल हैं जिन्हें ऋण लागतों के समायोजन के लिए उपयोग किया गया है।

2.14 कर्मचारी लाभ

i) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

वेतन, अल्पकालिक प्रतिपूर्ति छुट्टी एवं निष्पादन सम्बद्ध वेतन (पीआरपी) जैसे बारह माह की पूर्ण सेवा के पश्चात प्रदान किए जाने वाले लाभों का वर्गीकरण अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में किया गया है तथा ऐसे लाभों की गैर–डिस्काउंटिड राशि को उस अवधि से

संबंधित लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है जिन अवधियों में कर्मचारी द्वारा सम्बद्ध सेवाएं प्रदान की गई हैं।

ii) सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ तथा दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ तथा दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ का प्रावधान धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा किए जाते हैं क्योंकि कंपनी में कर्मचारी धारक कंपन से प्रतिनियुक्ति पर आए हैं।

2.15 पट्टे

कम्पनी द्वारा संविदा के प्रारंभ में ऐसे मूल्यांकन किए जाते हैं कि क्या संविदा पट्टा, अथवा अंतर्विष्ट पट्टा, है अथवा नहीं है। इसका अर्थ है कि क्या संविदा में संज्ञान में ली गई परिसम्पति के संबंध में किसी अवधि में उपयोग के नियंत्रण का अधिकार प्रतिफल के विनिमय के प्रति उपलब्ध है।

1) पट्टेदार के रूप में कम्पनी

कम्पनी द्वारा अल्पकालिक पट्टों तथा न्यून मूल्य की परिसम्पतियों के पट्टों के अलावा सभी पट्टों के संबंध में एकल स्वीकृति एवं मापन विधि का उपयोग किया जाता है। कम्पनी पट्टा दायित्वों की स्वीकृति पट्टा भुगतानों तथा उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों के रूप में करती है जिससे अंतर्निहित परिसम्पतियां उपयोग अधिकार की प्रस्तुति करती हैं।

क) उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियां

- कम्पनी उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों की स्वीकृति पट्टा प्रारंभ होने की तिथि (अथवा वह तिथि जब अंतर्निहित परिसम्पति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है) के अनुसार करती है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति का मापन किसी प्रकार के संचित मूल्यह्रास तथा क्षमता हानियों को घटाकर एवं पट्टा दायित्वों के किसी पुनःमापन में समायोजन करके लागत पर किया जाता है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों की लागत में स्वीकृत पट्टा देयता क राशि, प्रारंभिक

प्रत्यक्ष लागतें, एवं किसी प्रकार के प्राप्त पट्टा प्रोत्साहनों को घटाकर प्रारंभ तिथि को अथवा उससे पूर्व किए गए पट्टा भुगतान शामिल हैं। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का मूल्यह्रास पट्टा काल को कम करके तथा परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

- यदि पट्टा की गई परिसम्पतियां पट्टा काल के अंत में कम्पनी को अंतरित की जाती है अथवा प्रस्तुत लागत में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य होता है तो मूल्यह्रास का आकलन परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

- उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियां अक्षमता की शर्त पर भी होती है।

ख) पट्टा दायित्व

- कम्पनी द्वारा पट्टे की प्रारंभ तिथि को पट्टा काल के लिए चुकता किए जाने वाले पट्टा के वर्तमान मूल्य के अनुसार मापन किए गए पट्टा दायित्वों को स्वीकृति दी जाती है। पट्टा भुगतानों में किसी प्रकार के प्राप्य प्रोत्साहन घटाकर नियत भुगतान (सारभूत नियत भुगतान में शामिल), परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो सूचकांक अथवा किसी दर पर निर्भर हैं, तथा अवशेष मूल्य गारंटियों के अंतर्गत चुकता की जाने वाली संभावित राशियां शामिल है। पट्टा भुगतानों में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य भी शामिल होता है जिसका औचित्यपरक निश्चितता के साथ कम्पनी उपयोग कर सकती है, तथा पट्टों समाप्त करने, यदि पट्टा काल शर्तों में शास्तियों के भुगतान की व्यवस्था है, के विकल्प का उपयोग कर सकती है। व्यय के रूप में स्वीकृत किसी सूचकांक अथवा दर पर निर्भर न होने वाले परिवर्तनीय पट्टा भुगतान (यदि वे मालसूचियों के उत्पादन के लिए व्यय नहीं किए गए हैं) उनकी उत्पति की अवधि अथवा भुगतान किए जाने की स्थिति में किए जाते हैं।

- पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य का आकलन करते हुए कम्पनी पट्टा प्रारंभ तिथि से आवर्धित ऋण दर का उपयोग करती है क्योंकि पट्टे में अंतर्निहित ब्याज दर का सुगमता से निर्धारण नहीं किया जा सकता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात पट्टा

दायित्वों की राशि में ब्याज अभिवृद्धि की प्रस्तुति के लिए वृद्धि हो जाती है तथा किए गए पट्टा भुगतान कम हो जाते हैं। इसके अलावा, पट्टा दायित्वों के वहन मूल्य का पुनःमापन किसी प्रकार का संशोधन किए जाने, पट्टा काल में परिवर्तन किए जाने, पट्टा भुगतानों में परिवर्तन किए जाने (अर्थात पट्टा भुगतानों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किसी सूचकांक अथवा दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप भावी भुगतानों में परिवर्तन) अथवा अंतर्निहित परिसम्पति के क्रय के विकल्प के मूल्यांकन में परिवर्तन किए जाने की स्थिति में किया जाता है।

- कम्पनी के पट्टा दायित्वों को वित्तीय दायित्वों में शामिल किया जाता है।

ग) अल्पकालिक पट्टे तथा न्यून मूल्य वाली परिसम्पतियों के पट्टे

- कम्पनी द्वारा आवासीय परिसरों तथा कार्यालयों (अर्थात वे पट्टे जिनका पट्टा काल प्रारंभ की तिथि से 12 माह अथवा कम है तथा जो क्रय विकल्प के साथ नहीं हैं) के अपने अल्पकालिक पट्टा अनुबंधों में अल्पकालिक पट्टा स्वीकृति के लिए छूट का उपयोग किया जाता है। कम्पनी द्वारा कार्यालय उपकरणों, जो न्यून मूल्य के रूप में विचार में नहीं लिए गए हैं, के पट्टों के लिए पट्टे की न्यून मूल्य परिसम्पति छूट का उपयोग भी किया जाता है। अल्पकालिक पट्टों के पट्टा भुगतान तथा न्यून मूल्य परिसम्पतियों के पट्टों की स्वीकृति पट्टा काल के लिए सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में की जाती है।

- कम्पनी द्वारा पट्टा लेखांकन में किए समायोजन इंड एएस 116 के अनुसार किए गए हैं जो 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी है तथा सभी सम्बद्ध आंकड़ों का पुनःवर्गीकरण /पुनःसमूहन इंड एएस116 की अपेक्षाओं के प्रभाव से किया गया है।

ii) पट्टाकार के रूप में कम्पनी

वे पट्टे जिनमें कम्पनी मुख्य रूप से परिसम्पति से संबद्ध सभी जोखिम तथा प्रतिफल अंतरित नहीं करती है उनका वर्गीकरण परिचालन पट्टे के रूप में किया गया है। पट्टे के काल की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर लेखांकित पट्टे से उत्पन्न किराया को उसकी परिचालन प्रकृति के कारण राजस्व के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में शामिल

किया गया है। परिचालन पट्टे के परक्रामण एवं व्यवस्थापन के दौरान व्यय की गई प्रत्यक्ष लागतें पट्टाकृत परिसम्पति की वहन राशि में जोड़ी गई हैं तथा उनकी स्वीकृति ब्याज आय के समान आधार पर पट्टा काल के लिए की गई है। आकस्मिक किरायों की स्वीकृति राजस्व के रूप में उनकी उत्पति होने पर की गई है।

2.16 चालू आय कर

- चालू आय कर एवं देयताओं का मापन सम्बद्ध कर विनियमों के अंतर्गत कराधान प्राधिकरणों से संभावित प्राप्य अथवा चुकता की जाने वाली राशियों के अनुसार किया गया है । चालू कर निर्धारण अवधि के लिए देय आय कर के संबंध में कर देयता के रूप में किया गया है तथा इसका आकलन सबंधित कर विनियमों के अनुसार किया गया है। चालू आय कर की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के ाह्य स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। चालू कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है या इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है। प्रबंधन द्वारा आवधिक रूप से कर विवरणियों में अपनी उन स्थितियों के संबंध में आवधिक मूल्यांकन किए जाते हैं जिनके लिए लागू कर विनियम व्याख्या तथा यथा लागू स्थापित प्रावधानों के अध्याधीन हैं।

- चालू कर परिसम्पतियों एवं कर दायित्वों का समंजन उन स्थितियों के लिए किया गया है जिनके संबंध में कम्पनी के पास समंजन का विधिक प्रवर्तनीय अधिकार है अथवा उनके संबंध में कम्पनी की मंशा निवल आधार पर उनका निपटान करने अथवा परिसम्पति की बिक्री करके एक साथ दायित्व का समाधान करने करने की है।

2.17 आस्थगित कर

- आस्थगित कर देयताओं की स्वीकृति परिसम्पतियों एवं देयताओं के कर आधारों तथा रिपोर्टिंग तिथि को वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से उनकी वहन राशियों के मध्य अस्थाई भिन्नताओं के संबंध में देयता विधि के उपयोग से की गई है।

- आस्थगित कर परिसम्पतियों का मापन उन कर दरों पर किया गया है जिनका उपयोग उस अवधि के लिए किया जाना संभावित है जब परिसम्पति का निपटान अथवा दायित्व का समाधान कर दरों के आधार (तथा कर विधियों) पर किया गया था जो प्रवर्तित हैं अथवा रिपोर्टिंग तिथि को प्रवर्तित किए गए हैं।

- आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के बाह्य स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। आस्थगित कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है अथवा इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है।

- आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और उस स्तर तक इसे कम किया जाता है जहां यह संभावना न रहे कि उपयोग की जाने वाली आस्थगित आयकर परिसंपत्ति या उसका भाग उपयुक्त कर लाभ के लिए उपलब्ध होगा। स्वीकृत न की गई आस्थगित कर परिसम्पतियों का पुनः मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किया जाता है तथा इनकी स्वीकृति उस स्तर तक की जाती है जिस स्तर तक यह संभावना बनी रहे कि इससे प्राप्त भावी करयोग्य लाभ से आस्थगित कर परिसम्पतियों की वसूली की जा सकेगी।

- आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का समंजन तब किया जाता है जब चालू कर परिसम्पतियों एवं देयताओं के समंजन के लिए प्रवर्तनीय विधिक अधिकार उपलब्ध हो तथा जब आस्थगित कर परिसम्पतियों के शेष समान कराधान प्राधिकरण से संबंधित हों।

2.18 प्रचालन सेगमेंट

प्रचालन सेगमेंट को इस रूप में रिपोर्ट किया जाता है जो मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक को उपलब्ध आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुसार हो। तदनुसार, कंपनी ने भौगोलिक स्थल के आधार पर एक प्रचालनिक रिपोर्टिंग सेगमेंटों की पहचान की है।

2.19 प्रति शेयर आमदनी

प्रति शेयर मूल आमदनी निर्धारित करने के लिए, समूह इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ पर विचार करता है। प्रति शेयर मूल आमदनी के परिकलन में प्रयुक्त शेयरों की संख्या उस अवधि के दौरान बकार्यों शेयरों की संख्या का औसत है।

प्रति शेयर विलयित आमदनियों के निर्धारण के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ और इस अवधि के दौरान बकार्यों शेयरों की औसत संख्या को सभी विलयित संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

2.20 विदेशी मुद्राएं

(i) कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा

- वित्तीय विवरणों में शामिल मदों का मापन उस प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा में किया गया है जिसमें इकाई अपने परिचालन (''कार्यात्मक मुद्रा'') करती है। वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय रूपए में की गई है जो कम्पनी की कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा भी है।

(ii) संव्यवहार एवं शेष

- विदेशी मुद्रा संव्यवहार कार्यात्मक मुद्रा में रिकार्ड किए गए हैं जिसके लिए संव्यवहार की तिथि के अनुसार कार्यात्मक मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के मध्य की विनिमय दर का उपयोग किया गया है।

- रिपोर्टिंग तिथि को बकाया विदेशी मुद्रा वाली मौद्रिक मदों को कार्यात्मक मुद्रा में क्लोजिंग दर (देयताओं के लिए क्लोजिंग बिक्री दर तथा परिसम्पतियों के लिए क्लोजिंग खरीद दर) पर परिवर्तित किया गया है। विदेशी मुद्रा के मूल्य वर्ग वाली गैर–मौद्रिक मदों का वहन उनकी ऐतिहासिक लागत पर संव्यवहार की तिथि की विनिमय दर पर किया गया है।

- मौद्रिक मदों के समाधान से उत्पन्न विनिमय दर भिन्नताओं, अथवा रिपोर्टिंग तिथि को की गई पुनःप्रस्तुति, के अनुसार उन दर भिन्नताओं पर किया गया है जो प्रारंभ में रिकार्ड की गई थी तथा लाभ एवं हानि विवरण में इनकी स्वीकृति इनकी उत्पति की अवधि में की गई थी। इन विनिमय भिन्नताओं की लाभ एवं हानि में प्रस्तुति निवल आधार पर की गई है।

2.21 उचित मूल्य मापन

(i) कम्पनी द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य पर मापन किया जाता है।

(ii) उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसम्पति को बेचने अथवा किसी देयता को अंतरित करने के लिए दिए जाने के लिए बाजार प्रतिभागियों के साथ मापन की तिथि को प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन ऐसे अनुमान पर आधारित है जो परिसम्पति को बेचने के संव्यवहार अथवा देयता का अंतरण करने के उद्देश्य से या तो :

(क) उत्तम बाजार में परिसम्पतियों अथवा देयताओं के लिए; अथवा

(ख) उत्तम बाजार न होने पर परिसम्पतियों एवं देयताओं के अत्यधिक लाभकारी बाजार में। उत्तम अथवा लाभकारी बाजार कम्पनी की पहुंच के दायरे में होना चाहिए।

(iii) किसी परिसम्पति अथवा देयता के उचित मूल्य का मापन बाजार प्रतिभागियों के ऐसे अनुमानों के अनुसार यह मानकर किया जाता है कि वे इसमें आर्थिक उत्तम हित में बाजार प्रतिभागी क्रिया कर रहे हैं।

(iv) किसी गैर–वित्तीय परिसम्पति के उचित मूल्य का मापन उच्चतर एवं बेहतर उपयोग से परिसम्पति का उपयोग आर्थिक लाभों की उत्पति के संबंध में बाजार प्रतिभागियों की क्षमता को विचार में लेकर अथवा इसकी बिक्री किसी अन्य बाजार कर करके, जो परिसम्पति का उपयोग उच्चतर एवं बेहतर ढंग से कर सकता है, किया जाता है।

(v) कम्पनी द्वारा मूल्यांकन तकनीकी का उपयोग किया जाता है ऐसी परिस्थितियों के लिए उचित हैं तथा जिनके संबंध में वह पर्याप्त डेटा उचित मूल्य के मापन के उद्देश्य से उपलब्ध

है, जिनसे सम्बद्ध प्रेक्षण योग्य इनपुट का अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा तथा गैर–प्रेक्षण योग्य इनपुट का उपयोग न्यूनतम किया जा सकेगा।

(vi) सभी परिसम्पतियां एवं देयताओं, जिनके संबंध में उचित मूल्य पर मापन अथवा वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया गया है, का वर्गीकरण उचित मूल्य की तारतम्यता का अनुसरण करके किया गया है जो न्यूनतम स्तर के इनपुट पर आधारित है तथा पूर्ण रूप से उचित मूल्य पर मापन के लिए महत्वपूर्ण हैंः–

(क) स्तर 1–समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा देयताओं के सक्रिय बाजारों में उद्धृत (गैर–समायोजित) बाजार मूल्य

(ख) स्तर 2–मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।

(ग) स्तर 3– मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गैर–प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।

(vii) ऐसी परिसम्पतियों एवं देयताओं के संबंध में, जो आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृत की गई हैं, कम्पनी द्वारा स्तरों के मध्य के स्तरों पर तारतम्यता में अंतरण किए जाने के निर्धारण (न्यूनतम स्तर इनपुट पर आधारित जो पूर्ण उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए जाते हैं।

(viii) महत्वपूर्ण परिसम्पतियों एवं देयताओं, यदि कोई हों, के लिए बाह्य मूल्यांककों की सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी द्वारा उन परिसम्पतियों एवं देयताओं के मूल्य के संचलनों का विश्लेषण किया जाता है जिनका मापन अथवा पुनःमापन कम्पनी की लेखांकन नीतियों के अनुसार किया जाना अपेक्षित होता है।

(ix) उचित मूल्य के प्रकटीकरण के लिए कम्पनी द्वारा परिसम्पतियों एवं देयताओं के वर्ग उनकी प्रकृति, विशिष्टताओं एवं परिसम्पति अथवा देयता से जुड़े जोखिमों तथा ऊपर स्पष्ट की गई तारतम्यता के अनुसार उचित मूल्य के स्तर के आधार पर किए जाते हैं।

(x) ऊपर उचित मूल्य के लिए लेखांकन नीतियों का संक्षेप प्रस्तुत किया गया है। उचित मूल्य से संबंधित अन्य प्रकटीकरण सम्बद्ध नोटों में किए गए हैं।

2.22 शेयरधारकों को लाभांश

कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को वार्षिक लाभांश के संवितरण को उस अवधि के लिए देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है जिस अवधि में लाभांश को स्वीकृति प्रदान की गई है। किसी अंतरिम लाभांश को निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत अनुसार देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है। देय लाभांश और लाभांश संवितरण कर को प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी के रूप में स्वीकार किया जाता है।

2.23 वित्तीय उपकरण

- वित्तीय उपकरण अनुबंध होते हैं जो किसी इकाई की वित्तीय परिसम्पति तथा किसी अन्य इकाई के किसी दायित्व अथवा वित्तीय उपकरण के संव्यवहार के लिए किए जाते हैं।

i) वित्तीय परिसम्पतियां

(क) <u>प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन</u>

- वित्तीय परिसम्पतियों को उचित मूल्य जमा या घटा संव्यवहार लागतों पर स्वीकृत किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय परिसम्पतियों (लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापण की गई परिसम्पतियों के अलावा) के अधिग्रहण या जारी करने से संबंधित हैं। वित्तीय परिसम्पतियों अथवा वित्तीय देयताओं से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहार लागतों को उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि के माध्यम से तुरंत लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

(ख) <u>अनुवर्ती मापन</u>

- अनुवर्ती मापन के उद्देश्य वित्तीय परिसम्पतियों को चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है:

क. <u>परिशोधन लागत पर नामे उपकरण</u>

- निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होने पर ऋण उपकरण का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता हैं:

क) परिसंपत्ति व्यवसाय मॉडल के अनुसार ही धारित है जिसे परिसंपत्ति से संविदागत रोकड़ प्रवाह एकत्रित करने के उद्देश्य से धारित किया गया है और

ख) परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह के लिए विशिष्ट तिथियों को निर्धारित करती हैं जो विशिष्ट रूप से बकार्यों मूल राशि पर मूल और ब्याज का भुगतान है।

- ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर विधि घटा हानि, यदि कोई हो, का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। क्षमता हानि से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ अथवा हानि में स्वीकृति दी जाती है। यह वर्ग सामान्यत व्यापार एवं अन्य प्राप्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है।

ख. अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण उपकरण (एफवीटीओसीआई)

- निम्नलिखित दोनों मापदंड पूरे होने पर ऋण उपकरण का वर्गीकरण अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है :

  क. व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदागत रोकड़ प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के बेचकर दोनों माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है, और

  ख. परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह विशिष्ट रूप से मूल और ब्याज के भुगतान (एसपीपीआई) को प्रस्तुत करती हैं।

- एफवीटीओसीआई श्रेणी के शामिल ऋण उपकरणों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है। तथापि, लाभ और हानि विवरण में कंपनी ब्याज आय, परिशोधित हानियों और प्रतिक्रमों तथा विदेशी विनिमय लाभ या हानि को स्वीकार करती है। परिसंपत्तियों को गैर–स्वीकार करने पर ओसीआई में पूर्व में स्वीकृत संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में इक्विटी से पुनःवर्गीकृत किया जाता है। अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

ग. लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर ऋण उपकरण

- एफवीटीपीएलप ऋण माध्यमों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण माध्यम, जो परिशोधित लागत या एफवी ओसीआई के रूप में श्रेणीकरण के मापदंड को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

- एफवीटीपीएल के वर्ग में शामिल ऋण उपकरणों का मापन लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर किया गया है।

ध. <u>इक्विटी उपकरण</u>

- इंड एएस 109 के कार्य क्षेत्र में इक्विटी निवेश का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। जो इक्विटी उपकरणएफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत व्यापार के लिए धारित किए गए हैं। अन्य सभी उपकरणों के लिए कम्पनी द्वारा उचित मूल्य पर अनुवर्ती परिवर्तन पर अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने का अशोध्य चयन किया गया है। कम्पनी द्वारा ऐसे चयन उपकरण – वार आधार पर किए जाते हैं। ऐसे वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति पर किए जाते हैं तथा ये अशोध्य होते हैं।

- यदि कम्पनी किसी इक्विटी उपकरण का वर्गीकरण एफवीटीओसीआई के रूप में करने का निर्णय लेते है तो लाभांशों के अलावा उपकरण के सभी उचित मूल्य परिवर्तनों की स्वीकृति अन्य व्यापक आय में की जाती है। निवेश की बिक्री के पश्चात भी अन्य व्यापक आय में से राशियों का पुनःचक्रण लाभ एवं हानि विवरण में नहीं किया जाता है। तथापि, कम्पनी इक्विटी में संचित लाभ एवं हानि का अंतरण कर सकती है।

- एफवीटीपीएल वर्ग में शामिल इक्विटी उपकरणों का मापन उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ किया जाता है।

ड. <u>वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता</u>

ईसीएल उन सभी संविदागत नकद प्रवाहों के मध्य का अंतर है जो कम्पनी संविदा के अंतर्गत देय हैं तथा जो ऐसे नकद प्रवाहों से संबंधित हैं जिनकी प्राप्ति की प्रत्याशा इकाई (अर्थात सभी नकद न्यूनताएं), तथा जो मूल ईआईआर पर न्यून किए गए हैं।

इंड एएस 109 के अनुसरण में कम्पनी द्वारा निम्नलिखित वित्तीय परिसम्पतियों एवं क्रेडिट ऋण जोखिमों से संबंधित प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल को मापन एवं अक्षमता हानि में स्वीकृति के लिए उपयोग किया गया है:

क. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा जिनका मापन परिशोधन लागत अर्थात ऋण, डेब्ट सिक्योरिटियों, जमा, व्यापार प्राप्यों एवं बैंक शेष के लिए किया गया है।

ख. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा एफवीटीओसीआई पर मापन की गई हैं।

ग. इंड एएस 116 के अंतर्गत पट्टा प्राप्य

घ. व्यापार प्राप्य अथवा अन्य संविदागत अधिकार के अंतर्गत प्राप्त नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पति जो ऐसे संव्यवहार से प्राप्त हो जो इंड एएस 115 के दायरे में है।

ङ. ऋण प्रतिबद्धताएं जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।

च. वित्तीय गारंटी अनुबंध जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।

- कम्पनी द्वारा निम्नलिखित के संबंध में अक्षमता हानि भत्ते की स्वीकृति के लिए ''सरल एप्रोच' का अनुसरण किया गया है:

  क. व्यापार प्राप्यों अथवा अनुबंध राजस्व प्राप्यों; तथा

  ख. सभी ऐसे पट्टा प्राप्यों जिनके संव्यवहार इंड एएस 116 के दायरे में हैं।

- सरल एप्रोच की उपयोज्यता के लिए कम्पनी को क्रेडिट जोखिम में ट्रैक परिवर्तन नहीं करने होते हैं। इसके स्थान पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को लाइफटाइम ईसीएल पर आधारित क्षमता हानि भत्तों का उपयोग प्रारंभिक स्वीकृति की तिथि से किया जाता है।

- वित्तीय परिसम्पतियों एवं ऋण जोखिम पर क्षमता हानि के संज्ञान के लिए कम्पनी यह निर्धारण करती है कि क्या प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है अथवा नहीं हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है तो 12 माह की ईसीएल का उपयोग क्षमता हानि के प्रावधान के लिए किया जाता है। तथापि, यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि होने पर लाइफटाइफ ईसीएल का

उपयोग किया जाता है। यदि किसी अनुवर्ती अवधि में उपकरण की क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार आता है तथा प्रारंभिक संज्ञान के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण बढ़त नहीं होती है तो इकाई द्वारा 12 माह की ईसीएल पर आधारित क्षमता ानि भत्ते को समाप्त कर दिया जाता है।

- लाइफटाइम ईसीएल वे प्रत्याशित क्रेडिट हानियां हैं जो वित्तीय परिसम्पति के संभावित उपयोज्यता काल में संभव चूक घटनाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। 12 माह ईसीएल लाइफटाइम ईसीएल का वह भाग है जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के दौरान संभावित चूक घटनाओं से उत्पन्न हुए हैं।

- ईसीएल क्षमता हानि भत्ता (अथवा रिवर्सल) की स्वीकृति आय/व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। इस राशि की प्रस्तुति ''अन्य व्यय'' शीर्ष के अंतर्गत लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। विभिन्न वित्तीय उपकरणों के अंतर्गत तुलन पत्र की प्रस्तुति का वर्णन नीचे किया गया हैः–

- परिशोधित लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियां, संविदागत राजस्व प्राप्य एवं पट्टा प्राप्यः ईसीएल की प्रस्तुति एक भत्ते के रूप में अर्थात तुलन पत्र में ऐसी परिसम्पतियों के मापन के अभिन्न भाग के रूप में की जाती है। निवल वहन राशि में से भत्ता घटा दिया जाता है। परिसम्पति द्वारा बट्टा मापदंड पूरे न किए जाने तक कम्पनी सकल वहन राशि में से क्षमता हानि भत्ते को कम नहीं करती है।

- ऋण प्रतिबद्धताएं एवं वित्तीय गारंटी संविदा : ईसीएल की प्रस्तुति तुलन पत्र में एक प्रावधान अर्थात एक दायित्व के रूप में की गई है।

- ऋण उपकरण का मापन एफवीटीओसीआई के अनुसार : ऋण उपकरणों का मापन एफवीओसीआई के अनुसार किया गया है, संभावित क्रेडिट हानियों से तुलन पत्र में वहन राशि कम नहीं हुई है जिससे यह उचित मूल्य पर होती है। परिसम्पति का मापन अन्य व्यापक आय में स्वीकृत परिशोधन लागत पर ''संचित परिशोधन राशि'' के रूप में करने की स्थिति में इसके स्थान पर भत्ते के समतुल्य एक राशि उत्पन्न होगी।

- कम्पनी द्वारा क्षीण क्रेडिट वाली वित्तीय परिसम्पतियों (पीओसीआई), अर्थात ऐसी परिसम्पतियां जिनका क्रेडिट क्रय / व्युत्पति पर क्षीण है, का क्रय अथवा व्युत्पति नहीं की गई है।

च. वित्तीय परिसम्पतियों की स्वीकृति समाप्ति

(क) किसी वित्तीय परिसम्पति (अथवा जहां लागू हो वित्तीय परिसम्पतियों का भाग अथवा समान प्रकार की वित्तीय परिसम्पतियों के समूह का भाग) की स्वीकृति तब समाप्त की जाती है जब वित्तीय परिसम्पतियों से प्राप्त होने वाले रोकड़ प्रवाहों के संविदागत अधिकार समाप्त हो जाते हैं अथवा जब वित्तीय परिसम्पतियां एवं अन्य सभी महत्वपूर्ण जोखिम एवं प्रतिफल अंतरित कर दिए जाते हैं।

(ख) वहन राशि एवं प्रतिफल के रूप में प्राप्त / प्राप्य राशि के मध्य के अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

ii) वित्तीय देयताएं

(क) प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

- सभी वित्तीय देयताओं की स्वीकृति प्रारंभ में उचित मूल्य पर, तथा ऋण एवं उधार तथा देयताओं के मामले में संव्यवहार लागतों से प्रत्यक्ष सम्बद्ध निवल के अनुसार की जाती है।

- कम्पनी की वित्तीय देयतों में व्यापार एवं अन्य देयताएं,ऋण एवं उधार, अन्य वित्तीय देयताएं इत्यादि शामिल हैं।

(ख) अनुवर्ती मापन

- वित्तीय देयताओं का मापन नीचे प्रस्तुत विवरण के अनुसार उनके वर्गीकरण पर निर्भर है:

(क) लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

कम्पनी के पास एफवीटीपीएल के अंतर्गत किसी प्रकार की वित्तीय देयताएं नहीं हैं।

(ख) परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं

क. ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताएं

- प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताओं का अनुवर्ती मापन ईआईआर विधि के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। लाभ एवं हानियों को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम देयताओं की स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है। परिशोधन लागत का आकलन किसी प्रकार की छूट अथवा अधिग्रहण प्रीमियम तथा शुल्क अथवा लागतों, जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं, को लेखे में लेकर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन में लाभ एवं हानि विवरण की वित्त लागतों को शामिल किया जाता है।

ख. वित्तीय देयताओं की स्वीकृति समाप्ति

- किसी वित्तीय देयता की स्वीकृति तब समाप्त होती है जब देयता के दायित्व पूरे कर लिए जाते हैं अथवा रद्द हो जाते हैं अथवा कालातीत हो जाते हैं। जब कोई विद्यमान वित्तीय देयता के स्थान पर समान ऋणदाता से महत्वपूर्ण भिन्न शर्तों पर अथवा विद्यमान देयताओं की शर्तों की संशोधित शर्तों पर कोई बदलाव किया जाता है तो ऐसे विनिमय अथवा सुधार को मूल देयता की स्वीकृति समाप्ति मानकर नई देयता के प्रति स्वीकृति की जाती है। सम्बद्ध वहन राशियों की भिन्नताओं को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

iii) वित्तीय गारंटी संविदाएं

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय गारंटी संविदाएं वे संविदाएं हैं जिनमें कंपनी को ऋण माध्यम की शर्तों के अनुसार देय होने पर विशिष्ट ऋणदाता द्वारा भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में धारक को हुए घाटे की प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए भुगतान की अपेक्षा होती है। वित्तीय गारंटी संविदाओं को आरंभिक तौर पर लागतों के संव्यवहारों के लिए समायोजित उचित मूल्य

पर देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है, को प्रत्यक्ष रूप से गारंटी के जारी किए जाने से संबंधित है। तत्पश्चात, देयता को इंड एएस 109 की हानि अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित घाटा भत्ते के राशि तथा स्वीकृत राशि घटा संचित परिशोधन, जो कोई भी अधिक हो, पर मापा जाता है।

iv) वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण

कम्पनी वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति के समय निर्धारित करती है। प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात उन वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी उपकरण अथवा वित्तीय देयता होते हैं। ऋण उपकरणों की वित्तीय परिसम्पतियों के लिए पुनःवर्गीकरण तभी किया जाता है जब ऐसी परिसम्पतियों के प्रबंधन के व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन हुआ हो। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन की संभावना कभी कभार होती है। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कम्पनी या किसी ऐसे क्रियाकलाप का निष्पादन करना प्रारंभ करती है अथवा समाप्त करती है जो उसके परिचालनों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कम्पनी वित्तीय परिसम्पतियों का वर्गीकरण करती है तो ऐसा पुनःवर्गीकरण उत्तरव्यापी प्रभाव से अगली रिपोर्टिंग अवधि के तत्काल निकट अगले दिन से व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन करके किया जाता है। कम्पनी स्वीकृत लाभों, हानियों (क्षमता लाभ अथवा हानियों सहित) अथवा ब्याज की पुनः प्रस्तुति नहीं करती है।

iv) वित्तीय माध्यमों की ऑफसेटिंग

स्वीकृत राशियों का समंजन करने के संबंध में चालू प्रवर्तनीय संविदागत विधिक अधिकार होने तथा परिसम्पतियों से प्राप्ति एवं साथ ही साथ देयताओं का निपटान निवल आधार पर करने की मंशा होने की स्थिति में वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं, एवं तुलन पत्र में सूचित की गई राशियों का समंजन किया जाएगा।

2.24 बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां

(क) जब किसी परिसम्पति का धारण उसकी वहन लागत की वसूली मूलतः बिक्री संव्यवहार के लिए किया जाता है तथा बिक्री संव्यवहार की संभावना काफी विश्वसनीय होती है तो गैर–चालू परिसम्पतियां (अथवा निपटान समूह) का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित परिसम्पतियों के रूप में किया जाता है। किसी बिक्री को काफी विश्वसनीय तब माना जाता है जब परिसम्पति अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में बिक्री के लिए उपलबध हो तथा बिक्री न होने की संभावना न हो एवं बिक्री की प्रकिया वर्गीकरण किए जाने से एक वर्ष में की जानी संभावित हो। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूहों को उल्लिखित वहन राशि से कम मूल्य पर तथा बिक्री की लागतों को घटाकर उचित मूल्य किया जाता है। बिक्री के धारित का वर्गीकरण करने के पश्चात सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश सम्पति एवं अमूर्त परिसम्पतियों का मूल्यह्रास अथवा परिशोधन नहीं किया जाता है। बिक्री / वितरण के वर्गीकृत के साथ धारित परिसम्पतियों की प्रस्तुति तुलन पत्र में अलग से की जाती है।

(ख) यदि इंड एएस 105 ''बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां'' के उल्लिखित मापदंडों को पूरा नहीं किया जाता है तो बिक्री के लिए धारित निपटान समूहों का वर्गीकरण समाप्त कर दिया जाता है। वर्गीकरण समाप्त की गई बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियों का मापन

(1) बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पति के रूप में वर्गीकरण से पूर्व उसकी वहन राशि, मूल्यह्रास के समायोजन के पश्चात जो तब किया जाता जब बिक्री के धारित परिसम्पति का वर्गीकरण न होगा, तथा

(2) उस तिथि की उसकी वसूली योग्य राशि जब निपटान समूह का वर्गीकरण बिक्री के धारित के लिए समाप्त किया गया था, से न्यून किया जाता है।

मूल्यह्रास रिर्वसल समायोजन से संबंधित सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश परिसम्पति तथा अमूर्त परिसम्पतियों को उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता जिस अवधि में गैर–चालू परिसम्पतियों का धारण बिक्री के लिए किए जाने के मापदंड पूरे नहीं हो पाते हैं।

2.25 पूर्वावधि समायोजन

चालू वर्ष में पूर्वावधि से संबद्ध चूक / अकरण पाई जाने पर यदि प्रत्येक एवं अकरण का औसत कम्पनी के पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल परिचालन राजस्व के 0.50 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है तो उसका उपचार सारहीन रूप से किया जाता है तथा उसका समायोजन चालू वर्ष में किया जाता है।

2.26 महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान एवं निर्धारण

- उक्त वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए उपयोग में लाए गए अनुमानों का अनवरत मूल्यांकन कम्पनी द्वारा किया जाता है तथा ये ऐतिहासिक अनुभव एवं विभिन्न अन्य अनुमानों एवं कारकों (भावी घटनाओं की संभावनाओं सहित), जिनके प्रति कम्पनी का विश्वास विद्यमान परिस्थितियों के कारण औचित्यपरक रूप से है, पर आधारित होते हैं।

- ऐसे अनुमान ऐसे तथ्यों एवं घटनाओं पर आधारित होते हैं जो रिपोर्टिंग तिथि को विद्यमान हैं अथवा जिनका आस्तित्व इस तिथि के पश्चात हुआ है परन्तु विद्यमान स्थितियों के अनुसार रिपोर्टिंग तिथि को इनका आस्तित्व होने के अतिरिक्त प्रमाण उपलब्ध हैं। तथापि, कम्पनी द्वारा ऐसे अनुमानों, वास्तविक परिणामों का नियमित मूल्यांकन किया जाता है परन्तु ऐसे अनुमान आंके जाने के समय औचित्यपरक होते हुए इनके वास्तविक परिणाम सामग्रीगत रूप से भिन्न हो सकते हैं तथा ऐसे परिणाम ऐतिहासिक अनुभव अथवा अनुमानों से भिन्न होने पर भी पूरी तरह से सटीक नहीं होते हैं। अनुमानों में होने वाले परिवर्तनों की स्वीकृति उस अवधि के वित्तीय विवरणों में की जाती है जिस अवधि में ये ज्ञात होते हैं।

- रिपोर्टिंग तिथि को भावी एवं अन्य प्रमुख स्रोतों के अनुमानों की अनिश्चितता से संबंधित प्रमुख अनुमान, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष में परिसम्पतियों एवं देयताओं की वहन राशियों में सामग्रीगत समायोजन की उत्पति का महत्वपूर्ण जोखिम व्याप्त है, का वर्णन नीचे किया गया है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

(i) संग्रहित न किए गए व्यापार प्राप्यों के लिए प्रावधान

- व्यापार प्राप्यों के साथ ब्याज नहीं होता है तथा इनकी प्रस्तुत उनके सामान्य मूल्यों पर अनुमानित वसूलीयोग्य राशि पर छूट करके प्रदान की जाती है जो प्राप्य शेष एवं ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित होती है। व्यापार प्राप्यों का अलग अलग बट्टा तब किया जाता है जब प्रबंधन को उनकी वसूली संभव प्रतीत नहीं होती है।

(ii) आकस्मिताएं

- कम्पनी के प्रति व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के दौरान आकस्मिक देयताओं की उत्पति न्यायिक मामलों एवं अन्य दावों के परिणामस्वरूप होती है। ये ऐसे दायित्व होते हैं जिनके संबंध में प्रबंधन सभी उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर संबंधित भुगतान अथवा कठिनाई के परिमाण के अनुमान विश्वसनीयता से नहीं आंक सकती है तथा ऐसे दायित्वों को आकस्मिक दायित्व मानकर इनका प्रकटीकरण नोटों में किया गया है। इस प्रकार, कम्पनी के फसाव वाली विधिक प्रक्रियाओं के अंतिम प्रतिफल का ऐसा कोई निश्चित प्रमाण नहीं है जिससे आकस्मिकताओं का सामग्रीगत प्रभाव का कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर होने के विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सके।

(iii) वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

- वित्तीय परिसम्पतियों के लिए अक्षमता प्रावधान चूक जोखिमों एवं संभावित हानि दरों के अनुमानों पर आधारित होते हैं। कम्पनी अपने विवेक का उपयोग करके ऐसे अनुमान लगाकर अक्षमता इनपुट का आकलन करती है जो कम्पनी के पूर्व इतिहास, बाजार स्थितियों के आधार एवं प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लगाए जाने वाले वाले भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं।

(iv) कर

- जटिल कर विनियमों की व्याख्या, कर विधियों में बदलाव एवं राशि एवं भावी करयोग्य आय के संबंध में अनिश्चितताएं व्याप्त होती हैं। व्यापार के स्वरूप के कारण वास्तविक परिणाम एवं लगाए गए अनुमानों अथवा ऐसे अनुमानों में भावी परिवर्तनों से होने वाली

भिन्नताओं के कारण पहले से रिकार्ड की गई कर आय एवं व्यय में भविष्य में समायोजन करने पड़ सकते हैं। कम्पनी द्वारा ऐसे औचित्यपरक अनुमानों के आधार पर प्रावधान स्थापित किए गए हैं। ऐसे प्रावधानों की राशि पूर्व कर लेखापरीक्षा के अनुभव एवं करयोग्य इकाईयों द्वारा की गई कर की भिन्नताओं की व्याख्या जैसे विभिन्न कारकों पर आधारित होती है। व्याख्या में भिन्नता के कारण कम्पनी के कार्यक्षेत्र में व्याप्त परिस्थितियों से विभिन्न प्रकार के अनेक मामले उत्पन्न हो सकते हैं।

- आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस विस्तार तक की जाती है जहां तक ऐसी विश्वसनीयता हो कि इससे करयोग्य लाभ प्राप्त होंगे जिनके प्रति हानियों का उपयोग किया जा सकेगा। आस्थगित कर परिसम्पतियों की राशि के स्वीकृति योग्य निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है जो समय की अनुकूलता एवं भावी करयोग्य लाभ के स्तर के साथ साथ भावी कर योजना रणनीतियों पर आधारित होते हैं।

(v) गैर–वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

- अक्षमता तब उत्पन्न होती है जब किसी परिसम्पति रोकड़ उत्पति यूनिट का वहन मूल्य उसकी वसूलीयोग्य राशि से अधिक हो जाता है तथा जो उसकी निपटान लागतों एवं उपयोग मूल्य को घटाकर उचित मूल्य से अधिक होता है। उचित मूल्य घटाकर निपटान लागत के आकलन आर्म लैंथ पर किए गए बाध्यकारी बिक्री संव्यवहारों से उपलब्ध डेटा पर आधारित होते हैं जो परिसम्पति के निपटान की आवर्धित लागतों को घटाकर समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा प्रत्यक्ष बाजार मूल्यों के अनुसार होते हैं। उपयोग मूल्य का आकलन डीसीएफ मॉडल पर आधारित होता है।

(vi) बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां

- जब किसी परिसम्पति का धारण उसकी वहन लागत की वसूली मूलतः बिक्री संव्यवहार के लिए किया जाता है तथा बिक्री संव्यवहार की संभावना काफी विश्वसनीय होती है तो गैर–चालू परिसम्पतियां (अथवा निपटान समूह) का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित परिसम्पतियों के रूप में किया जाता है। किसी बिक्री को काफी विश्वसनीय तब माना

जाता है जब परिसम्पति अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में बिक्री के लिए उपलबध हो तथा बिक्री न होने की संभावना न हो एवं बिक्री की प्रक्रिया वर्गीकरण किए जाने से एक वर्ष में की जानी संभावित हो।

(vii) पट्टे – आवर्धित ऋण दर के अनुमान

- कम्पनी पट्टे की अंतर्निहित ब्याज दरों का निर्धारत तत्परता से नहीं कर सकती है, तदनुसार, कम्पनी द्वारा अपनी पट्टा देयताओं के मापन के लिए अपनी आवर्धित ऋण दर (आईबीआर) का उपयोग किया जाता है। आवर्धित ऋण दर वह ब्याज दर है जो कम्पनी को समान प्रकार की शर्तों पर, समान प्रकार की सुरक्षा के साथ, समान मूल्य पर परिसम्पति की प्राप्ति के लिए आवश्यक निधियों की प्राप्ति पर समान आर्थिक परिवेश में उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति के लिए आवश्यक ऋण के प्रति भुगतान के लिए करने होते हैं।

(viii) नवीकरण एवं समापन विकल्प के साथ पट्टे के अनुबंध काल का निर्धारण – पट्टेदार के रूप में कम्पनी

- कम्पनी पट्टा काल का निर्धारण पट्टे को रद्द न किए जाने की शर्त के साथ करती है जिसमें पट्टे की किन्हीं अवधियों को विस्तारित करने, यदि इसका उपयोग करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, अथवा पट्टे का समापन करने के विकल्प के साथ शामिल अवधियों, यदि इसका उपयोग न करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, का समावेश होता है।

- कम्पनी द्वारा ऐसे पट्टा अनुबंध किए गए हैं जिनमें विस्तार एवं समापन के विकल्प हैं। कम्पनी अपने विवेक से यह ज्ञात करती है कि क्या किसी पट्टे का नवीकरण करने अथवा उसका समापन करने के विकल्प के उपयोग के प्रति किसी प्रकार के औचित्यपरक कारक हैं अथवा नहीं हैं। इस प्रकार के सभी सम्बद्ध कारकों पर विचार से कम्पनी के सम्मुख नवीकरण करने अथवा समापन करने के विकल्प के उपयोग का आर्थिक कारण प्रस्तुत हो जाता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात कम्पनी पट्टा काल का मूल्यांकन करके यह ज्ञात करती है कि क्या परिस्थितियों में किसी प्रकार की ऐसी

महत्वपूर्ण घटनाएं अथवा बदलाव हुए हैं जो उसके नियंत्रण में हैं तथा जिनके प्रभाव से कम्पनी को नवीकरण अथवा समापन करने के विकल्प का उपयोग करना पड़ सकता है अथवा नहीं करना पड़ सकता है (अर्थात महत्वपूर्ण पट्टाधारित सुधार अथवा पट्टाधारित परिसम्पतियों में महत्वपूर्ण बदलाव)।

(ix) राजस्व स्वीकृति

- कम्पनी की एक राजस्व मान्यता नीति है, जो 2.10 पर उपलब्ध है, जिसके उपयोग से कम्पनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्वाह किए गए कार्यों का मूल्यांकन करके प्रभाव ज्ञात करती है।

- इन नीतियों में किए गए अनुबंधों के प्रतिफल से संबंधित पूर्वानुमान किए जाने की अपेक्षा की गई है जिसके लिए कार्यक्षेत्र एवं दावों तथा भिन्नताओं के संबंध मूल्यांकन एवं निर्णय लिए जाने अपेक्षित होते हैं।

- अनेक ऐसी दीर्घकालिक एवं जटिल परियोजनाएं हैं जिनके लिए कम्पनी द्वारा अनुबंध पात्रताओं के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय निर्धारण किए गए हैं। इनके संभावित प्रतिफलों के परिणाम से इनकी लाभप्रदत्ता एवं नकदी प्रवाह में होने वाले सामग्रीगत सकारात्मक अथवा नकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं।

  अनुबंध के नीचे उल्लिखित कारकों के संबंध में भी अनुमान लगाए जाने अपेक्षित होते हैं।

- कार्य की पूर्णता के चरण का निर्धारण
- परियोजना पूर्ण होने की तिथि के अनुमान
- संभावित हानियों के लिए प्रावधान
- दावों एवं भिन्नताओं सहित कार्य निष्पादन के लिए कुल राजस्व एवं कुल अनुमानित लागतों के अनुमान
- इनकी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को समीक्षा की जाती है और चालू सर्वोत्तम अनुमानों को प्रदर्शित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

अनुबंध से संबंधित लागतों एवं राजस्व का संज्ञान अनुबंध क्रियाकलापों की पूर्ति के चरण के अनुसार रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किया जाता है जो अनुमानित कुल अनुबंध लागतों की संबंधित तिथियों तक निष्पादित किया गया है जो कि इसकी पूर्णता का चरण नहीं माना जाना है। अनुबंध कार्य की भिन्नताओं तथा दावों को इस विस्तार तक शामिल किया जाता है जिससे इसकी राशियों से मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सके तथा उनकी प्राप्ति की पूर्ण संभावना हो। जब अनुबंध लागतें कुल अनुबंध राजस्व से अधिक होने की संभावना होती है तो तत्काल संभावित हानि की स्वीकृति व्यय के रूप में की जाती है।

3 परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण

(रूपए करोड में)

फंटनोट	फ्रीहोल्ड भूमि	पट्टाधारी भूमि	पट्टाधारी भवन	फ्रीहोल्ड भवन/फ्लैट - आवासीय	फ्रीहोल्ड भवन/फ्लैट - गैर आवासीय	संयंत्र और मशीनरी	सर्वेक्षण उपकरण	कम्प्यूटर	मोबाइल हैंडसेट	कार्यालय उपकरण	फर्नीचर व फिक्सचर	कैन्वास, कैम्प, अस्थायी शेड	वाहन	कुल
सकल वहन राशि (लागत पर)														
1 अप्रैल 2018 के	-	-	-	-	-	-	-	**0.01**	-	-	-	-	-	**0.01**
संवर्धन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	0.02
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
परिसंपत्ति प्रयोग अधिकार का अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बिक्री के लिए धारित परिसंपत्ति का अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विनिमय (लाभ)/ हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2019	-	-	-	-	-	-	-	**0.01**	-	**0.02**	-	-	-	**0.03**
परिसंपत्ति प्रयोग अधिकार का अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल 2019 के	-	-	-	-	-	-	-	**0.01**	-	**0.02**	-	-	-	**0.03**
संवर्धन	-	-	-	-	-	-	-	0.04	-	0.08	-	-	-	0.12
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बिक्री के लिए धारित परिसंपत्ति का अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
विनिमय (लाभ)/ हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2020 को	-	-	-	-	-	-	-	**0.05**	-	**0.10**	-	-	-	**0.15**
मूल्यह्रास एवं हानि														
31 मार्च 2019 को	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभारित मूल्यह्रास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
परिसंपत्ति प्रयोग अधिकार का अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
बिक्री के लिए धारित परिसंपत्ति का अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
विनिमय (लाभ)/ हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
परिसंपत्ति प्रयोग अधिकार का अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल 2019 के	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभारित मूल्यह्रास	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	0.02
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
परिसंपत्ति प्रयोग अधिकार का अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
बिक्री के लिए धारित परिसंपत्ति का अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विनिमय (लाभ)/ हानि	-	-	-	-	-	-	-	**0.01**	-	**0.01**	-	-	-	**0.02**
31 मार्च 2020														
निवल बही मूल्य														
31 मार्च 2020 को	-	-	-	-	-	-	-	**0.04**	-	**0.09**	-	-	-	**0.13**
31 मार्च 2019 को	-	-	-	-	-	-	-	**0.01**	-	**0.02**	-	-	-	**0.03**

ii) लाभ और हानि विवरण के नामे वर्ष के लिए परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास और परिशोधन

Description	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2020 को
मूर्त परिसंतियों पर हानि	0.01	-
हानि घाटा	-	-
कुल	**0.01**	-

4 अमूर्त परिसंपत्तियां

(रूपए करोड़ में)

विवरण	**विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां**	**अमूर्त परिसंपत्ति (टोल रोड)**	**अन्य अमूर्त (साफ्टवेयर)**
सकल ब्लॉक			
31 मार्च 2018 को अंतिम शेष	277.58	0	
वर्ष के दौरान संवर्धन	338.17	520.76	0
वर्ष के दौरान पूंजीकरण	520.76	0	0
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	90.11	0	0
31 मार्च 2019 को अंतिम शेष	4.88 0	520.76	0
वर्ष के दौरान संवर्धन	25.2		0
वर्ष के दौरान पूंजीकरण			0
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन##	13.15		0
31 मार्च 2020 को अंतिम शेष	16.94	520.76	0
## एनएचएआई से इकिवटी सहायता को अमूर्त परिसंपत्तियों से कम किया जाएगा			
परिशोधन एवं हानि			
31 मार्च 2018 को अंतिम शेष	0		0
वर्ष के दौरान परिशोधन	0	2.77	0
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	0		0
31 मार्च 2019 को अंतिम शेष	0	2.77	0
वर्ष के दौरान परिशोधन	0	23.03	0
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	0		
31 मार्च 2020 को अंतिम शेष	0	25.8	0
निवल बही मल्य			
31 मार्च 2019 को	16.94	494.96	0
31 मार्च 2018 को	4.88	517.99	0

नोटः-
1. अमूर्त परिसंपत्यिों (टोल रोड) में टोल रोड के ईपीसी कार्यों सहित टोल रोड के लिए अनिवार्य साफ्टवेयर सहित आईओ अवसंरचना का मूल्यि भी शमिल है। इसकी अलग से गणना नहीं की गई हे और यह परिसंपत्ति का अभिन्न अंग है।

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड

5.1 गैर चालू परिसंपत्तियां - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रूपए करोड में)

विवरण	**31 मार्च 2020 को**	**31 मार्च 2019 को**
क) वसूली योग्यः अरक्षित		
प्रतिभूति जमा राशियां		
अन्य	0.04	0.04
संविदागत परिसंपत्तियां		
ग्राहकों के पास प्रतिधारण राशि (संदर्भ नोट 34)	0.96	0.96
कुल (क)	**1**	**1**
ख) संदिग्ध समझे गए		
कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - संदिग्ध (ख)	0	0
सकल योग - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (क+ख)	1	1

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड

अस्थगित कर परिसंपत्तियों और आय कर

इंड एएस 13 "आयकर" के अनुसरण में प्रकटन

(क) 31 मार्च 2020 तथा 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु आय कर व्यय के प्रमुख घटक हैं:

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	को समाप्त वर्ष	
		31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
1	**लाभ और हानि खंड**		
	चालू आय कर:		
	चालू आय कर प्रभार	-	-
	पिछले वर्ष के चालू आयकर के संबंध में समायोजन	0.01	-
	आस्थगित कर:		
	अस्थायी अंतरों के समायोजन एंव प्रतिक्रम से संबंधित	-	(0.71)
	लाभ और हानि खंड में प्रस्तुत आयकर व्यय	**0.01**	**(0.71)**
2	**अन्य वृहत आय (ओसीआई) खंड**		
	वर्ष के दौरान ओसीआई में स्वीकृत मदों से संबंधित आयकर		
	निर्धारित लाभ योजनाओं के पुन:मापन पर निवल घाटा/(लाभ)	-	-
	विदेशी प्रचालन अंतरण पर निवल घाटा/(लाभ)	-	-
	ओसीआई खंड में प्रस्तत आयकर व्यय	-	-

(ख) 31 मार्च 2020 तथा 31 मार्च 2019 के लिए भारत के घरेलू कर दर द्वारा गुणा कर व्यय और लेखांकन लाभ का समायोजन: **(रूपए करोड़ में)**

क्र.सं.	विवरण	को समाप्त वर्ष	
		31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
1	आयकर से पूर्व लेखांकन लाभ	(17.18)	(2.83)
2	आयकर अधिनियम,1961 के अनुसार निगमित कर दर	26%	26%
3	लेखांकन लाभ पर कर (3) = (1) * (2)	-	-
4	कर समायोजन प्रभाव:		
(i)	पूर्ववर्ती वर्षों के चालू आयकर के संबंध में समायोजन	0.01	-
(ii)	पिछले अस्वीकृत कर घाटों का उपयोग	-	-
(iii)	दर अंतर प्रभाव	-	-
(iv)	कर से छूट प्राप्त आय पर कर	-	-
(v)	कर प्रयोजनों हेतु गैर कटौती योग्य व्यय		
	अन्य देशों के अतिरिक्त कर	-	-
	अन्य गैर कटौती योग्य व्यय	-	-
(vi)	विभिन्न अन्य मदों पर प्रभाव	-	(0.71)
5	**लाभ एवं हानि विवरण में प्रस्तत आयकर व्यय**	**0.01**	**(0.71)**
6	प्रभावी कर दर		

(ग) तुलन पत्र और लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत आस्थगित कर (परिसंपत्तियां) और देयताएं

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	तलन पत्र		लाभ हानि विवरण	
		31 मार्च 2020	31 मार्च 2019	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
1	परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित) : बही में अंतर-मूल्यह्रास एवं आयकर मूल्यह्रास	(39.84)	-	(39.84)	-
2	प्रावधान	-	-	-	-
3	अन्य/व्यवसाय घाटा	40.65	0.81	39.84	0.71
4	आयकर अधिरियम, 1961 की धारा 43बी के अंतर्गत अस्वीकृत मदें	-	-	-	-
5	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु स्वीकार्य।	-	-	-	-
6	वित्तीय माध्यमों का उचित मूल्यांकन	-	-	-	-
7	एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों और एफवीटीपीएल म्यूचुवल फंड पर अप्रयुक्त लाभ/हानि	-	-	-	-
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां /(देयताएं)	**0.81**	**0.81**	-	**0.71**

^^ व्यापार घाटे के कारण उत्पन्न होने वाले आस्थगित कर परिसंपत्तियों को रूढ़िवाद के मामले के रूप में पीपीई और अमूर्त आस्तियों से उत्पन्न परिसंपत्तियों पर कर देयता तक सीमित कर दिया गया है। 4.46 करोड़ रुपये की आस्थगित कर संपत्ति को विवेकपूर्ण नीति के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, लेखांकन नीति 1717 के अनुसार

(घ) तुलन पत्र में प्रदर्शित निम्नानुसार:

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
1	आस्थगित कर परिसंपत्तियां	40.65	0.81
2	आस्थगित कर देयताएं	(39.84)	-
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां /(देयताएं) (निवल)	**0.81**	**0.81**

नोट: आस्थगित कर परिसंपत्तियों और आस्थगित कर देयताओं को ऑफसेट किया गया है क्योंकि वे समान शासी नियमों से संबंधित हैं।

(ड.) आस्थगित कर (देयताओं) और परिसंपत्तियों का समायोजन :

31 मार्च 2020 को

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	1 अप्रैल 2019 को शेष (निवल)	लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत	ओसीआई में स्वीकृत	31 मार्च 2020 को शेष (निवल)
1	परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित) : बही में अंतर-मूल्यह्रास एवं आयकर मूल्यह्रास	-	(39.84)	-	(39.84)
2	प्रावधान	-	-	-	-
3	अन्य/व्यवसाय घाटा	0.81	39.84	-	40.65
4	आयकर अधिरियम, 1961 की धारा 43बी के अंतर्गत अस्वीकृत मदें	-	-	-	-
5	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु स्वीकार्य।	-	-	-	-
6	वित्तीय माध्यमों का उचित मूल्यांकन	-	-	-	-
7	एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों और एफवीटीपीएल म्यूचुवल फंड पर अप्रयुक्त लाभ/हानि	-	-	-	-
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां /(देयताएं)	0.81	-	-	0.81

31 मार्च 2019 को

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	1अप्रैल 2018 को शेष (निवल)	लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत	ओसीआई में स्वीकृत	31 मार्च 2019 को शेष (निवल)
1	परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित) : बही में अंतर-मूल्यह्रास एवं आयकर मूल्यह्रास	-	-	-	-
2	प्रावधान	0.00	-	-	-
3	अन्य/व्यवसाय घाटा	0.10	0.71	-	**0.81**
4	आयकर अधिरियम, 1961 की धारा 43बी के अंतर्गत अस्वीकृत मदें	0.00	0.00	-	-
5	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु स्वीकार्य।	0.00	-	-	-
6	वित्तीय माध्यमों का उचित मूल्यांकन	0.00	0.00	-	-
7	एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों और एफवीटीपीएल म्यूचुवल फंड पर अप्रयुक्त लाभ/हानि	0.00	0.00	-	-
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां /(देयताएं)	0.10	0.71	-	0.81

7 चालू परिसंपत्तियां -वित्तीय परिसंपत्तियां

7.1 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां - व्यापार प्राप्य

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
वसूली योग्य - अरक्षित	9.66	15.15
संदिग्ध समझे गए - अरक्षित	-	-
घटा : संदिग्ध ऋणों के लिए हानि प्रावधान	-	-
कुल	**9.66**	**15.15**

7.2 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां - रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
बैंकों में शेष:			
- चालू खातों में ^		1.11	0.44
- फ्लैक्सी चालू खातों में ^		11.65	0.85
		12.76	**1.29**

^ उपर्युक्त शेष एस्क्रो खाते से संबंधित है, जो एनएचएआई के साथ किए गए रियायत करार के अनुसार निर्धारित निधि है।

7.3 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां - ऋण

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
(i) अन्य:			
स्टाफ ऋण और अग्रिम		-	-
		-	-
कुल (ख) - वसूली योग्य : अरक्षित (i)		-	-

ग. संदिग्ध समझे गए

कुल (ग) - संदिग्ध ऋण		-	-
कुल		-	-

7.4 **चालू परिसंपतियां - अन्य वित्तीय परिसंपतियां**

(रूपए करोड में)

विवरण	**31 मार्च 2020 को**	**31 मार्च 2019 को**
क. वसूली योग्य: अरक्षित		
ग्राहकों के पास प्रतिभति जमा राशियां	-	-
संचित ब्याज:		
- बैंकों में जमा राशि	0.02	-
संविदागत परिसंपतियां		
- बिलयोग्य राजस्व/प्राप्य पर अदेय {संदर्भ नोट (ii)}	-	-
ग्राहकों से आहरित राशि (संदर्भ 34)	0.88	0.88
- प्रगतिरत निर्माण कार्य (उचित मूल्य पर)	-	-
- ग्राहकों के पास प्रतिभूति जमा राशियां	-	-
अन्य वसली योग्य:		
अन्य वसूली योग्य:	50.23	111.90
संदिग्ध समझे गए : अरक्षित	-	-
कुल	**51.13**	**112.78**

नोट:

(क) अन्य वसूली योग्य में 46.94 करोड रूपए (पिछले वर्ष 102.51 करोड रूपए) शामिल हैं जो इक्विटी सहायता के रूप में एनएचएआई से देय हैं (संइर्भ नोट 38(घ)

8 चालू परिसंपत्तियां - चालू कर परिसंपत्यिां (निवल)

(रूपए करोड में)

विवरण	**31 मार्च 2020**	**31 मार्च 2019**
टीडीएस एवं अग्रिम कर सहित प्रदत्त कर (कर हेतु प्रावधान का निवल)	6.78	4.48
चालू कर परिसंपत्यिां (निवल)	**6.78**	**4.48**

चालू कर परिसंपत्यिां (निवल)

(रूपए करोड में)

विवरण	**31 मार्च 2020**	**31 मार्च 2019**
प्रदत्त करः		
आयकर - टीडीएस	-	-
अग्रिम आयकर	6.78	4.48
मांग के प्रति आयकर विभाग में जमा राशि	-	-
घटाः कर हेत् प्रावधान	-	-
कुल	**6.78**	**4.48**

9 अन्य चालू परिसंपत्तियां

(रूपए करोड में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वसूली योग्य : अरक्षित			
पूंजी अग्रिमों से इतर अग्रिम		-	-
वस्तु एवं सेवा कर		-	2.45
पूर्व प्रदत्त व्यय		-	0.14
संदिग्ध समझे गए: अरक्षित		-	-
कुल		**-**	**2.59**

10 इक्विटी शेयर पूंजी

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
प्रति 10 रूपए के 17,50,00,000 के पूर्णत प्रदत्त इक्विटी शेयर	175.00	175.00
	175.00	175.00
जारी/अंशदायी और प्रदत्त पूंजी		
प्रति 10 रूपए के 16,50,00,000 के पूर्णत प्रदत्त इक्विटी शेयर	165.00	165.00
	165.00	165.00

(क) कंपनी में शेयरधारकों के धारण का ब्यौरा

शेयरधारकों का नाम	31 मार्च 2020		31 मार्च 2019	
	शेयरों की संख्या	श्रेणी में प्रतिशत धारिता	शेयरों की संख्या	श्रेणी में प्रतिशत धारिता
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड - घारक कंपनी (इरकॉन)	165,000,000	100.00%	165,000,000	100.00%

(ख) वर्ष के आरंभ और अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या और बकाया शेयर पूंजी का विनियोजन

विवरण	31 मार्च 2020		31 मार्च 2019	
	शेयरों की संख्या	लाख रूपए में	शेयरों की संख्या	लाख रूपए में
वर्ष के आरंभ में जारी/अंशदायी और प्रदत्त इक्विटी शेयर	165,000,000	165.00	165,000,000	165.00
जमाः वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
घटाः वर्ष के दौरान बाय बैक शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में जारी/अंशदायी और प्रदत्त इक्विटी शेयर	**165,000,000**	**165.00**	**165,000,000**	**165.00**

11 अन्य इक्विटी

(रूपए करोड में)

विवरण	**31 मार्च 2020 को**	**31 मार्च 2019 को**
प्रतिधारण आमदनी	-15.37	1.81
सामान्य आरक्षित निधि	-	-
पूंजी रिडेम्पशन आरक्षित निधि	-	-
अन्य वृहत आय	-	-
कुल	**-15.37**	**1.81**

i) <u>निम्नानुसार संचलन</u>

(क) प्रतिधारण आमदनी		
आरंभिक शेष	1.81	3.92
लाभ और हानि विवरण में अतिरेक से अंतरित	-17.18	-2.11
समापन शेष	**-15.37**	**1.81**
(ख) सामान्य आरक्षित निधि		
आरंभिक शेष व समापन शेष	-	-
(ग) अन्य वृहत आय		
आरंभिक शेष व समापन शेष	-	-
सकल योग (क+ख+ग)	**-15.37**	**1.81**

ii) <u>अन्य आरक्षित निधि की प्रकृति और प्रयोजन:</u>

(क) प्रतिधारित आमदनियां

प्रतिधारित आमदनियां कंपनी के अवितरित लाभों को दर्शाती हैं।

(ख) सामान्य आरक्षित निधि

सामान्य आरक्षित निधि वैधानिक भंडार का प्रतिनिधित्व करता है, यह कॉर्पोरेट कानून के अनुसार है जिसमें लाभ का एक हिस्सा जनरल रिजर्व को दिया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत,सामान्य आरक्षित निधि के लिए किसी भी राशि का हस्तांतरण कंपनी के विवेक पर है।

(ग) अन्य वहृत आय की मदें

अन्य वृहत आय की मदें विदेशी प्रचालनों के अंतरण में विनिमय अंतर के कारण उत्पन्न शेष को दर्शाते हैं।

12 **गैर चालू देयताएं - वित्तीय देयताएं**

12.1 **गैर चालू वित्तीय देयताएं - ऋण**

(रूपए करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च 2020 को**	**31 मार्च 2019 को**
रक्षितः		
(क) धारक कंपनी से ऋण (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड) (नीचे प्रस्तुत नोट व 13.1 का संदर्भ लें)	379.29	309.7
कुल	379.29	309.7

नोटः

(क) अन्य अल्पकाली ऋणों के लिए पनर्भुगतान की शर्तों और अन्य रक्षित दीर्घकालीन ऋणों के संबंध में उपलब्ध प्रतिभूति का ब्यौरा :-

प्रतिभूति का विवरण एवं अवधि	**31 मार्च 2020 को**	**31 मार्च 2019 को**
घटाः चालू परिपक्वताएं (अगले वित्तीय वर्ष में पुनःदेय राशि) नोट 13.1- वित्तीय देयताएं चालू ऋण में प्रदर्शित	417.22	337.85
घटाः चालू परिपक्वताएं (अगले वित्तीय वर्ष में पुनःदेय राशि) नोट 13.1- वित्तीय देयताएं चालू ऋण में प्रदर्शित	37.93	28.15
बकाया राशि	379.29	309.7

(ख) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से लिए गए ऋण की मंजूरी शर्तों के अनुसार, देय ब्याज एसबीआई बेस रेट + 0.50% के बराबर है, जो मासिक रूप से देय वर्तमान में 8.65% प्रति वर्ष की दर पर है। देय मासिक। कंपनी ने पहले ही अपनी 41 वीं बोर्ड बैठक में मंजूरी दे दी है, जो कि अगली तिमाही में 1.4.21 से शुरू होने वाली संरचित त्रैमासिक किश्तों में पुनर्भुगतान अनुसूची में बदलाव के लिए 18.5.2020 दिनांकित है। ऋण की ब्याज दर को भी एक वर्ष के लिए एसबीआई एमसीएलआर दर में संशोधित किया जा रहा है, जिसमें 31.3.2020 तक के ऋण पर ब्याज भुगतान को स्थगित करना शामिल है। इस संबंध में होल्डिंग कंपनी में संशोधन का अनुरोध पहले ही किया जा चुका है।

13 **चालू देयताएं - वित्तीय देयताएं**

13.1 **चालू वित्तीय देयताएं - कर्ज**

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
(क) धारक कंपनी से ऋण (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड)	37.93	28.15
कुल	37.93	28.15

13.2 **चालू वित्तीय देयताएं - व्यापार प्राप्य**

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
(क) सूक्ष्म, लघु एंव मध्यम उपक्रम	0	0
(ख) सूक्ष्म, लघु एंव मध्यम उपक्रम से इतर		
(i) ठेकेदार व आपूर्तिकर्ता	2.2	1.24
(ii) संबंधित पक्ष	4.81	1.41
कुल	7.01	2.65

नोट

क) कंपनी अधिनियम, 2013 / सूक्ष्म, लघ् और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी) के तहत आवश्यक प्रकटन नोट 36 में दिए गए हैं।

ख) नियम 29 में संबंधित पक्षों के साथ नियम और शर्तें और अन्य शेष राशि का प्रकटन किया गया है

13.3 **चालू देयताएं - अन्य वित्तीय देयताएं**

(रूपए करोड में)

विवरण	**31 मार्च 2020 को**	**31 मार्च 2019 को**
अन्य देय (स्टाफ देय सहित)	4.52	1.06
पटटादेयताएं	0	0
कुल	4.52	1.06

14 **अन्य चालू देयतएं**

(रूपए करोड में)

विवरण	**31 मार्च 2020 को**	**31 मार्च 2019 को**
क) अन्य सांविधिक देय राशियां	0.12	2.42
कुल	**0.12**	**2.42**

नोटः

क) सांविधिक देय में वस्त् एवं सेवा कर (जीएसटी, टीडीएस, भविष्य निधि तथा अन्य सांविधिक देय शामिल हैं।

15 प्रावधान

(रूपए करोड में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान		-	-
अन्य प्रावधान	15.1	15.67	150.21
कुल		15.67	150.21
चालू		15.67	150.21
गैर चालू		-	-

15.1 अन्य प्रावधानः

(रूपए करोड में)

विवरण	मोबिलाइजेशन	अनुरक्षण	प्रत्याशित घाटे	अभिकल्प गारंटी	विधिक मामले	अन्य व्यय	कुल
31 मार्च 2018 को	-	-	-	-	-	-	-
चालू	-	-	-	-	-	-	-
गैर चालू	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	-	-	-	-	-	150.21	150.21
घटाः वर्ष के दौरान उपयोग	-	-	-	-	-	-	-
घटाः वर्ष के दौरान बट्टाखाता	-	-	-	-	-	-	-
(विनिमय लाभ) / घाटा	-	-	-	-	-	-	-
रियायत समापन	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2019 को	-	-	-	-	-	150.21	150.21
अंतर	-	-	-	-	-	150.21	150.21
	-	-	-	-	-		-
घटाः वर्ष के दौरान बट्टाखाता	-	-	-	-	-	24.82	24.82
घटाः वर्ष के दौरान उपयोग	-	-	-	-	-	-159.36	-159.36
घटाः वर्ष के दौरान बट्टाखाता	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2020 को	-	-	-	-	-	15.67	15.67
चालू	-	-	-	-	-	15.67	15.67
गैर चालू	-	-	-	-	-	-	-

16 . प्रचालनों से राजस्व

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
एससीए के अंतर्गत निर्माण सविदा राजस्व (संदर्भ नोट 24	25.2	351.33
टोल प्रचालनों से राजस्व (संदर्भ नोट 24 व 34)	45.2	4.74
अन्य प्रचालनिक राजस्व	0.01	0
कुल	**70.41**	**356.07**

17 अन्य आय

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
ब्याज आयः		
बैंक ब्याज सकल		
घटाः ग्राहकों को अग्रेषित ब्याज	0.31	0.73
अन्यः		
विविध आय	0.02	0.09
कुल	**0.33**	**0.82**

18 परियोजना एवं अन्य व्यय

(रूपए करोड में)

विवरण	फूट नोट	परियोजना व्यय 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	परियोजना व्यय 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	अन्य व्यय 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु		अन्य व्यय 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
कार्य व्यय		163.93	158.27	-	-	-
टोल रोड व्यय		8.75	1.07	-	-	-
कार्य उप ठेके(कार्यक्षेत्र में परिवर्तन)		0.25	15.27	-	-	-
निरीक्षण, भू-तकनीकी अन्वेषण एवं सर्वेक्षण व्यय आदि		0.84	2.03	-	-	-
मशीनरी का मरम्मत और अनुरक्षण		0.01	0.08	-	-	-
किराया - गैर आवासीय		0.08	0.09	-	-	-
ऊर्जा विद्युत और जल प्रभार		1.82	0.99	-	-	-
बीमा		0.69	0.52	-	-	-
यात्रा एवं कन्वेयेंस		0.03	0.03	-	-	-
मुद्रण एवं स्टेशनरी		0.02	0.01	-	-	-
पोस्टेज, टेलीफोन व टैलेक्स		0.05	0.02	-	-	-
विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार		0.08	0.17	-	-	-
लेखापरीक्षक पारिश्रमिक	(i)	-	-	0.01		0.01
विज्ञापन और प्रचार		-	-	0.07		0.04
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (नोट 37)		-	-	-		0.05
विविध व्यय		0.01	0.07	-	-	-
प्रावधान (जमा-पश्चलिखित) (संदर्भ नोट 15)		24.82	150.21	-	-	-
उपयुक्त प्रावधान (संदर्भ नोट 15)		-159.36	-	-	-	-
कुल		**42.02**	**328.83**	**0.08**		**0.1**

(i) **सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान:**

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु		**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु**
(क) लेखापरीक्षा शुल्क - चालू	0.01		0.01
(ख) कर लेखापरीक्षा शुल्क - चालू वर्ष	-	-	-
(ग) तिमाही सीमित समीक्षा हेतु शुल्क	-	-	-
(घ) प्रमाणन शुल्क	-	-	-
(ड.) यात्रा और आउट ऑफ पॉकेट भत्ता	-	-	-
- यात्रा व्यय	-	-	-
- आउट ऑफ पॉकेट भत्ता	-	-	-
	-	-	-
कुल	0.01		**0.01**

19 कर्मचारी परिश्रमिक और लाभ

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु			31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु		
	प्रचालनिक	अन्य (प्रशासनिक)	कुल	प्रचालनिक	अन्य (प्रशासनिक)	कुल
वेतन, परिश्रमिक और बोनस	2.42	0	2.42	2.36	0	2.36
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	0.15	0	0.15	0.14	0	0.14
विदेशी सेवा अंशदान		0	-	0	0	0
सेवानिवृत्ति लाभ	0.25	0	0.25	0.29	0	0.29
कर्मचारी कल्याण		-	-	-	-	-
कुल	**2.82**	**0**	**2.82**	**2.79**	**0**	**2.79**

फुट नोट:
(i) संदर्भ नोट 37 - निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक

20 वित्तीय लागत

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	
ब्याज व्यय (संदर्भ नोट सं 38-के)	19.94		25.22	
घटा: ऋण निधि पर अर्जित ब्याज	0	19.94	0.01	25.21
अन्य ऋण लागत				
- बैंक गारंटी व अन्य प्रभार		0.01		0.01
कुल		**19.95**		**25.22**

21 **मूल्यह्रास परिशोधन एवं हानि**

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
परिसंपत्ति, संयंत्र व उपकरण का मल्यह्रास	0.01	-
प्रयोग अधिकार का मूल्यह्रास - पट्टा परिसंपतियां	-	-
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	23.03	2.77
निवेश परिसंपतियों का मूल्यह्रास	-	-
कुल	**23.04**	**2.77**

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के नोट

नोट 22 वर्ष के दौरान संबंधित पक्ष संव्यवहार

(रूपए करोड में)

संबंधित पक्ष कानाम	विवरण			बकाया राशि	
		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के दौरान	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के दौरान	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के दौरान	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के दौरान
	इक्विटी में निवेश			165	165
	ऋण (आहरित)	136.89	97	417.22	337.85
	ऋण (पुनःभुगतान)	57.52			
	ऋण पर ब्याज	19.9354735	25.2063256		
इरकॉन (मुख्यालय)	अन्य देय			0.222190984	0.7994915
इरकॉन (परियोजना)	अन्य देय - परियोजनाएं			4.8133906	1.4127733
	सेवाएं प्रदान करना				
इरकॉन (मुख्यालय)	किराया (जीएसटी के बिना)	0.023166	0.023166		
	कार्य संविदाएं (जीएसटी के बिना)	135.6149398	154.9127969		
	उपयोगिता अंतरण (जीएसटी के बिना)	0			
	सीओएस				
इरकॉन (परियोजना)					

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (यूडीआईएन:20083687एएएएडीवाई8630)

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

नोट: - 23

क. उचित मूल्य मापन

(i) **वित्तीय साधनों का श्रेणीवार वर्गीकरण**

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को इन वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य पर मापा जाता है और उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है। तीन स्तरों को माप के लिए महत्वपूर्ण आदानों के अवलोकन के आधार पर परिभाषित किया गया है:

स्तर 1: समान संपत्ति या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में कोट किया गया मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2: स्तर 1 के भीतर शामिल कोट की गई कीमतों के अतिरिक्त अन्य इनपुट जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति या देयता के लिए अवलोकन योग्य हैं।

स्तर 3: संपत्ति या देयता के लिए अप्रचलित इनपुट।

क**)** दिनांक 31 मार्च, 2020 तक श्रेणियों द्वारा वित्तीय साधनों के उचित मूल्य और उचित मूल्य इस प्रकार हैं: *

(रूपए करोड में**)**

विवरण	वहन मल्य	उचित मूल्य स्तर **1**	स्तर **2**	स्तर **3**
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्त्यिां म्युचुवल फंड में निवेश	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**
परिशाधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश		-	-	-
(ii) ऋण		-	-	-
(iii) व्यापार प्राप्य		-	-	-
(iv) रोकड एवं रोकड समुल्य	**0.00**	-	-	-
	9.66	-	-	-

(v)	अन्य बैंक शेष		-	-	-
(vi)	अन्य बैंक परिसंपत्तियां ***	**12.76**			
		-			
		52.13			
कुल		**74.55**	**-**	**-**	**-**

(रूपए करोड में)

विवरण	वहन मल्य	उचित मूल्य स्तर**1**	स्तर **2**	स्तर **3**
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं				
(i) ऋण	379.29	-	-	
(ii) व्यापार देय	7.01	-	**-**	
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं***	4.52	-	**-**	
कुल	**390.82**			

(ख) दिनांक 31 मार्च 2019 को श्रेणी द्वारा वित्तीय माध्यमों का वहन मूल्य एवं उचित मूल्य निम्नानुसार है: *

(रूपए करोड में)

विवरण	वहन मल्य	उचित मूल्य स्तर 1	स्तर **2**	स्तर **3**
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्यिां (एफवीटीपीएल) म्युचुवल फंड में निवेश	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**
परिशाधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां		-	-	
		-	-	
(i) निवेश		-	-	
(ii) ऋण	0.00	-	-	
(iii) व्यापार प्राप्य	15.15	-	-	
(iv) रोकड एवं रोकड समुल्य	1.29			
(v) अन्य बैंक शेष	**-**			
(vi)अन्य बैंक परिसंपत्तियां ***	**113.78**			
कुल	**130.22**	**-**	**-**	**-**

(रूपए करोड में)

विवरण	वहन मल्य	उचित मूल्य स्तर1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित लागत पर वित्तीय				
(i) ऋण	337.85	-	-	
(ii) व्यापार देय	2.66	-	-	
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं ***	1.06		-	
कुल	**341.57**	**-**	-	

प्रबंधन ने मूल्यांकन किया है कि रोकड़ और रोकड़ समतुल्य, व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, बैंक ओवरड्राफ्ट और अन्य चालू वित्तीय देयताओं की वहन राशियां मुख्य रूप से अल्पावधि की हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों को उस मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी परिसंपत्ति की बिक्री पर प्राप्त होता है या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाता है। निष्पक्ष मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित विधियों और मान्यताओं का उपयोग किया गया था:

i) म्यूचुअल फंड इकाइयों में निवेश का उचित मूल्य नेट एसेट वैल्यू (उचि एनएवी) पर आधारित है, जैसा कि तुलनपत्र की तारीख में प्रकाशित विवरणों में इन म्यूचुअल फंड इकाइयों के जारीकर्ताओं द्वारा प्रकट किया गया है। एनएवी उस मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर जारीकर्ता म्यूचुअल फंड की आगे की इकाइयाँ जारी करेगा और जिस मूल्य पर जारीकर्ता ऐसी इकाइयों को निवेशकों से भुनाएगा।

ii) सहायक और संयुक्त उपक्रमों में निवेश को वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि इक्विटी निवेश का ऐतिहासिक लागत पर लेखांकन किया जाता है। चूंकि ये माप के उद्देश्यों के लिए इंड एएस 109 के दायरे से बाहर हैं, इसलिए उपरोक्त तालिका में इसका प्रकटन नहीं किया गया है।

* वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2018-19 के दौरान, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के उचित मूल्य मापों के बीच कोई स्थानान्तरण नहीं हुआ।

*** अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और अन्य वित्तीय देनदारियों में कुछ वस्तुएं शामिल हैं जिन्हें लेनदेन मूल्य पर मान्यता प्राप्त है, क्योंकि उचित मूल्य पर इन्हें मापने का प्रभाव अपरिहार्य है।

ख. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियां, ऋण और अन्य वित्तीय देनदारियां हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के प्रचालन को वित्तपोषित करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में एनएचएआई से रोकड़ और रोकड़ समतुल्य और वसूली योग्य राशियां शामिल हैं जो सीधे इसके प्रचालन से प्राप्त होते हैं। कंपनी की गतिविधियाँ विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों को प्रस्तुत करती हैं: जैसे बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम।

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की कीमतों में परिवर्तन के कारण वित्तीय साधनों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव उत्पन्न करता है। बाजार जोखिम में ब्याज दर जोखिम शामिल है। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में व्यापार प्राप्य, व्यापार देय और अन्य गैर-डेरिवेटिव वित्तीय साधन शामिल हैं।

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचालन करती है और उसे विदेशी मुद्रा जोखिम का खतरा बना रहता है (क्योंकि विदेशी मुद्रा में प्राप्तियां और भुगतान आम तौर पर मेल खाते हैं) मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर, यूरो, येन, बीडीटी, डीजेडडी, एलकेआर, एमजेडएन बीटीएन, जियांग, एनपीआर एमड एमआरआरके संबंध में हैं। कंपनी के महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा जोखिम स्वाभाविक रूप से सुरक्षित हैं।

दिनांक 31 मार्च, 2020 और 31 मार्च, 2019 तक, संबंधित विदेशी मुद्रा की प्रत्येक 1% वृद्धि या कमी से हमारे लाभ को क्रमश: शून्य रूपए और शून्य रूपए का प्रभाव पड़ा है।

(ii) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो बाजार के ब्याज दर में परिवर्तन के कारण वित्तीय साधनों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव उत्पन्न करता है। कंपनी अपने ब्याज जोखिम का प्रबंधन कंपनियों की नीतियों और जोखिम उद्देश्य के अनुसार करती है। ब्याज दर जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में बैंकों के साथ कर मुक्त बांड और जमा राशियां शामिल हैं। इन वित्तीय साधनों पर ब्याज दर का जोखिम बहुत कम है क्योंकि वित्तीय साधनों की अवधि

के लिए ब्याज दर निर्धारित है। इसके अतिरिक्त, कंपनी को ऋण / उधार पर कोई ब्याज जोखिम नहीं है क्योंकि यह ब्याज की निश्चित दर है।

ग) ऋण जोखिम

कंपनी की ग्राहक प्रोफ़ाइल में भारत और विदेश में रेल मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियां शामिल हैं। तदनुसार, कंपनी का ग्राहक ऋण जोखिम कम है। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र लगभग 24 से 36 महीने है। सामान्य भुगतान शर्तों में एकत्र अग्रिम, 45 से 60 दिनों की ऋण अवधि के साथ मासिक प्रगति भुगतान और परियोजना के अंत में जारी किए जाने वाले कुछ अवधारण शामिल हैं। कुछ मामलों में बैंक / कॉरपोरेट गारंटी के साथ प्रतिधारण प्रतिस्थापित किया जाता है। कंपनी के पास संगठन के भीतर विभिन्न स्तरों पर अतिदेय ग्राहक प्राप्तियों की एक विस्तृत समीक्षा तंत्र है, जो उचित ध्यान और प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करता है।

व्यापार और अन्य प्राप्य

ऋण जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होता है। ग्राहक की जनसांख्यिकी, जिसमें उद्योग और उस देश का डिफ़ॉल्ट जोखिम शामिल है जिसमें ग्राहक संचालित होता है, का भी ऋण जोखिम मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता है।

ऋण जोखिम का खतरा

(रूपए करोड में)

विवरण	**31/03/2020**	**31/03/2019**
वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए जीवनकाल संभावित ऋण हानियों (एलईसीएल) के प्रयोग द्वारा प्रावधान को मापा गया		
गैर चालू निवेश	-	-
गैर चालू ऋण	-	0.00
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	0.99	1.00
चालू निवेश	-	-
रोकड एवं रोकड समतुल्य	12.76	1.29
अन्य बैंक शेष	-	-
चालू ऋण	0.00	-
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	51.13	112.79
सरलीकरण परिदृश्य का उपयोग करके स्वीकृति मापन	-	-

हेतु वित्तीय परिसंपत्तियां		
व्यापार प्राप्य	9.66	15.15
संविदागत परिसंपत्तियां	-	-

सरलीकरण परिदृश्य का उपयोग करके हानि प्रावधान में परिवर्तन का सार

विवरण	**31/03/2020**	**31/03/2019**
आरंभिक प्रावधान	**-**	**-**
वर्ष हेतु प्रावधान	-	-
वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
बट्टा खता राशि	-	-
समापन प्रावधान	**-**	**-**

वर्ष के दौरान, कंपनी ने 0.83 करोड़ रुपये (31 मार्च, 2019: 0.83 करोड रूपये) की हानि को स्वीकार किया है के नुकसान भत्ते को मान्यता दी है।

जीवनकाल संभावित ऋण घाटा (एलईसीएल) दृष्टिकोण का उपयोग करके हानि भत्ते में परिवर्तन का सारांश

विवरण	**31/03/2020**	**31/03/2019**
आरंभिक प्रावधान	**-**	**-**
वर्ष हेतु प्रावधान	-	-
वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
बट्टा खता राशि	-	-
(विनिमय लाभ)/हानि	-	-
समापन प्रावधान	**-**	**-**

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अनुमान तकनीकों या अनुमानों में कोई महत्पूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने 0.69 करोड़ रुपये (31 मार्च, 2019: 0.69 करोड रूपये) की हानि को स्वीकार किया है के नुकसान भत्ते को मान्यता दी है।

ख) तरलता जोखिम

"कंपनी पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखने और प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों की पर्याप्त मात्रा के माध्यम से वित्तपोषण तक पहुंच बनाकर तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है। ट्रेजरी विभाग नियमित रूप से नकद और नकद समकक्षों की स्थिति की निगरानी

करता है। तरलता की स्थिति की समीक्षा करते समय वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के प्रोफाइल और तुलनपत्र में तरलता अनुपात के अनुरक्षण पर विचार किया जाता है।

कंपनी की निवेश नीति और रणनीति पूंजी के संरक्षण और कंपनी की तरलता आवश्यकताओं का समर्थन करने पर केंद्रित है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन अपनी निवेश नीति का अनुरक्षण करती है और अपने निवेश उद्देश्यों को प्राप्त करती है। कंपनी आमतौर पर भारत सरकार के बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में निवेश करती है। प्रमुख हानि के संभावित जोखिम को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ, इस नीति में आमतौर पर निवेश ग्रेड की आवश्यकता होती है।

एनएचएआई बॉन्ड एक निश्चित ब्याज दर वहन करते हैं, इस प्रकार वे बॉन्ड लाभ दरों में बदलाव से प्रभावित नहीं होते हैं और म्यूचुअल फंड अत्यधिक तरल संपत्ति होते हैं जिन्हें मासिक आधार पर और पुन: निवेश किया जाता है। "

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2020 तथा 31 मार्च 2019 तक महत्वपूर्ण वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता का विवरण प्रस्तुत करती है:

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को		
	1 वर्ष से कम	**1-2** वर्ष	2 वर्ष और अधिक
ऋण	187.52	68.85	160.85
व्यापार प्राप्य	7.01	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	4.52	-	-

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2019 को		
	1 वर्ष से कम	**1-2** वर्ष	2 वर्ष और अधिक
ऋण	68.85	160.85	80.00
व्यापार प्राप्य	2.66	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	1.06	-	-

ख) अत्यधिक जोखिम एकाग्रता

जब कई समकक्ष समान व्यावसायिक गतिविधियों, या एक ही भौगोलिक क्षेत्र में गतिविधियों में लगे होते हैं, जो आर्थिक, राजनीतिक या अन्य स्थितियों में परिवर्तन से प्रभावित होने के लिए संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की उनकी क्षमता का कारण बनती हैं। जोखिम किसी विशेष उद्योग को प्रभावित करने वाले विकास हेतु कंपनी के निष्पादन की सापेक्ष संवेदनशीलता को दर्शाती है।

जोखिम की अत्यधिक संभावना से बचने के लिए, कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं में एक विविध पोर्टफोलियो के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश शामिल हैं। क्रेडिट जोखिमों की पहचान की गई सांद्रता को उसी के अनुसार नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है।

पूंजी प्रबंधन

कंपनी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी क्षमता को बनाए रखने और सुरक्षित रखने की क्षमता के रूप में अपनी पूंजी का प्रबंधन करना है ताकि कंपनी शेयरधारकों को अधिकतम रिटर्न प्रदान कर सके और अन्य हितधारकों को लाभ दे सकें। कंपनी ने निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश का भुगतान इस प्रकार किया है: -

ऋण इक्विटी अनुपात :- **(**रूपए करोड में**)**

विवरण	**31-मार्च-20**	**31-मार्च-19**
ऋण (नोट सं 12.1 व 13.1)	379.29	309.70
दीर्घकालीन ऋण	**379.29**	**309.70**
इक्विटी (नोट सं.10)	165.00	165.00
अन्य इक्विटी (नोट सं.11)	-15.37	1.81
कुल इक्विटी	149.63	166.81
ऋण इक्विटी अनुपान	**2.53**	**1.86**

नोट 24: इंड एएस-115 "ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व संबंधी सेवा रियायत व्यवस्थाएं (एससीए)

सार्वजनिक-से-निजी सेवा रियायत व्यवस्थाओं को परिशिष्ट "ग" - सेवा रियायत व्यवस्था, इंड एएस-115 से "ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व" के अनुसार रिकार्ड की गया है। । यह एससीए इस परिशिष्ट के कार्यक्षेत्र में आता है जिसकी दोनों शर्तें नीचे दी गई हैं:

क) गारंटर इस बात को नियंत्रित या विनियमित करता है कि प्रचालक को अवसंरचनात्मक सुविधाओं के साथ कौन सी सेवाएं प्रदान करनी चाहिए, किससे उन्हें प्रदान करना चाहिए, और किस कीमत पर; तथा

ख स्वामित्व, लाभकारी पात्रता, या अन्यथा- व्यवस्था की अवधि के अंत में बुनियादी ढांचे में कोई महत्वपूर्ण अवशिष्ट ब्याज के माध्यम से नियंत्रित करता है।

अमूर्त परिसंपत्ति को आरंभिक स्तर पर उस लागत पर स्वीकार किया जाता है जो प्रचालक को सार्वजनिक सेवा के उपयोगकर्ताओं को प्रभारित करने का अधिकार प्राप्त होता है, बशर्ते कि ये शुल्क उस स्तर तक सशर्त हों, जिस पर सेवा का उपयोग किया जाता है।

इन अमूर्त संपत्तियों को आरंभिक तौर पर लागत पर स्वीकार किया जाता है, जिसे सेवा के उचित मूल्य के रूप में समझा जाए और साथ ही साथ इसमें प्रचालन के लिए उत्तरदायी अन्य लागत भी शामिल हैं। तत्पश्चात उन्हें रियायत की अवधि में परिशोधन किया जाता है।

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (पीबीटीएल) (प्रचालक) ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ दिनाक 7 नवंबर 2014 को एक सेवा रियायत व्यवस्था में प्रवेश किया है, जिसके संदर्भ में एनएचएआई (अनुदानदाता) ने कंपनी को बीकानेर पलौदी खंड के चार लेन की परियोजना केविकास, वित्तपोषण, डिजाइन के इंजीनियर, प्रापण, निर्माण, प्रचालन और रखरखाव लिए अधिकृत किया है और इसके पूरा होने पर अधिकारों, शक्तियों, लाभों, विशेषाधिकारों और प्राधिकारों का प्रयोग और/या लाभ प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है। उक्त समझौते के संदर्भ में, आईपीबीटीएल का दायित्व है कि वह बीकानेर-पलौदी खंड की चार लेन की परियोजना का निर्माण पूरा करे और परियोजना की परिसंपत्तियों को उन सभी परियोजनाओं परिसंपत्तियों सहित उचित कार्यशील स्थिति में रखे, जिनकी जीवन अवधि समाप्त हो चुकी है।

रियायत की अवधि नियुक्ति तिथि से 26 वर्ष होगी, जो दिनांक 14 अक्टूबर 2015 से आरंभ होगी। रियायत अवधि के अंत में, परिसंपत्तियां भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को

वापस स्थानांतरित कर दी जाएंगी। समझौते के संदर्भ में सामग्री के उल्लंघन के मामले में एनएचएआई और इरकॉन पीबीटीएल के पास इस समझौते के अनुसार चूक की घटना को ठीक करने में सक्षम नहीं होने पर समझौते को समाप्त करने का अधिकार है।

कंपनी राजस्व और लागत को निर्माण के पूरा होने के चरण के संदर्भ में इंड एएस-115 के अनुसार स्वीकार करती है। कंपनी संदिवा राजस्व को उचित मूल्य पर मापती है। व्यवस्था के निर्माण के चरण के दौरान, कंपनी की 520.76 करोड़ की संपत्ति (अपने संचित अधिकार का प्रतिनिधित्व करते हुए निर्माण सेवाएं प्रदान करने के लिए भुगतान किया जाता है, जिसे एनएचएआई से इक्विटी का समर्थन प्राप्त है) को एक अमूर्त संपत्ति (बुनियादी ढांचे के उपयोगकर्ता को प्रभारित करने के लिए लाइसेंस) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दिनांक 15.09.19 को 95.96% भौतिक समापन के लिए अनंतिम सीओडी प्राप्त किया गया है, उस सीमा तक अमूर्त संपत्ति बनाई गई है। 4.88 करोड़ रुपये विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्यिों के रूप में उपलब्धर हैं। कंपनी ने राजस्व को रूपए में स्वीपकार किया है। सेवा रियायत समझौते के तहत अमूर्त संपत्तियों के निर्माण पर 356.07 करोड़ रुपये और 338.17 करोड़ रुपये शामिल हैं, सेवाओं के दायरे में परिवर्तन के लिए निर्धारित सेवाओं (सीओएस) के रूप में आगे 13.16 करोड़ रुपये है, एनएचएआई द्वारा जो दिनांक 31.03.19 को समाप्त वर्ष के लिए वसूलीयोग्य है। कंपनी ने सेवा रियायत व्यवस्था के तहत अमूर्त संपत्ति के निर्माण पर शून्य लाभ को स्वीदकार किया है। सेवा रियायत व्यवस्था के तहत अमूर्त संपत्ति के निर्माण के संबंध में स्वी कार्य राजस्व सेवा रियायत व्यवस्था के तहत अमूर्त संपत्ति के निर्माण के लिए प्रदान की गई सेवाओं के उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। टोल रोड के 95.96% भौतिक समापन के बाद टोल रोड का प्रचालन दिनांक 15 फरवरी 2019 से शुरू हो गया है, और कंपनी ने टोल सड़कों के प्रचालन से 45.20 करोड रूपए (पिछले वर्ष - 4.74 करोड़ रूपए) के राजस्व के रूप में उपयोग शुल्क को स्वीयकार किया है।

रियायत समझौते के अनुसार यातायात सीमा के ऊपर एकत्रित उपयोग शुल्क को अतिरिक्त शुल्क कहा जाता है। चूंकि टोल रोड अभी तक 100% पूरा नहीं हुआ है और वर्तमान में अतिरिक्त शुल्क का प्रभाव पता लगाने योग्य नहीं है, इसलिए इसका कोई प्रावधान या आकलन नहीं किया गया है।

निर्माण संविदा

इंड एएस-115 "ग्राहकों से साथ अनुबंध से राजस्व" में आवश्यक प्रकटीकरण के संदर्भ में, तुलन पत्र की तारीख तक के वित्तीय विवरणों में विचार की गई राशि इस प्रकार है: -

रूपए करोड में

विवरण	31-03-20	31-03-19
निर्माण गतिविधियों से स्वीकृत राजस्व	25.20	351.33
टोल प्रयोग शुल्क से स्वीकृत राजस्व	45.20	4.74
लाभ/हानि में वहन एवं स्वीकृत लागत की सकल राशि	25.20	351.33
संविदा कार्यों हेतु ग्राहक से देय सकल राशि	9.66	15.15

"नोट 24(ख): एनएचएआई के साथ किए गए रियायत समझौते के अनुसार, कंपनी को बिजली की लाइनों, पानी के पाइप लाइनों और टेलीफोन केबलों सहित उपयोगिता के स्थानांतरण के कार्य को करने की आवश्यकता है, यदि ऐसी उपयोगिता निर्माण, प्रचालन और परियोजना का अनुरक्षण पर महत्वपूर्ण रूप से प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा हो। ऐसी उपयोगिता को स्थानांतरित करने की लागत प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा या उपयोगिता के स्वामित्व वाली इकाई द्वारा वहन की जाएगी।

कंपनी ने एनएचएआई के अनुमोदन के पश्चात उपयोगिता शिफ्टिंग के पूरे कार्य को बैक-टू-बैक आधार पर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) को उप ठेके पर दिया है। एनएचएआई से 2.71 करोड़ रुपये की राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है जैसा कि अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के तहत दिखाया गया है। नोट 7.4 का संदर्भ लें।

नोट 25: इंड एएस-1 "वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति" द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में परिवर्तन

इंड एएस-116 "पट्टों" के अनुप्रयोग के कारण नीति 2.14 “पट्टों” को महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में संशोधित किया गया है।

इंड एएस-116 को दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी किया गया, जो इंड एएस-17 को प्रतिस्थापित करती है। इंड एएस-116, पट्टों की मान्यता, मापन, प्रस्तुति और प्रकटीकरण के लिए सिद्धांतों को निर्धारित करता है और पट्टेदारों के लिए अपेक्षित बनाता है कि तुलनपत्र में अधिकांश पट्टों को स्वीकार किया जाए।

इंड एएस-116 के तहत पट्टादाता लेखांकन को इंड एएस-17 से अपरिवर्तित रखा गया था। पट्टादाता पट्टों को इंड एएस-17 के समान सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए प्रचालन या वित्तीय

पट्टों के रूप में अपने पट्टों को वर्गीकृत करते रहेंगे। इसलिए, इंड एएस-116 का वहां पट्टों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है जहां कंपनी पट्टादाता है।

कंपनी ने दिनांक 1 अप्रैल, 2019 के प्रारंभिक अनुप्रयोग की तारीख के साथ अधिग्रहण की संशोधित पूर्वव्यापी विधि का उपयोग करते हुए इंड एएस 116 को स्वीकार किया है। इस विधि के तहत, प्रारंभिक अनुप्रयोग की तारीख में मान्यता प्राप्त मानक को शुरू में लागू करने के मानक के साथ मानक को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाता है। कंपनी ने पारगमन व्यावहारिक प्रक्रिया के उपयोग का चयन किया है ताकि पुन:आकलन किया जा सके कि दिनांक 01 अप्रैल, 2019 को पट्टे निर्धारित है या नहीं। इसके स्थान पर, कंपनी ने केवल उन अनुबंधों पर मानकों को लागू किया, जिन्हें पहले इंड एएस 17 के तहत पट्टों के रूप में स्वीकार किया गया था।

दिनांक 01 अप्रैल 2019 को इंड एएस 116 को स्वीकार करने का प्रभाव (वृद्धि/(कमी) निम्नानुसार है:

(रूपए करोड में)

परिसंपत्तियां	**राशि**
परिसंपत्यिों के प्रयोग का अधिकार	-
परिसंपत्तियां, संयंत्र और उपकरण	-
पुनर्भुगतान	-
कुल परिसंपत्तियां	-
देयताएं	-
वित्तीय देयताएं - पट्टा देयताएं	-
कुल देयताएं	

कंपनी ने केवल किराए के कार्यालय परिसरों के लिए ही पट्टा संविदाएं निष्पादित की हैं। ये पट्टे या तो 12 महीने से कम के हैं या कम मूल्य के हैं। इंड एएस-116 को स्वीकार करने से पूर्व, कंपनी ने अपने प्रत्येक पट्टों (पट्टेदार के रूप में) को एक वित्त पट्टा या एक प्रचालन पट्टे के रूप में स्थापना की तारीख में वर्गीकृत किया था। इंड एस-116 को अपनाने पर, कंपनी ने अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य के पट्टों को छोड़कर सभी पट्टों के लिए एक ही मान्यता और मापन दृष्टिकोण लागू किया है। लेखांकन नीति के नोट XX का संदर्भ लें। यह मानक

विशिष्ट संक्रमण आवश्यकताओं और व्यावहारिक समीक्षकों को प्रदान करता है, जिन्हें कंपनी द्वारा लागू किया गया है।

पट्टों को पूर्व में वित्तीय पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
कंपनी के पास कोई वित्तीय पट्ट नहीं था।

पूर्व में पट्टों को प्रचालन पट्टों के रूप में लेखांकित किया जाता था।
कंपनी ने पूर्व में प्रचालनिक पट्टों के रूप में वर्गीकृत पट्टों को परिसंपत्ति प्रयोग अधिकार और पट्टा देयताओं के रूप में स्वीकार किया, केल निम्न लागत के रूप में वर्गीकृत अल्पकालीन पट्टों और प्रचालनिक पट्टों को छोड़कर। पट्टेदार शेष पट्टे के भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापी गई पट्टा देयता को प्रारंभिक आवेदन की तिथि में पट्टेदार की वृद्धिशील दर का उपयोग करके रियायती और इसी के अनुसार पट्टे की देयता के बराबर राशि पर उपयोग संपत्ति को मापता है, जिसे पूर्व में प्रदत्त या संचित पट्टा भुगतानों हेतु समायोजित किया जाता है।

कंपनी ने उपलब्ध व्यावहारिक समीक्षकों को भी इसमें शामिल किया:

(i) यथोचित समान विशेषताओं वाले पट्टों के पोर्टफोलियो में एकल छूट दर का उपयोग किया गया है।

(ii) आरंभिक आवेदन की तारीख के 12 महीने के भीतर समाप्त होने वाली पट्टा अवधि वाले पट्टों के लिए अल्पकालिक पट्टों की छूट को लागू करता है और कुल पट्टे की अवधि 12 महीने से कम होती है और उन पट्टों को भी शामिल किया जाता है जिन्हें आवश्यक रूप से कम मूल्य वाले पट्टे कहा जाता है।

(iii) प्रारंभिक आवेदन की तारीख को संपत्ति के उपयोग अधिकार के मापन से प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को छोड़कर।

(iv) पट्टे की अवधि निर्धारित करने में बाधा का उपयोग किया जाता है, जहां अनुबंध में पट्टे का विस्तार या समाप्त करने के विकल्प होते हैं।

दिनांक 01 अप्रैल, 2019 को पट्टा देयताओं को दिनांक 31 मार्च 2019 को प्रचालनिक पट्टा प्रतिबद्धाओं से निम्नानुसार समायोजित किया जा सकता है:

(रूपए करोड में)

विवरण	1 अप्रैल, 2019 तक
संपत्ति	
31 मार्च 2019 तक प्रचालन पट्टे पर प्रतिबद्धता	-
01 अप्रैल, 2019 तक औसत वृद्धिशील ऋण दर	-
01 अप्रैल, 2019 तक प्रचालनिक पट्टा प्रतिबद्धता	-
घटा:	
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित प्रतिबद्धताएँ	-
जमा:	
नवीनीकरण अवधि से संबंधित पट्टा भुगतान 31 मार्च, 2019 तक प्रचालनिक पट्टा प्रतिबद्धताओं में शामिल नहीं है	-
01 अप्रैल, 2019 तक पट्टों की देयताएं	**0.00**

नोट:26 **इंड एएस-8 लेखांकन नीतियां - "लेखांकन अनुमान और त्रुटियां में परिवर्तन का प्रकटीकरण "**

(क) वर्ष के दौरान कंपनी ने "पूर्व अवधि मद" से संबंधित लेखांकन नीति को बदल दिया है। वर्तमान वर्ष में आवधिक पूर्व अवधि की वस्तुओं को समायोजित करने का निर्णय लिया गया है।

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण लाइन मद, जो लेखांकन नीति में परिवर्तन से प्रभावित थे, शून्य है: -

(ख) वर्तमान वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ तुलनात्मकता को बढ़ाने के लिए तुलनात्मक अवधि के वित्तीय विवरणों हेतु कुछ पुन:वर्गीकरण किए गए हैं। इन पुनर्वर्गीकरणों से प्रचालन के सूचित परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

(ग) वर्तमान वर्ष के आंकड़ों से अंतर करने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को प्रकोष्ठ () के अंतर्गत दिखाया गया है।

नोट:- 27 कर्मचारी लाभ

इंड एएस-19 "कर्मचारी लाभ" के अनुपालन संबंधी प्रकटन निम्नानुसार है:

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (आईपीबीटीएल) में कार्यरत कर्मचारियों प्रतिनियुक्ति/सेगमेंट आधार पर तैनात किया गया है और वे धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के रोल पर हैं। उनके भविष्य निधि अंशदान, पेंशन अंशदान, उपदान, अवकाश नकदीकरण और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का लेखांकन/डेबिट इसकी होल्डिंग कंपनी से लिया जाता है। इंड एएस -19 के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान इसकी धारक कंपनी द्वारा अपनी लेखा नीतियों के अनुसार किया जा रहा है।

प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के भविष्य निधि योगदान और पेंशन योगदान को नियमित रूप से पीएफ ट्रस्ट के साथ धारक कंपनी द्वारा जमा किया गया है।

नोट-28 (क)

(क) लाभ और हानि में स्वीकृत विदेशी मुद्रा :

(रुपये करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**
लाभ या हानि	-	-
अन्य वृहत आय	-	-
कुल	**-**	**-**

(ख) विदेशी मुद्रा में आय (संचित आधार पर):

(रुपये करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**
कार्य प्राप्तियां और लोकोमोटिव पट्टे	-	-
बैंक का ब्याज	-	-
अन्य ब्याज	-	-
विदेशी मुद्रा उच्चावचन (निवल)	-	-
अन्य	-	-
कुल	**-**	**-**

(ग) विदेशी मुद्रा में व्यय (संचित आधार पर):

(रुपये करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**
प्रचालनिक		
परामर्श शुल्क		
विदेशी मुद्रा में उच्चावचन हानि (निवल)		
कुल	**-**	**-**

नोट:- 28 संबंधित पक्ष संव्यवहार

इंड एएस-24 "संबंधित पक्ष संव्यवहार" के अनुपालन में प्रकटन इस प्रकार हैं:

क) संबंधित पक्षों की सूची

(i) धारक कंपनी

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

(Ii) गैर-कार्यपालक निदेशक

नाम	**पदनाम**
श्री दीपक सबलोक	अध्यक्ष (31 अक्टूबर 2019 तक)
श्री श्याम लाल गुप्ता	अध्यक्ष (01 नवंबर 2019 से)
श्री अशोक कुमार गोयल	निदेशक
श्री राजेन्द्र सिंह यादव	निदेशक
श्री आनंद कुमार सिंह	निदेशक (4 सितंबर 2019 तक)
सुश्री अनुपम बान	निदेशक (30 अगस्त 2019 तक)
सुश्री भुवनेश्वरी कृष्णन	निदेशक (19 सितंबर 2019 तक)

* सभी निदेशक अंशकालीन (नामिति) निदेशक हैं जिन्हें धारक कंपनी (यथा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड) द्वारा नामित किया जाता है।

नाम	पद
श्री अतुल कुमार	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (8 अप्रैल 2019 तक)
श्री महेंद्र कुमार शर्मा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (08/04/2019 से 31 मई 2019 तक)
श्री अतुल कुमार	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (31 मई 2019 से पुन: नियुक्त)
श्री संजय पोद्दार	मुख्य वित्तीय अधिकारी (10 अक्टूबर 2019 तक)
श्री भूषण कुमार	मुख्य वित्तीय अधिकारी (3 फरवरी 2020 तक)
श्री मंजूर मोहम्मद गौरी	मुख्य वित्तीय अधिकारी (18 मार्च 2020 से)

कंपनी सचिव

नाम	पद
सुश्री सुधोधानी	कंपनी सचिव (31 अक्टूबर 2019 तक)
सुश्री अनुराधा कौशिक	कंपनी सचिव (31 जनवरी 2020 से)

कंपनी के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) के साथ संव्यवहार निम्नानुसार हैं:

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं	**विवरण**	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**
1	अल्पावधि कर्मचारी लाभ	0.59	0.66
2	नियोजन पश्चात लाभ	0.08	0.08
3	अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ	0.01	0.01
4	अंतिम लाभ	0.00	0.00
5	बैठक शुल्क	0.00	0.00
	कुल	0.68	0.75

संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार निम्नानुसार हैं: **(रुपये करोड़ में)**

क्र.सं	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
1	वस्तु और सेवाओं की बिक्री	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी		
1.1	संविदा राजस्व	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	-	-
1.2	किराया आय	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	-	-
2	वस्तुओं और सेवाओं की खरीद	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	135.61	154.91
3	प्रतिनियुक्ति स्टाफ व्यय, किराया और अन्य विविध व्ययों की प्रतिपूर्ति (आय)	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	0.02	0.02
4	ब्याज व्यय				
4.1	ऋण पर ब्याज व्यय	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	19.94	25.21
5	ऋणों का पुनर्भुगतान	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	57.52	-
6	प्राप्त अग्रिम / ऋण	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	136.89	97.00
7	उपयुक्त के अतिरिक्त कोई अन्य लेन-देन				-

संबंधित पक्षों के साथ बकाया राशि निम्नानुसार हैं: **(रुपये करोड़ में)**

क्र.सं	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
1	प्राप्त इक्विटी (देयता)	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	165.00	165.00
5	कर्ज	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	417.22	337.85
6	निम्न के प्रति देय राशि				
6.1	व्यापार देयताएं	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	4.81	1.41
6.8	अन्य देयताएं	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	0.22	0.80

संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन के नियम और शर्तें

(i) संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन आर्म-लैंड संव्यवहारों की शर्तों के समान किया जाता है।

(Ii) ऋण को छोड़कर वर्ष के अंत में संबंधित पक्षों की बकाया राशि अरक्षित है और इनका बैंकिंग लेनदेन के माध्यम से निपटान होता है। ऋण और ब्याज रहित अग्रिमों के अतिरिक्त शेष संव्यवहार ब्याज मुक्त हैं।

(Iii) प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को ऋण, यदि कोई हो, उन समान नियम और शर्तों पर है जो अन्य सभी कर्मचारियों के लिए लागू हैं।

नोट 30: प्रति शेयर आय

इंड एएस - 33 ' प्रति शेयर आय' के अनुसार प्रकटीकरण

मूल ईपीएस की गणना वर्ष के इक्विटी धारकों के लाभ वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

विलयित ईपीएस की गणना बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जमा इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या, जिनके रूपांतरण पर जारी की जाएगी इक्विटी शेयरों को संभावित शेयर इक्विटी धारकों के लिए वर्ष हेतु लाभ से विभाजित करके की जाती है।

(i) प्रति शेयर मूल और विलयित आय (रुपए में)

विवरण	**नोट**	**31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**
इक्विटी धारकों के लिए लाभ (करोड़ रूपए में)	(ii)	-17.18	-2.11
मूल और विलयित ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	(iii)	17	17
प्रति शेयर आय (मूल)		-1.04	-0.13
प्रति शेयर आय (विलयित)		-1.04	-0.13
प्रति शेयर अंकित मूल्य		10.00	10.00

(ii) इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभ (न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त) (करोड़ रूपए में)

विवरण	**31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**
लाभ और हानि विवरण के अनुसार वर्ष के लिए लाभ	-17.18	-2.11
ईपीएस की गणना के लिए उपयोग किए गए कंपनी के इक्विटी धारकों के लिए लाभ	**-17.18**	**-2.11**

(iii) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (भाजक के रूप में प्रयुक्त)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
जारी इक्विटी शेयरों का आरंभिक शेष	16.50	16.50
वर्ष के दौरान जारी किए गए इक्विटी शेयर	-	-
मूल ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	**16.50**	**16.50**
प्रदूषण प्रभाव:		
जोड़ें: वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	-	-
विलयित ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की औसत संख्या	**16.50**	**16.50**

नोट 31: परिसंपत्ति की हानि

इंड एएस-36 "परिसंपत्तियों की हानि" अनुपालन में , कंपनी ने वर्ष की समाप्ति पर कंपनी की लेखा नीति के अनुसार,परिसंपत्तियों की हानि, यदि कोई हो, की समीक्षा है। चूंकि हानि का कोई संकेत नहीं है, इसलिए वर्ष के दौरान कोई हानि को लेखांकित नहीं किया गया है।

नोट 32: प्रावधान, आकस्मिकताएँ और प्रतिबद्धताएँ

(i) प्रावधान

इंड एएस 37 के अनुसार , आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्ति हेतु कंपनी द्वारा वर्ष में कोई प्रावधान नहीं नहीं किए गए थे।

(Ii) आकस्मिक देयताएं

इंड एएस-37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के अनुसार आकस्मिक देयताएं का प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

	विवरण	**फुट नोट**	**31 मार्च 2019 तक**	**वर्ष के दौरान जोड़**	**वर्ष के दौरान दावों का निपटान किया गया**			**31 मार्च 2020 तक**
					आरंभिक शेष में से	**वर्ष के दौरान संवर्धन में से**	**वर्ष के दौरान निपटाए गए कुल दावे**	
क)	कंपनी के विरूद्ध दावा जिसे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया:		-	-	-	-	-	-
ख)	कंपनी की ओर से जारी गारंटी (वित्तीय गारंटीधारकों को छोड़कर)		-	-	-	-	-	-
ग)	अन्य राशि जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से दायी है		-	-	-	-	-	-
			-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(iii) प्रतिबद्धताएं

(रुपये करोड़ में)

	विवरण	फुटनोट	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
क)	**पूंजी प्रतिबद्धताएं**			
	पूंजी खाते (अग्रिम का निवल) पर निष्पादित किए जाने हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रदान नहीं किया गया:	1	2.77	214.55
ख)	**अन्य प्रतिबद्धताएं**			
(i)	सहायक कंपनियों में इक्विटी और ऋण द्वारा प्रतिबद्धता वित्तपोषण	2	0.00	
(ii)	संयुक्त उपक्रम कंपनियों में इक्विटी और ऋण द्वारा प्रतिबद्धता वित्तपोषण	3	0.00	
(ii)	सहायक कंपनियों के लिए काउंटर बैंक गारंटी	4		
	"कंपनी के विरूद्ध शून्य रूपए (शून्य रूपए) के निवल प्रावधान के 7.20 करोड़ रूपए (7.20 करोड़ रुपये) के कुछ दावे हैं जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। प्रचालन संबंधी मुद्दों (आरंखण की मंजूरी में देरी, स्थानीय ग्रामीणों की मांग, उपयोगिता अंतरण, भूमि अधिग्रहण और उपलब्धता, वन मंजूरी आदि) के कारण परियोजना लक्ष्य को प्राप्त करने में विलंब हो रहा है। कंपनी ने रियायत समझौते के खंड 12.4.2 के तहत कंपनी को क्षति के बिना लक्ष्य की समयसीमा में संशोधन के लिए एनएचएआई से अनुरोध किया है। कंपनी को लक्ष्य को प्राप्त करने में देरी के बारे में स्वतंत्र इंजीनियर से सूचना मिली है। इसके अतिरिक्त, एनएचएआई ने 31 मार्च 2019 तक 7.20 करोड़ रुपये की (31 मार्च 2019 तक 7.20 करोड़ रुपये) के हर्जाने की कटौती की है।		2.77	214.55

	कंपनी ने पहले ही एनएचएआई को सूचित किया है कि देरी आईपीबीटीएल के कारण नहीं हुई है। इसलिए, आईपीबीटीएल ने देयता या आकस्मिक देयता के रूप में विलंब के प्रति दावे को स्वीकार नहीं यिका है। 7.20 करोड रूपए की राशि को अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों - चालू के रूप में वसूलीयोग्य माना गया है और इसे अभी एनएचएआई से प्राप्त / पुष्टि नहीं की गई है।			

फुटनोट:

(रुपये करोड़ में)

1

क्र.सं	**पूंजी प्रतिबद्धताएं**	**31 मार्च 2020 तक**	**31 मार्च 2019 तक**
1	परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर निष्पादित की जाने वाली संविदाओं की अनुमानित राशि		
2	निवेश परिसंपत्ति पर निष्पादित की जाने वाली संविदाओं की अनुमानित राशि		
3	विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियों पर निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाओं की अनुमानित राशि	2.77	214.55
	कुल	**2.77**	**214.55**

नोट 33. खंड रिपोर्टिंग:

इंड एएस-108 "प्रचालनिक सेगमेंट" काप्रकटन निम्नानुसार है:

क. सामान्य जानकारी:

"प्रचालनिक सेगमेंट को एक उद्यम के घटकों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके लिए विशिष्ट वित्तीय सूचना उपलब्ध होती है, जिसका मूल्यांकन नियमित रूप से मुख्य प्रचालन निर्णय निर्माता

(सीओडीएम) द्वारा किया जाता है, ताकि यह तय किया जा सके कि संसाधनों का आवंटन कैसे किया जाए और निष्पादन का आकलन कैसे किया जाए। कंपनी का निदेशक मंडल मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) है। प्रचालनिक खंडों उस रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें निष्पादन और संसाधनों के आवंटन की समीक्षा के लिए मुख्य प्रचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) आंतरिक रिपोर्टिंग को प्रदान की गई है।

कंपनी ने भौगोलिक दृष्टिकोण से रिपोर्ट करने योग्य प्रचालनिक सेगमेंट निर्धारित किए हैं।

ख. वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट योग्य सेगमेंटो और राशियों के पुनर्विनियोजन संबंधी सूचना:

(रुपये करोड़ में)

विवरण	अंतरराष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
सेगमेंट राजस्व						
बाहरी ग्राहकों से राजस्व			70.41	356.07	**70.41**	**356.07**
जमा:एकीकृत संयुक्त प्रचालनों में टर्नओवन में कंपनी का भाग					-	-
कुल प्रचालनिक राजस्व	-	-	**70.41**	**356.07**	**70.41**	**356.07**
ब्याज आय			0.31	0.73	**0.31**	**0.73**
कुल आय			0.02	0.09	**0.02**	**0.09**
अंतर-सेगमेंट					-	-
कुल राजस्व	-	-	**70.74**	**356.89**	**70.74**	**356.89**
सेगमेंट परिणाम						
प्रावधान,मूल्यह्रस, ब्याज, आपवादित मदों और कर पूर्व लाभ	-	-	160.36	(181.02)	**160.36**	**(181.02)**
घटा: प्रावधान और बट्टा खाता (निवल)			(134.54)	150.21	**(134.54)**	**150.21**

घटा:मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि			23.04	2.77	**23.04**	**2.77**
घटा:ब्याज			19.95	25.22	**19.95**	**25.22**
कर पूर्व लाभ			**(17.17)**	**(2.82)**	**(17.17)**	**(2.82)**
घटा: कर व्यय			(0.01)	0.71	**(0.01)**	**0.71**
कर पश्चात लाभ	-	-	**(17.18)**	**(2.11)**	**(17.18)**	**(2.11)**

ग. अन्य सूचना

(रुपये करोड़ में)

विवरण	**अंतरराष्ट्रीय**		**घरेलू**		**कुल**	
	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु**
परिसंपत्तियां			594.17	661.00	594.17	661.00
देयताएं			444.54	494.19	444.54	494.19
इक्विटी विधि द्वारा लेखांकित संयुक्त उपक्रमों में निवेश			-	-		
वित्तीय प्रलेखों,आस्थगित कर परिसंपत्तियों, निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्तियों से इतर गैर चालू परिसंपत्तियां			-	-	-	-
पूंजीगत व्यय (पीपीई, सीडब्ल्यूआईपी, निवेश परिसंपत्ति, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों के अतिरिक्त)			12.17	248.06	12.17	248.06

*पूंजीगत व्यय राशि एनएचएआई द्वारा दी गई इक्विटी नकद सहायता का सकल है (संदर्भ नोट 4)

घ. प्रमुख ग्राहकों के संबंध में सूचना

कंपनी टोल रोड के निर्माण, प्रचालन, रखरखाव के व्यवसाय में संलिप्त है और इसका प्रमुख राजस्व उक्त टोल रोड का उपयोग करने वाले वाहनों से टोल संग्रह से प्राप्त होता है। दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के दौरन इनसे घरेलू सेगमेंट से ही राजस्व का लगभग 63.53%(1.33%) की वृद्धि हुई है। शेष लगभग 36.44 प्रतिशत (98.66 प्रतिशत) राजस्व एनएचएआई के साथ सेवा रियायत करार के अंतर्गत टोल रोड के निर्माण हेतु है।

नोट 34. इंड एएस 115- "ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व' के तहत प्रकटन

(क) राजस्व से असंयोजन

प्रचालनिक सेगमेंट और उत्पाद या सेवाओं के प्रकार के संबंध में ग्राहकों के साथ संविदाओं से कंपनी के राजस्व का असंयोजन निम्नानुसार है:

(रूपए करोड़ में)

उत्पाद या सेवा का प्रकार	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु						
	इंड एएस-115 के अनुसार राजस्व			निष्पादन दायित्वों के मापन हेतु विधि		अन्य राजस्व	लाभ व हानि के विवरण के अनुसार कुल (सेगमेंट रिपोर्टिंग)
	घरेलू	विदेशी	कुल	इनपुट विधि	आउटपुट विधि		
रेलवे	-	-	-	-	-	-	-
राजमार्ग	70.41	-	70.41	70.41	-	-	70.41
इलैक्ट्रिकल	-	-	-	-	-	-	-
भवन	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**70.41**	**-**	**70.41**	**70.41**	**-**	**-**	**70.41**

वर्ष के दौरान इंड एएस 115 के अंतर्गत स्वीकृत कुल राजस्व में से, 25.20 करोड़ रूपए को समयावधि में स्वीकार किया गया है और 45.80 करोड़ रूपए को समय बिंदु पर स्वीकार किया गया है।

(रूपए करोड़ में)

उत्पाद या सेवा का प्रकार	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु						
	इंड एएस 115 के अनुसार राजस्व			निष्पादन दायित्वों के मापन हेतु विधि		अन्य राजस्व	लाभ व हानि के विवरण के अनुसार कुल (सेगमेंट रिपोर्टिंग)
	घरेलू	विदेशी	कुल	इनपुट विधि	आउटपुट विधि		
रेलवे	-	-	-	-	-	-	-
राजमार्ग	356.07		356.07	356.07			356.07
इलैक्ट्रिकल	-	-	-	-	-	-	-
भवन	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**356.07**	**-**	**356.07**	**356.07**	**-**	**-**	**356.07**

वर्ष के दौरान इंड एएस 115 के अंतर्गत स्वीकृत कुल राजस्व में से, 351.33 करोड़ लाख रूपए को समयावधि में स्वीकार किया गया है और 4.74 करोड़ रूपए को समय बिंदु पर स्वीकार किया गया है।

ख. कंपनी ने इंड एएस 115 - "ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व" के अनुप्रयोग हेतु आशाधित पूर्वगामी परिदृश्य को अपनाया है और दिनांक 01 अप्रैल 2019 के प्रतिधारित आमदनी पर इसका शून्य प्रभाव हो।

ग. संविदा शेष:

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
व्यापार प्राप्य (नोट 7.1)	9.66	15
संविदा परिसंपत्तियां (नोट 5.1 और 7.4)	1.84	1.84
संविदा दायित्व	-	-

(i) व्यापार प्राप्य बिना ब्याज के हैं और ग्राहक प्रोफाइल में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) तथा टोल एकत्रण एजेंसी शामिल है। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र 24 से 36 महीने का है। सामान्य भुगतान की शर्तों में उपयोगिता शिफ्टिंग प्रतिपूर्ति के लिए भुगतान शामिल हैं और 60 से 180 दिनों की ऋण अवधि या जब काम प्रमाणित है, तो किसी भी तरह से सहमत होने पर काम के दायरे में बदलाव। भुगतान में टोल एकत्र किए गए टोल के उपयोग के लिए टोल प्राप्तियां भी शामिल हैं। कंपनी के लिए टोल संग्रह एजेंसी। कंपनी द्वारा निष्पादित परियोजना बीओटी (निर्माण प्रचालन अंतरण) मॉडल के तहत है और भुगतान टोल एकत्रण और एनएचएआई द्वारा अतिरिक्त कार्यों, यदि कोई हो, के कारण है।

(ii) संविदा परिसंपत्तियों को उस अवधि के ऊपर स्वीकार किया जाता है, जिसमें सेवाएं निष्पादित की गई हैं ताकि ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं या सेवाओं के लिए विनिमय में कंपनी के अधिकार को स्पष्ट किया जा सके। इसमें निर्माण संविदा के अंतर्गत ग्राहकों से देय शेष शामिल है, जो तब उत्पन्न होती हैं जब कंपनी संविदाओं की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से धनराशि प्राप्त करती हैं। तथापि राजस्व को इनपुट विधि के अंतर्गत उक्त अवधि में स्वीकार किया जाता है। पूर्व में स्वीकृत संविदा परिसंपत्ति के रूप में और किसी भी राशि को संबंधित शर्तों के संतोषपूर्ण पूरा होने पर पुनः वर्गीकृत किया जाता है अर्थात भावी सेवाएं जो बिल योग्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

वर्ष के दौरान संविदागत शेषों का संचलन

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वर्ष के आरंभ में संविदागत परिसंपत्तियां	1.84	1.84
वर्ष के अंत में संविदागत परिसंपत्तियां	1.84	1.84
निवल वृद्धि/कमी	-	-

वर्ष 2019-20 के लिए पिछले वर्ष की तुलना में शून्य रूपए की निवल कमी हुई है। प्रतिधारण राशि के संबंध में 0.88 लाख रूपए और 0.96 लाख रूपए हेतु आहरित राशि से संबंधित राशि, जिसे परियोजना के समापन के पश्चात प्राप्त किए जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने इंड एएस-109 के अनुसार अपने उचित मूल्य पर इन राशियों को स्वीकार नहीं किया है, और प्रबंधन के अनुसार उचित मूल्य का प्रभाव आंशिक और उचित मूल्य पर गैर-स्वीकार्य है।

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वर्ष के आरंभ में संविदागत परिसंपत्तियां	-	-
वर्ष के अंत में संविदागत परिसंपत्तियां	-	-
निवल वृद्धि/कमी	-	-

घ. स्वीकृत राजस्व की राशि निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वर्ष के आरंभ में संविदागत देयताओं में शामिल राशि	-	-
पिछले वर्ष संतुष्ट निष्पादन दायित्व	-	-

ड. संविदा प्राप्त करने की लागत

दिनांक 31 मार्च, 2020 तक परिसंपत्ति के रूप में स्वीकृत राशि शून्य रूपए (31 मार्च, 2019 तक: शून्य रूपए) है।

वर्ष के दौरान लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत परिशोधन राशि शून्य रूपए (वित्तीय वर्ष 2018-19: शून्य रूपए) है।

च. निष्पादन दायित्व

कंपनी के निष्पादन दायित्वों से संबंधित सूचना नीचे सारबद्ध है:

31 मार्च को शेष निष्पादन दायित्वों (असंतुष्ट या आंशिक रूप से असंतुष्ट) को आवंटित संव्यवहार मूल्य निम्नानुसार है:

(रूपए लाख में)

	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
एक वर्ष के भीतर	-	-
एक वर्ष से दो वर्ष तक	-	-
दो वर्ष से अधिक	-	-
कुल	-	-

35 पट्टों

क) पट्टेदार के रूप में कंपनी

पट्टेदार के रूप में कंपनी ने कार्यालय परिसर और गेस्ट हाउस के लिए दो पट्टे अनुबंधों में प्रवेश किया है। इंड एएस-116 स्वीकार करने से पहले, कंपनी ने अपने प्रत्येक पट्टे (पट्टेदार के रूप में) के निष्पादन की तारीख को वित्तीय पट्टा या प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया था। ये पट्टे अल्पकालिक पट्टों या कम मूल्य के पट्टों की प्रकृति के हैं और प्रचालनिक पट्टे हैं।

पट्टा देयताएं

वर्ष के दौरान पट्टा देयताओं की स्वीकृति की वहन राशि और संचलन ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

	31 मार्च, 2020 तक
01 अप्रैल, 2019 को शेष राशि	-
संवर्धन	-
ब्याज की स्वीकृति	-
भुगतान	-
राशि 31 मार्च, 2020 को शेष	-
चालू	-
गैर चालू	-

लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत राशि

(रुपये करोड़ में)

	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
परिसंपत्ति प्रयोग अधिकार का मूल्यह्रास व्यय	-
पट्टा देयताओं पर ब्याज खर्च	-
अल्पकालिक और कम मूल्य के पट्टों से संबंधित व्यय (संदर्भ नोट 18)	0.08
	0.08

ख) पट्टादाता के रूप में कंपनी

वर्तमान में कंपनी ने कोई वस्तु पट्टे पर नहीं दी गई है।

नोट 36. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण इस प्रकार हैं: -

(रूपए लाख में)

क्र.सं	**विवरण**	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु**
1	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में मूल राशि और उस पर देय ब्याज, जो किसी आपूर्तिकर्ता को बकाया है:	-	-
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय मूल राशि	-	-
	उपर्युक्त पर ब्याज	-	-
2	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि से आगे आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में रीजन (क्षेत्र) द्वारा देय ब्याज की राशि।	-	-
3	भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देयस और भुगतानयोग्य ब्याज की राशि (वर्ष के दौरान जिसका भुगतान किया गया है किन्तु धारित तिथि के पश्चात) किन्तु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
4	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज और शेष अप्रदत्त राशि;	-	-
5	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत आगामी वर्षों में भी देय शेष ब्याज की राशि, ऐसी तारीख जबतक कि ब्याज की बकाया राशि वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान न हो गई हो, जो कि कटौतीयोग्य व्ययों की अस्वीकृति के प्रयोजन हेतु है।	-	-

नोट 37: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (CSR)

सार्वजनिक उपक्रम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्ववर्ती तीन वर्षों में प्राप्त औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करना होगा। वर्ष के लिए सीएसआर खर्चों का विवरण निम्नानुसार है:

क) सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करने के लिए आवश्यक राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली सकल राशि	-	-

ख) सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की गई राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए**			**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**		
	नकद में भुगतान	**भुगतान किया जाना है**	**कुल**	**नकद में भुगतान**	**भुगतान किया जाना है**	**कुल**
संपत्ति के निर्माण / अधिग्रहण पर *			-	0.12		0.12
उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों पर			-	0.01		0.01
कुल	-	-	-	0.13	-	0.13

* खरीदे गए और संबंधित संगठन को सौंपी गई परिसंपत्ति और उसे कंपनी द्वारा धारित नहीं रखा गया है। वर्ष 2018-19 में खर्च की गई राशि पिछले वर्षों की आगे की राशि है, जिसका उपयोग 2018-19 में किया गया है।

ग) सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली शेष राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली सकल राशि (उपर्युक्त (क) के अनुसार)	-	-
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की गई राशि उपर्युक्त (ख) के अनुसार)	-	0.13
कंपनी द्वारा खर्च की जाएगी शेष राशि	-	-

घ) सीएसआर खर्चों का प्रमुख प्रमुखों के साथ संबंध निम्नानुसार है: -

(करोड़ रुपए में)

विवरण	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**
कोविड -19 के विरूद्ध लड़ने के लिए प्रधान मंत्री केयर्स निधि में योगदान	-	-
भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य और स्वच्छता के संवर्धन और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना	-	-
विशेष रूप से बच्चों के बीच विशेष शिक्षा और रोज़गार बढ़ाने सहित शिक्षा का संवर्धन।	-	-
पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना	-	-
खेल	-	-
अन्य (अन्य प्रशासनिक लागतों सहित)	-	**0.13**
	-	**0.13**

नोट सं.38 अन्य प्रकटन

(क) ऋणदाताओं, अग्रिमों और देनदारों के अंतर्गत दर्शाए गए कुछ शेष पुष्टि/समायोजन/ पुनर्विनियोजन, यदि कोई हो के अध्याधीन हैं। कंपनी पक्षों से पुष्टि हेतु पत्र भेज रही है। तथापि, इसकी वसूलीयोग्यता/भुगतान के सबंध में यहां कोई तथ्यात्मक विवाद नहीं है।

(ख) प्रबंधन के मतानुसार, व्यावसाय की सामान्य प्रक्रिया में वसूली पर चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य उस मूल्य से कम नहीं होगा जिस पर उसे तुलनपत्र में अंकित किया गया है।

(ग) कंपनी को राजस्थान राज्य में डीबीएफओटी (अभिकल्प, निर्माण, वित्तपोषण तथा प्रचालन, और हस्तांतरण आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-15 के किमी 4.200 से किमी 55.250 तक चार लेन तथा किमी 55.250 से किमी 163.500 तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के रूप में मौजूदा बीकानेर तथा फलौदी खंड का चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण के लिए एनएचएआई द्वारा प्रदान किए गए कार्य के लिए दिनांक 15 फरवरी 2019 को वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) प्राप्त हो गई है।

कंपनी ने प्रमाणित स्वतंत्र इंजीनियर के मूल्यांकन के अनुसार 19 फरवरी को 95.93% भौतिक प्रगति पूरी कर ली है। उस समय प्राप्त की गई भौतिक प्रगति और उस समय स्वीकृत अनुमानित लागतों के आधार पर, 520.75 करोड़ रुपये की राशि को अमूर्त संपत्ति- टोल रोड (संदर्भ नोट 4) में स्थानांतरित कर दिया गया था। वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 31.3.2020 तक प्राप्त कुल पूर्णता 99.65% था और 100% के अंतिम समापन को प्राप्त नहीं किया गया था और इस कार्य हेतु अतिरिक्त परिसंपत्तियां शामिल नहीं की गई हैं। संवर्धात्मक जोड़ को विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति के तहत पूंजीकृत किया गया है।

(घ) भारतीय लेखांकन मानक इंड एस-115 के अनुसार (अनुबंध-ग), एनएचएआई से सेवा रियायत करार - रोकड़ सहायता हेतु अनुदन को उनके उचित मूल्य पर स्वीकार किया गया है, जहां उपयुक्त संगत आश्वासन उपलब्ध है कि अनुदान सहायता प्राप्त होगी और कंपनी सभी संबंधित शर्तों का अनुपालन करेगी। इसके लिए लेखांकन उपचार को ऊपर उल्लिखित इंड एस-115 के अनुसार किया गया है।

एनएचएआई के साथ सेवा रियायत करार के अनुसार कंपनी द्वारा स्वीकृत अनुदान की अनुपातिक राशि 327 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 313.85 करोड रुपए) है, जो मूल परियोजना लागत और मूल्य वित्तीय पैकेज के अनुसार है। इसे भी देय राशि माना गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों- सड़क की राशि को स्वीकृत अनुदान से घटाया है

कुल देय राशि में से, कंपनी को 31 मार्च 2020 तक 280.05 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इन वित्तीयों के हस्ताक्षर से पहले वित्तीय वर्ष 2020-21 में कंपनी को 47.82 करोड़ (रोकी गई राशि के 88 लाख रुपये सहित) प्राप्त किया गया है।

(ड.) एनएचएआई के साथ किए गए रियायत करार के अनुसार, कंपनी को बिजली की लाइनों, पानी के पाइपों और टेलीफोन केबलों सहित उपयोगिता सेवाओं के स्थानान्तरण का कार्य करने की आवश्यकता है, यदि ये उपयोगिता सेवाएं परियोजना के निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण पर सामग्रीगत प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। इस प्रकार की सेवाओं के स्थानान्तरण की लागत प्राधिकरण (एनएचएआई) उस सेवा के स्वामी निकाय द्वारा वहन की जाएगी।

कंपनी ने एनएचएआई की स्वीकृति के पश्चात उपयोगिता के सम्पूर्ण कार्य को बैक-टू-बैक आधार पर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को उपठे के पर अंतरित किया है। दिनांक 31 मार्च 2020 तक इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने कंपनी को 31.46 करोड़ रुपए का बिल प्रस्तुत किया है। कंपनी समय समय पर एनएचएआई के समक्ष दावे प्रस्तुत करता है और इसका पुनर्विनियोजन किया जा रहा है। इन दावों के प्रति दिनांक 31 मार्च 2020 तक एनएचएआई से 28.75 करोड़ रूपए रुपए (टीडीएस सहित) प्रस्तुत हुए हैं। 2.71 करोड़ रूपए शेष राशि को चालू-व्यापार प्राप्य के रूप में स्वीकार किया गया है और यह एनएचएआई के साथ समाधान के अधीन है और इसे अभी एनएचएआई से प्राप्त/पुष्टि की जानी है।

(च) 57.47 लाख रूपए के प्राप्य कार्य संविदाओं पर वेट की राशि अन्य चालू परिसंपत्तियों में दी गई है क्योंकि उपोगिता शिफ्टिंग पर पूर्ववती वेट व्यवस्था में एनएचएआई द्वारा वेट की कटौती की गई है। ग्राहकों/ कर विभाग से इसकी वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं। उपयोगिता शिफ्टिंग के कारण एनएचएआई से देय राशि की वसूली समायोजन के अधीन है।

(छ) कंपनी ने इंड एएस-109 के अनुसार अपने उचित मूल्य पर प्रतिधारण राशि को स्वीकार नहीं किया है। प्रतिधारण राशि 95.78 लाख रूपए है और इसे "अन्य वित्तीय संपत्ति - गैर वर्तमान" के तहत दर्शाया गया है। प्रबंधन के अनुसार उचित मूल्य का प्रभाव नगण्य है और उचित मूल्य पर गैर-स्वीकृति कंपनी की समूह लेखांकन नीतियों के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, अन्य वित्तीय परिसंपत्यिों (चालू) के अंतर्गत 88 लाख रूपए की राशि एनएचएआई से प्राप्य इक्विटी सहायता से ग्राहक द्वारा रोगी गई राशि से संबंधित है, उसे इन वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर से पूर्व वित्तीय वर्ष 20-21 में प्राप्त किया गया है।

(ज) कंपनी ने एनएचएआई से.25.89 करोड़ रूपए के लिए "कार्यक्षेत्र में परिवर्तन" की स्वीकृति प्राप्त की है। सेवा रियायत समझौते के अनुच्छेद 16.3.2 के अनुसार, कुल परियोजना लागत का 0.25% आईपीबीटीएल द्वारा वहन किया जाएगा और शेष राशि की प्रतिपूर्ति एनएचएआई द्वारा की जाएगी। कंपनी ने 31/03/2020 तक 13.98 करोड़ की राशि के लिए कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के तहत किए गए काम के लिए एनएचएआई के समक्ष इनवाइस प्रस्तुत किया है। 13.98 करोड़ रूपए के व्यापार प्राप्यों में से 4.95 करोड़ प्राप्त हुए और शेष राशि 9.04 करोड रूपए के लिए एनएचएआई के साथ पुनर्विनियोजन किया जा रहा है और अभी एनएचएआई से इस संबंध में प्राप्त/ पुष्टि नहीं की गई है।

(झ) वर्तमान में रिपोर्टिंग तिथि को कोविड-19 महामारी की अवधि और उसके प्रभाव अस्पष्ट है। इसलिए, इन परिणामों की अवधि और गंभीरता और साथ ही भविष्य के लिए कंपनी की वित्तीय स्थिति और परिणामों पर उसके प्रभाव का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाना संभव नहीं है। हालाँकि, रियायत अवधि में समय विस्तार के माध्यम से राजस्व हानि क्षतिपूर्ति के रूप में प्राकृतिक आपदा के तहत इस प्रकार की हानि का दावा करने के लिए कंपनी को रियायत समझौते के खंड 29.6 द्वारा संरक्षित किया गया है। लॉकडाउन व्यवधान / कोविड-19 महामारी के प्रभाव का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए और इस संबंध में सूचित किया जाना चाहिए क्योंकि हम वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान प्रगति कर रहे हैं। राज्य और केंद्र सरकारों और स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा किए जा रहे विभिन्न महामारी रोकथाम प्रयासों की सफलता पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसलिए, इस स्तर पर विश्वसनीयता के साथ भविष्य के प्रभाव का पूर्वानुमान लगाना परिपक्व नहीं होगा।

(ट) कतिपय पूर्व-अवधिराशियों को चालू अवधि प्रस्तुतीकरणों के साथ समरूपता हेतु पुन:वर्गीकृत किया गया है। इन वर्गीकरणों का प्रचालनों के परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष के आंकड़ों को प्रकोष्ठ ( ) में दर्शाया गया है ताकि उन्हें वर्तमान वर्ष के

आंकड़ों से भिन्न दर्शाया जा सके।

(ठ) ऋण की ब्याज दर की समीक्षा की जा रही है और ऋण के लिए देय ब्याज को स्थगित कर दिया गया है। कंपनी ने "ब्याज पर ऋण" के तहत दिनांक 30.9.2019 तक ऋण पर ब्याज के लिए 19.93 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस तिथि के पश्चात की अवधि के लिए ब्याज की राशि प्रदान नहीं की गई है क्योंकि इसे देय और भुगतानयोग्य नहीं माना जाता है।

हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार **निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से**

कृते ए.एन गर्ग एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएल- 0046161

ह/-	**ह/-**	**ह/-**	**ह/-**
ए.एन.गर्ग	**(एस.एल.गुप्ता)**	**(आर.एस.यादव)**	**(भुवनेश्वरी कृष्णन)**
एफसीए भागीदार	**निदेशक**	**निदेशक**	**निदेशक**
सं.सं: 083687	**डीआईएन: 07598920**	**डीआईएन: 07752915**	**डीआईएन: 07486148**
यूडीआईएन:20083687एएएडीवाई8630			
	ह/-	**ह/-**	**ह/-**
स्थान : नई दिल्ली	**(अतुल कुमार)**	**(मंजुर एम.गौरी)**	**(अनुराधा कौशिक)**
दिनांक: 24.6.2020	**मुख्य कार्यपालक अधिकारी**	**मुख्य वित्त अधिकारी**	**कंपनी सचिव**

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड** का वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट आफ चार्टेड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित अनुसार तथा आश्वासन मानकों के अनुसार अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित अनुसार लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 24.06.2020 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

कृते एवं की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

(के.एस.रामुवालिया)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक
रेल वाणिज्यिक नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 28.08.2020

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉन पीबीटीएल)

(बीकानेर-फलौदी राजमार्ग परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग-15, राजस्थान)

पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017, भारत

दूरभाष: 91-11-29565666, फैक्स:91-11-26522000, 26854000

ई-मेल आईडी : busi.info.irconpbtl@gmail.com